C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XI, Fifth Session, 2021/1942 (Saka)
No. 11, Friday, February 12, 2021/Magha 23,1942 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 161 to 166, 172 and 180	12-42
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 167 to 171 and 173 to 179	43-99
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	100-665
OBSERVATION BY THE SPEAKER	666

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 667-692

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 693-694

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 695-696

COMMITTEE ON PETITIONS

16th to 18th Reports 698

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN

4th Report 688

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

9th to16th Reports 698-700

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

7th to12th Reports 701-702

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

15th to 18th Reports 703

STATEMENTS BY MINISTERS 704-706

(i) Status of implementation of the recommendations contained in 110th and 121st Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the Functioning of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) pertaining to the Ministry of Health and Family welfare 704

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 329th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology

Dr. Harsh Vardhan 705

(iii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development 706

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development

Sadhvi Niranjan Jyoti 706

ELECTION TO COMMITTEE

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Awantipora, Jammu & Kashmir and Madurai 707

MATTERS UNDER RULE 377 708-727

(i) Need to develop NH 730C in Uttar Pradesh as link expressway

Shri Mukesh Rajput 708

(ii) Regarding construction of new railway lines under Jhansi Division of North Central Railway

Shri Bhanu Pratap Singh Verma 709

(iii) Regarding increasing cases of mental disorder in the country

Shri Kirti Vardhan Singh 710

(iv) Regarding construction of a 100-bedded hospital in Karown block of Deoghar district in Jharkhand

Dr. Nishikant Dubey 711

(v) Need to restore 4G internet services in Jammu district, Jammu and Kashmir

Shri Jugal Kishore Sharma 712

(vi) Regarding stoppage of trains at Nandgaon Station

Dr. Bharati Pravin Pawar 712

(vii) Regarding setting up of a washing line and a solar energy panel in Hanumangarh Railway Station, Rajasthan and also restore stalled train services in Ganganagar Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Nihal Chand Chouhan 718

(viii) Regarding Eastern Rajasthan Canal Project

Shri Dushyant Singh 714

(ix) Regarding promotion of small, micro and marginal industries and their products

Shri Ganesh Singh 715

(x) Need to establish a Sainik School in Udaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Arjunlal Meena 716

(xi) Regarding Union Budget 2021-2022

Shri Lalubhai B. Patel 717-718

(xii) Regarding construction of dam in Kaimur district, Bihar

Shri Chhedi Paswan 719

(xiii) Need to redress the grievances of Scheduled Tribes of Porbandar Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Rameshbhai L. Dhaduk 720

(xiv) Regarding farmers' protest

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 721-722

(xv) Regarding expansion of Thoppur Ghat Section, Tamil Nadu

Shri DNV Senthilkumar S. 723

(xvi) Rregarding Reservation in PSU jobs

Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian 724

(xvii) Regarding shifting of dumping yard from Nandyal station, Andhra Pradesh

Shri Pocha Brahmananda Reddy 725

(xviii) Need to strengthen the economy of the country

Shri Rahul Ramesh Shewale 726

(xix) Need to construct a bridge on Punpun river near Gomdahi village in Nabinagar block in Aurangabad district, Bihar

Shri Mahabali Singh 727

MAJOR PORT AUTHORITIES BILL, 2020
(Amendments made by Rajya Sabha) 746-749

Motion to consider 746

Shri Mansukh L. Mandaviya 746

Clauses 2 , 54 and 1 746-749

Amendments – Agreed to 749

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF ARBITRATION AND CONCILIATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

AND

ARBITRATION AND CONCILIATION (AMENDMENT) BILL, 2021 750-832

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 750, 753-760

Shri Ravi Shankar Prasad 750-753,

816-827

Motion to Consider 750-828

Shri Subhash Chandra Baheria 761-764

Shri Dhanush M. Kumar 765-766

Prof. Sougata Ray 767-771

Shri Pinaki Misra	771-776
Dr. Alok Kumar Suman	777-779
Shri Ritesh Pandey	780
Shrimati Supriya Sadanand Sule	781-784
Shri Nama Nageswara Rao	785-786
Shri Jayadev Galla	789-791
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	75193-797
Shri Hasnain Masoodi	798-799
Shri N.K. Premachandran	800-806
Shri Gopal Shetty	807-810
Shri S.R. Parthiban	810-813
Shri Kodikunnil Suresh	813-815
Statutory Resolution –Negatived	828
Clauses 2 to 5 and 1	828-832
Motion to Pass	832

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Welfare measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers	834-853
Shri Ajay Misra Teni	834-842
Shri Hanuman Beniwal	843-874
Shri Jagdambika Pal	847-853

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Recognizing Chhattisgarhi language and to start radio in Chhattisgarhi language 893

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

---

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February 12, 2021/ Magha 23, 1942 (Saka)

The Lok Sabha met at Sixteen of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 161 , श्री अजय भट्ट जी।

(Q. 161)

एडवोकेट अजय भट्ट : मान्यवर, मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ही माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी चाहता हूँ। अभी तक उत्तराखंड में आकाशवाणी के जो केन्द्र हैं, वे 21 हैं। इनमें से तीन पूरी तरह से काम कर रहे हैं और शेष रिले सेन्टर हैं। वहाँ पर जो गोपेश्वर है, वह पहले से ही चल रहा था, लेकिन अचानक छह महीने के बाद उसे बंद कर दिया गया। इससे आपदाओं में हमें बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि अफवाहें फैल जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। जब तक यह काम कर रहा था, यह बहुत अच्छा रिले सेन्टर है।

मान्यवर, एक तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या गोपेश्वर के स्टेशन को फिर से सरकार प्रारंभ करेगी? दूसरा, आकाशवाणी देहरादून इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एनाउंसर का पद स्वीकृत नहीं है। वहाँ वाद्य कलाकारों का पद भी स्वीकृत नहीं है। सहायक निदेशक का एक पद है, लेकिन वह भी खाली है। इस तरह से यहाँ पर काफी पद खाली हैं और अल्मोड़ा का भी वही हाल है। डिप्टी डायरेक्टर (प्रोग्राम) का एक पद है, जो खाली चल रहा है। सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पाँच पद हैं, लेकिन इनमें से चार खाली हैं। उद्घोषक के छह पद हैं, लेकिन चार खाली हैं।

मान्यवर, रेडियो रिपोर्टर का पद काफी महत्वपूर्ण होता है, इसके बिना काम नहीं चलता है, लेकिन यह पद भी खाली है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरा उत्तर आप ही नहीं पढ़ दीजिए। आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

एडवोकेट अजय भट्ट : मान्यवर, वहाँ वाद्य कलाकार भी नहीं है। वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में जो रिक्त पद हैं, क्या इन्हें भरा जाएगा?

मान्यवर, इसी प्रकार दूरदर्शन की भी स्थिति है। जब वर्ष 2000 में हमारा राज्य बना तो हमारे यहाँ वर्ष 2001 में दूरदर्शन का केन्द्र आपके द्वारा दिया गया। उसके बाद वर्ष 2005 में एक घंटे का प्रसारण प्रारंभ किया गया। वर्ष 2007 में दो घंटे का प्रसारण किया गया और 9 मार्च, 2019 को छह घंटे का प्रसारण प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल, 2020 से 24 घंटे का प्रसारण आरंभ तो कर दिया गया, लेकिन जो स्टॉफ वर्ष 2001, 2005, 2007 और वर्ष 2019 में थे, उससे भी कम स्टॉफ आज वहाँ हो गए हैं। अभी वहाँ कम से कम 10 प्रोग्राम एक्जिक्यूटिव एवं 10 प्रोग्राम असिस्टेंट्स होने चाहिए। वहाँ कोई भी प्रोग्राम एक्जिक्यूटिव नहीं है, जो एक बहुत ही की-पोस्ट होती है। इसी प्रकार से कैमरामैन नहीं है, जबकि वहाँ 10 कैमरामैन की माँग की गई है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी माँग क्या है?

माननीय सदस्य, आप एक मिनट के लिए बैठिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। मेरी कोशिश रहती है कि अधिकतम माननीय सदस्यों का इस लॉटरी में नाम आए और अधिकतम सदस्यों को मौका मिले। इसलिए, प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य सिर्फ प्रश्न पूछें। जब आप शॉर्ट में प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर भी ठीक से मिलेगा।

एडवोकेट अजय भट्ट : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दूरदर्शन में जो रिक्त पड़े पद हैं, क्या उनको शीघ्र भरने की कोई कार्रवाई करेंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: यह गलत फहमी बहुत जगह हुई है, क्योंकि जो ट्रांसमीटर्स पुराने हो गए, उनको बाहर करके, नये ट्रांसमीटर्स आ रहे हैं या उनकी नई टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था हो रही है। लेकिन मैं

साफ करना चाहता हूं कि दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी का ही मुख्य मुद्दा है, तो एक भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और कोई एक भी डाउनग्रेड नहीं होगा।

दूसरा मुद्दा है कि कैमरामैन 10 थे। अब जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। लोग मोबाइल से फोटो लेते हैं और मोबाइल से यहां अपने संसद के प्रांगण से लाइव करते हैं। जब ये कर सकते हैं, अब जबकि टेक्नोलॉजी बदल गई तो उतने परमानेंट पदों की जरूरत नहीं होती है। स्टिंगर्स होते हैं, जो असाइनमेंट बेसिस पर बहुत अच्छा काम देते हैं, बहुत अच्छी सेवा देते हैं। उनको जो भी काम बताया जाता है, वे करते हैं। यह अनुभव है। वह भी इंप्लायमेंट का एक दूसरा तरीका है। हमने पहले मैनपॉवर ऑडिट किया और अब यह स्थिति साफ हो गई कि कितने लोग हैं, कितने पदों की वैकेंसीज़ हैं, लेकिन कितने की जरूरत है। उसके अनुसार हम नई योजना बना रहे हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड आ गया है और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

एडवोकेट अजय भट्ट : जैसा मैंने कहा कि पद पूरी तरह से खाली हैं, क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, वहां पर नई टेक्नोलॉजी अभी नहीं पहुंची है। इसमें बहुत देर लगेगी। ढोलक, बांसुरी, हुड़का, सितार बजाना वहां का लोकल कल्चर होता है। ये जो पद पहले से स्वीकृत थे, जिनको वहां भेजा जाता था, क्या इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: मैं यह फिर बता रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स बेरोजगार नहीं हुए हैं। पद पर जो परमानेंट लोग थे, उनकी जगह पर असाइनमेंट बेसिस पर जब भी प्रोग्राम का निर्माण आकाशवाणी केंद्र में होता है, तो वहां इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स बुलाये जाते हैं। बिना इंस्ट्रूमेंट्स के गाने थोड़े ही बजेंगे। जो प्रोग्राम होता है, उसके लिए जो भी कलाकार हो, जो भी आवश्यक लोग हों, उन सबको बुलाया जाता है। अनेक लोग इसमें कांट्रैक्ट पर भी हैं। अब हमने इसका रिव्यू लिया है।

श्री रितेश पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जो पद वहां पर अभी सृजित हुए हैं, चाहे प्रोड्यूसर का पद हो, उसकी जो

आयु लिमिट है, वह 21 से 25 साल और 50 साल तक की भी है। मेरा यह कहना है कि यह थोड़ा सा आउट डेटेड लगता है, क्योंकि कई महिलायें या बुजुर्ग लोग जो हैं या महिलाओं को ही आप ले लीजिए, अगर वे मैटरनिटी लीव पर जाती हैं और नौकरी छोड़ने के बाद वापस आती हैं या बुजुर्ग महिलायें होती हैं, जो वर्क फोर्स से बाहर चली जाती हैं, तो उनको वापस आने के लिए अगर ये उम्र के क्राइटेरियाज़ लगे रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे आपसे यह जानना है कि क्या गवर्नमेंट कोई प्लान कर रही है कि इन जॉब्स से एज लिमिट को हटा दिया जाए, क्योंकि नौकरियों की बहुत ज्यादा जरूरत है? एज लिमिट खास तौर से इस इलाके में बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या इसको हटाने का भी कोई प्रावधान है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: आपको मालूम है कि मोदी सरकार की प्रागतिक नीति से कोई मैटरनिटी लीव लेता है तो उसे 6 महीने की पूरी तनख्वाह के साथ लीव मिलती है। अब नौकरी छोड़कर जाना और बाद में फिर से आना, ऐसा करना नहीं पड़ता है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यंग एज में जितनी प्रतिभा प्रदर्शित होती है, दिखती है, खिलाड़ियों में भी आपको मालूम है, जैसे 25 साल उनका चरम पर होता है और 30-35 साल के अंदर वे रिटायर भी होते हैं। कलाकारों में भी यही देखा जाता है। उम्र ज्यादा होने पर उन्हें लेंगे, यह करेक्ट नहीं है। उल्टे ज्यादा फ्रेश ब्लड आना चाहिए, तभी ये कार्यक्रम ज्यादा अच्छे चलेंगे और लोकप्रिय होंगे।

SUSHRI MAHUA MOITRA : Hon. Speaker, Sir, thank you. With your permission, I would like to ask the hon. Minister this question.

In Akashvani a number of Radio Jockeys are working. Some of them had been working for 20 or 25 years at a salary of between Rs. 10,000 and Rs. 13,000

rupees each, which is not a very high amount. But during the COVID time, about 40 or 50 of these Radio Jockeys were let go.

Given that COVID was a difficult time for all of us and most private sector employers also pitched in and made sure that they did not try and cut the workforce. This obviously hurt those people who had been working for a long time. They have lost their only source of employment and their salaries were quite minimal. So, I would request the hon. Minister to look into this issue.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: As you are all aware, COVID has impacted all sectors. Likewise, All India Radio and FM Radios have also definitely suffered. But one good had happened, that is, the RJs have done wonderful public awareness duty during the COVID time. I am in touch with them. I am in touch with the FM industry. Let me assure that things are becoming better in the last two months and all will be back on job very soon. That is my hope.

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज भी सबसे ज्यादा लिसनर्स आकाशवाणी के हैं। आज माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि एक भी आकाशवाणी स्टेशन बंद नहीं होंगे और न हीं डाउनग्रेड किए जाएंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने नीति आयोग द्वारा 112 जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए थे, जो कुछ पैरामीटर्स में पीछे रह गए हैं। ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, भारत-नेपाल सीमा पर जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच में नेपाल रेडियो आता है। क्या ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नए स्टेशन खोलने की सरकार की कोई

योजना है या लोकल एफएम स्टेशन के लिए क्या कोई योजना है**?** इस बारे में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय**,** अभी नये आकाशवाणी केन्द्र कारगिल और लेह में भी शुरू हो रहे हैं**,** इसके लिए सब कुछ तैयार है। आपने मुझे पहले ही बताया है कि नेपाल सीमा पर जो भी केन्द्र है**,** हम उसको भी मास्टर प्लॉन में समावेश करेंगे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कम्युनिटी रेडियो है**,** आप लोग भी इसमें उत्साह से भाग ले सकते हैं। आज तीन सौ से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो ऑपरेटिव है**,** पांच से ज्यादा कम्युनिटी रेडियो सैंक्शन किए गए हैं। पन्द्रह किलोमीटर के रेडिएस में एफएम का पूरा प्रक्षेपण मिलना कम्युनिटी रेडियो की स्ट्रैन्थ है**,** वह भी उपयोग कर सकते हैं।

(Q. 162)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकसित होने के लिए इस तरह के विषय में अन्य क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विभिन्न परियोजनाओं को देखते हुए प्रत्यक्ष निवेश, नवाचार और विनिर्माण प्रोद्योगिकी बैंक स्थापित करने की योजना बना रही है?

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी स्टार्ट्स-अप हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने पिछले पांच सालों में बहुत गंभीरता से डायनेमिक प्रयास किए हैं। स्टार्ट्स-अप, स्टैंड-अप मूवमेंट जिसे शुरूआत में दस हजार करोड़ रुपये से प्रारंभ किया गया था, उसके तहत साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के माध्यम से अभी तक कुछ हजार स्टार्ट्स-अप को सपोर्ट किया गया है। नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन अहमदाबाद में तीन लाख से ज्यादा स्टार्ट्स-अप के माध्यम से इन लोगों ने इनोवेशन किए हैं, यह उनका रिकार्ड है।

अभी कुछ ही समय पहले हमने पोर्टल लांच किया जिसमें ऑलरेडी दो लाख से ज्यादा इस तरह के इनोवेशन्स की डिटेल्ड जानकारी है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नवाचार के क्षेत्र में अभी तक प्रमुख अविष्कार की खोज में क्या किया गया है?

माननीय अध्यक्ष: इसका जवाब तो आपको एक घंटे तक सुनना पड़ेगा।

…(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने विस्तार से उत्तर दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री बहुत स्कीम्स के माध्यम से प्रमोट कर रही है। इनोवेशन इंडेक्स अब 50 से कम की लिस्ट में पहली बार वर्ष 2020 में आया है।

हम साइंस पब्लिकेशन्स में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, पेटेन्ट्स में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। मैंने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 भी बनाकर पब्लिक डोमेन में डाल दी है।

श्री बिद्युत बरन महतो : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नव परिवर्तनों को प्रोत्साहन देने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उपेक्षित परिणाम सामने आए हैं?

माननीय मंत्री जी बताएं कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिससे उन नव परिवर्तनों को विशेष प्रोत्साहन तथा मदद दी जाए जो स्वास्थ्य सेवाओं तथा गरीबों के जीवन को छू लेने वाली हों?

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, इनोवेशन्स के लिए, स्टार्टअप के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है, वह सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र के लिए है। हमने इतनी बार कहा है कि देश में कोई भी नौजवान, जिसके पास कोई भी ब्राइट आइडिया है और उस पर काम करके एन्टरप्रेयोनर तक लेकर जाना चाहता है या इसके माध्यम से देश और समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहता है, इसके लिए प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार पूरी ताकत के साथ, इन्कलूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, आइडिया सपोर्ट और एकेडमिक सपोर्ट के साथ खड़ी है।

इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जो कुछ ऑलरेडी हो रहा था उसके ऊपर 50,000 करोड़ रुपये अगले पांच साल के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से यंग लोगों को, यूनिवर्सिटीज, एकेडेमीज़ में और अन्य जगहों के लिए रखा गया है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न वैब सीरीज़ और शार्ट फिल्म्स के बारे में है।

माननीय अध्यक्ष: यह तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रश्न था।

…(व्यवधान)

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : मैंने तो प्रश्न 176 में दिया था।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जवाब दिया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 48 हो गई है। हम साइंटिफिक पब्लिकेशन में तीसरे नंबर पर हैं। इसका मतलब है कि बहुत पेपर पब्लिश होता है, जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स एक-दो पेपर दे देते हैं, लेकिन यह इनोवेशन नहीं है, नया अविष्कार नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है। यह सही है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनी है और 50,000 करोड़ रुपये कॉरपस है, लेकिन साइंस में एलोकेशन कम हो गई है। वर्ष 2019-20 में 12,745 करोड़ रुपये का बजट था, वर्ष 2020-21 में 11,565 करोड़ रुपये हो गया यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बजट कम हो रहा है। इस तरह से क्या हम इनोवेशन में रैकिंग कम होने के कारण, बजट में कटौती होने के कारण पीछे नहीं चले जाएंगे?

इनोवेशन में रैंकिंग बढ़ाने के लिए और पेपर मीनिंगलैस न हो, सब्सटेंशियल इनोवेशन हो, इसके लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अगर मेरे जवाब को विस्तार से पढ़ा होगा तो उनको ध्यान में आएगा कि वर्ष 2015 में इनोवेशन इंडेक्स में रैकिंग 81 थी। अब हम 81 से 48 पर आ गए हैं यानी पहले 50 में आ गए। जब से देश आजाद हुआ है, तब से आज तक पहली बार हम 2020 में पहले 50 में आए हैं।

माननीय अध्यक्ष: आप इनका कोई जवाब न दें।

…(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: आप मेरी बात सुन लें। …(व्यवधान) आपने अभी एक्सपेंडिचर की बात कही या इस बार के बजट की बात कही, इस बार पिछले बजट से 20 परसेंट से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है।

मैंने ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन आर एंड डी में इसके बारे में डिटेल में लिखा है कि पिछले दस साल में ट्रिपल एक्सपेंडिचर हुआ है। मैंने इसकी डिटेल भी दी है, 39,437.70 करोड़ रुपये वर्ष 2007-08 में थे, वहां से 1,13,825.03 करोड़ रुपये वर्ष 2017-18 में हो गए। अब वर्ष 2018-19 में 1,23,847,70 करोड़ रुपये हो गए हैं। मैंने आपको बताया है कि साइंस के सारे डिपार्टमेंट में पिछले वर्ष के मुकाबले 20 परसेंट से ज्यादा वृद्धि हुई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में मैंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ओवरऑल साइंस से संबंधित सैक्टर्स में सब में सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। जैसा पहले भी कहा गया कि स्टार्टअप, यंग लोगों, साइंस की प्रगति के लिए और साइंस के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत विस्तार से योजनाएं बनाई गई हैं।

माननीय अध्यक्ष: कुमारी राम्या हरिदास – उपस्थित नहीं।

(Q. 163)

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं अंगदान में सरकार ने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया है और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इसमें लोग शामिल हों, इसके लिए अच्छा काम किया है।

कई बार किसी को किडनी की आवश्यकता होती है, इसमें नियम है कि ब्लड रिलेशन में परिवार का सदस्य ही यानी पत्नी, बेटा, बहन, मां, पति, भाई आदि किडनी दान कर सकते हैं। यह आसानी से होता है अगर यह मैच हो जाए। जब कई बार मैच नहीं होता है या परिवार में कोई उपलब्ध नहीं होता है, उन परिस्थतियों में डोनर आता है। जब डोनर किडनी देना चाहता है तो इसकी परमिशन के लिए अस्पताल में एक कमेटी होती है। कई बार इसके प्रॉसेस करने में इतना समय लगा देते हैं कि जिसे किडनी मिलनी होती है वह व्यक्ति अपने जीवन से ही हाथ धो बैठता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे या कोई मैकेनिज्म डैवलप करेंगे? जब ब्लड रिलेशन में कोई किडनी दान करने वाला नहीं होता है, उन परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग की क्या मंशा है, ताकि आसानी से डोनर को सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और बीमार व्यक्ति को किडनी समय पर मिल जाए और उसका जीवन बचाया जा सके?

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय सदस्य ने बहुत महत्पूर्ण प्रश्न पूछा है।…(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने उत्तर में बताया है कि वर्ष 1994 में बेसिकली संसद में 'द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्युमेन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट' कानून बनाया गया था। इसमें 2011 में अमेंडमेंट हुआ और 2014 में रूल्स बने। एक ब्लड रिलेटिड होता है, उसकी किडनी या किसी और ऑर्गन का दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए प्रोविजन है। इसके अलावा वह इमोशनली हमारे साथ

अटैच्ड हो सकता है, जिसमें हम दिखाते हैं कि इमोशन्स के कारण या हमारे साथ वर्षों तक काम करने के कारण वह ऑर्गन डोनेट कर सकता है।

लेकिन, उसको सिद्ध करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक व्यवस्था के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। जैसा, माननीय सदस्य ने यह आशंका जाहिर की है कि इसमें कई महीनें या सालों लगते हैं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती है। इसके लिए हॉस्पिटल लेवल पर एक्सपर्ट्स वेल डिफाइंड कमेटीज बनी हुई हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के लेवल पर भी हैं।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, समय तो लगता है।

डॉ. हर्ष वर्धन: सरकार का और व्यवस्था का यह प्रयास होता है कि उसको जल्दी से जल्दी क्लीयरेंस दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इस चीज के लिए राज्यों को डायरेक्शन दें। जो सदस्य कह रहे हैं, वे ठीक कह रहे हैं कि समय बहुत लगता है। राज्य के अंदर एक कमेटी बनी हुई है। आप उनको डायरेक्शन दें कि टाइम शेड्यूल के अंदर इस चीज को करें।

श्री अधीर रंजन चौधरी जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मुझे यही कहना है कि माननीय सदस्य ने बहुत ही अहम सवाल उठाया है।

माननीय अध्यक्ष: मैं तो आपको इसलिए खड़ा करता हूं, क्योंकि आप कांग्रेस के सदन के नेता हैं। बीच-बीच में मत उठिए, इसलिए पर्याप्त समय देता हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं धन्यवाद देने के लिए उठा था। मैं तो उनकी बातों पर सहमति जताने के लिए उठा था। मैंने इस चीज को सफर किया है, इसलिए कह रहा हूं। उस समय मैंने डॉक्टर साहब को भी फोन किया था। आपसे भी मदद मांगी थी। मेरे गांव के एक लड़के की दिल्ली में आने के बाद मौत हो गई थी। लेकिन, काम नहीं हुआ। जब यह सवाल उठया गया, तो मुझे उस बच्चे की याद आ

गई, क्योंकि, उसी के चलते, उसकी मौत हो गई थी। इसलिए, इस काम को एक्सपेडाइट करना चाहिए। हमारे यहां मैकेनिज्म तो है, लेकिन उसको एक्सपीडिशियस वे में करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : मैंने इस विषय को सामूहिक रूप से सदन की तरफ से माननीय मंत्री जी को कह दिया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : जी सर, आपने कह दिया।

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने, जो विषय रेज किया है, वह बिल्कुल अलग विषय है। किसी पेशेंट के लिए अगर कोई डोनर उपलब्ध नहीं है, तो वह एक अलग विषय है। य**दि** किसी के लिए डोनर उपलब्ध है और उसके लिए परमिशन मिलनी है, तो वह बिल्कुल सेपरेट विषय है। जिस विषय की चर्चा हो रही है, वह बिल्कुल अलग विषय है।

माननीय अध्यक्ष: दोनों के लिए एक विषय है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। मैंने सदन की तरफ से माननीय मंत्री जो को बता दिया है। आप सभी माननीय सदस्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिल लीजिएगा। आपके जो भी सुझाव हैं, उनको लिखित रूप में उनको दे दीजिए, ताकि ठीक से उसका एग्जिक्यूशन हो सके।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चयन नम्बर 164, एडवोकेट अदूर प्रकाश।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बैठ जाइए। मैंने व्यवस्था दे दी है। सदन से एक बार व्यवस्था दे दी है। मंत्री जी आपसे मिलेंगे और आपको पर्याप्त समय देंगे। आप मंत्री जी से समय मांगना, वे आपको पर्याप्त समय देंगे।

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): A big racket is going on in this country. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आज जो भी सदस्य इस विषय पर सुझाव देना चाहते हैं, एक मिनट बैठिए, आज इस शाम को पांच बजे माननीय मंत्री जी को जो भी सदस्य इस विषय के बारे में अपना सुझाव देना चाहते हैं, वे मंत्री जी के चैम्बर में जाकर सुझाव दे दें। मंत्री जी इस विषय को एग्जिक्यूट करेंगे।

…(व्यवधान)

(Q. 164)

ADV. ADOOR PRAKASH: Sir, the Union Government has sanctioned 15 new AIIMS under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana since 2014. Almost every State has been sanctioned with an AIIMS. They are in various stages of construction. AIIMS in Kerala has not been included in any of the Budget announcements so far. Kerala has identified four locations for setting up of AIIMS in the State and had sent the list to the Union Government in 2014 itself. But it is unfortunate that the Government has not considered it yet. Kerala has a better public healthcare system but it lacks a top-level institute like AIIMS. The increase in lifestyle diseases and the outbreak of many viral diseases substantiated the need to establish an institute of excellence in the State. Whether the Government will consider the long pending demand and will sanction AIIMS to the State of Kerala?

DR. HARSH VARDHAN: As the hon. Member has himself said that the present Government had sanctioned 15 new AIIMS in 2014. This process of establishing AIIMS all over the country was started by Atal Behari Vajpayee *ji* in 2003. Apart from AIIMS, New Delhi, he had proposed setting up of six more new AIIMS in the country.

Since 2014, we have been able to finalise and we have fifteen AIIMS in the process of establishment in different States of the country. There are many other

States like Kerala where they have demanded setting up of new AIIMS like in other States and the process of consideration of setting up of new AIIMS in more States is under the consideration of the Government. As far as Kerala is concerned, I can recall that, in Kerala, there has never been a consensus upon the fact as to where they want the AIIMS. There have been different suggestions and different proposals from different representatives of Kerala all through the last six to seven years but I can only say that the setting up of new AIIMS in the country including Kerala will be considered at the appropriate time.

माननीय अध्यक्ष : अदूर प्रकाश जी, आपको सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछने की इजाज़त है।

…(व्यवधान)

ADV. ADOOR PRAKASH : Sir, we have already given the proposal and we have given four sites to build AIIMS in Kerala but, as usual, the answer to the question is without any confirmation. The Government is not seriously considering the request of Kerala. Can the Hon. Minister give an assurance that a new AIIMS in Kerala will be sanctioned in the next phase of PMSSY?

DR. HARSH VARDHAN: In spite of the very dynamic approach of the present Government where we have added fifteen new AIIMS to the present set up of AIIMS in the country, like Kerala, there are many more States where there is no AIIMS even now. As I have said that the expansion programme for new AIIMS in the country including the one in Kerala will be there at an appropriate time. It will be announced whenever a decision is taken about a particular State.

HON. SPEAKER: Adv. A. M. Ariff – Not Present.

SHRI UTTAM KUMAR REDDY : The hon. Minister's reply regarding the AIIMS in Telangana does not appear to be factual. The Director AIIMS in Telangana, Mr. Vikas Bhatia, has given a statement that the hospital will be ready in 2024. You have given a written reply that it will be ready in 2022. Secondly, in two and a half years, after the sanction, the total amount that you have spent on AIIMS Telangana is Rs. 22 crore. After two and a half years of the announcement, there is not even a single in-patient facility in AIIMS Telangana. I wish to bring to the notice of the hon. Minister through you, that it is not functioning from a new building. The existing building of Nizam Institute of Medical Sciences was taken over to set up an AIIMS. You took over the existing campus, built the hospital on 50 acres of land and after two and a half years, there is no in-patient facility. I request the Government of India to take it seriously. You are not giving any reason for the delay. You have just said that it will be ready by September, 2022. You have not even as yet taken over the buildings from the earlier hospital. I request the hon. Minister to clarify whether they can meet the deadline of September, 2022.

DR. HARSH VARDHAN: I would like to inform the hon. Member specifically that, no doubt, it is a Scheme made by the national Government, the whole of money was provided for the setting up of the AIIMS by the national Government but it definitely requires the help of the State Government to help in getting the right

conditions at the grassroots level. As far as this particular AIIMS is concerned, he is right that till now, Rs. 22.78 crore has been delivered, although the total cost is Rs. 1,028 crore. But as on date, pre-investment work is in progress. The executive agency for the main work has been appointed, the design consultants have been appointed and the progress is going on as per whatever the plan is.

ADV. A.M. ARIFF : They are not saying that it would be running before 2022….(*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU : Sir, with your permission, I would first of all like to congratulate the hon. Minister, my close friend, who has successfully managed to serve the country during the COVID period. At the same time, my heart is very much bleeding when I see the allocations made for AIIMS in other States. These details are given in the Minister's own reply. Andhra Pradesh has been allocated Rs.782 crore; Maharashtra Rs.932 crore; West Bengal Rs.882 crore; Uttar Pradesh Rs.702 crore; Punjab Rs.597 crore; Assam Rs.341 crore; and Himachal Pradesh has been allocated Rs.750 crore. However, the amount released for Tamil Nadu so far is only Rs.12 crore. Hon. Prime Minister travelled all the way from Delhi to Madurai to lay the foundation on 27th January, 2019 just before the Lok Sabha elections. We know what that was done for. People now think that perhaps the Prime Minister had probably laid the foundation because there was an election coming. It is not like that. My friend is very kind and he will definitely carry out the project very quickly. But the fact that only Rs.12 crore has been

allocated means that everybody will suspect the intentions of the Government of India.

Sir, 204 acres of land has already been acquired. A project worth Rs.2,000 crore is lying at zero level on the ground. Is it proper for the Government to make considerable allocations to other States and not to Tamil Nadu? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपके निकटतम मित्र जवाब दे रहे हैं।

DR. HARSH VARDHAN: Sir, let me explain to my dear, respected and hon. Member that the money allocated is not Rs.12.34 crore but the money allocated is Rs.1, 264 crores. He is right in the sense that Rs.12.34 crore is the fund released right now. We have sought support from JICA for the funding of this particular AIIMS. …(*Interruptions*) The delay so far is because of the collaboration with JICA. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी आपका जवाब दे रहे हैं।

…(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: We are actively pursuing the case with JICA and I am sure that very soon the process of construction will start in Madurai. …(*Interruptions*)

(Q.165)

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY : Hon. Speaker, Sir, thank you very much for giving me the opportunity to speak today on this very important subject. First of all, I would like to congratulate the hon. Minister of Science and Technology for preparing a policy responsible for the overall growth of the society. …(*Interruptions*) However, I regret to say that the overall Government expenditure and spending on scientific research and development appear to hover around only one per cent of the Gross Domestic Product when compared to some of the more developed or even developing nations. This is far lower compared to Israel's 4.6 per cent, South Korea's 4.5 per cent, Japan's 3.2 per cent, Germany's 3 per cent, USA's 2.8 per cent, France's 2.2. per cent, China's 2.1 per cent, United Kingdom's 1.7 per cent, Canada's 1.6 per cent, Brazil's 1.3 per cent, and Russia's 1 per cent, to speak about a few countries.

Now my first supplementary question to the hon. Minister of Science and Technology through you, Hon. Speaker, is that in such a situation with low spending, how can the Government make this policy successful.

DR. HARSH VARDHAN : Hon. Speaker Sir, let me explain to the hon. Member the policy about which he has asked. The policy is about Scientific Social Responsibility for the scientists. This policy follows one of the directions or the advice that was given by our Prime Minister to the scientists. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मोबाइल का यूज सदन में नहीं करते हैं। आप सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप अपनी सीट पर जाइए। आप किसी नेता की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please do not use mobile phone.

… (*Interruptions*)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर : सर, आपने पेपर बन्द कर दिया, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है।…(व्यवधान)

DR. HARSH VARDHAN: Hon. Member had in his question asked me about the policy of Scientific Social Responsibility which is proposed to be put before the Cabinet very soon. I would like to explain to him and also to the hon. Members of this House that this particular policy follows one suggestion or an appeal which was made by the Prime Minister to the scientists of the country at the Indian Science Congress in 2017. It was organized in Tirupati and he had asked the scientists that apart from the fact that they are doing their research on various subjects, producing papers and trying to help the country through various means, whatever they do should have a very good quality connect with the people. The outcomes of the research should be people-centric and the diagnosis for what has to be done in terms of research should also be people-centric and that is how this term Scientific Social Responsibility was first time coined by the Prime Minister and he had spoken about it in great detail before the scientists of the country. He had, in fact, made a general appeal that the scientists should always be working

for the welfare of the people at the grassroots level. They should be helping the students; they should be doing something over and above what they are doing within their laboratories and institutions. Taking a cue from the great suggestion that he had given and the motivating speech that he had given, we have tried to institutionalize this concept in the form of a Scientific Social Responsibility Policy in which we are making a provision and suggestion for all the stakeholders at all levels to be doing something concrete. It is purely a voluntary thing that somebody has to do and there are various levels of suggestions that are being given for various levels of people within the institution and the scientists, for schoolchildren, for college students, for industry, for people in the village, for tribal people, for innovators, for young start-ups. So, it has nothing to do with the Budget allocation.

Secondly, I have already mentioned in the detailed reply which I have given to another Question also that our allocation for research in this country has improved to an extent. I have mentioned that right now from sixth position 2-3 years back, we have come up to third position in terms of our patents or in terms of scientific publication, our innovation index etc. Our Budget allocations cannot be compared in terms of this because they are dependent on the size of the country and the overall Budget for the whole country.

DR. SHASHI THAROOR : Hon. Speaker Sir, this is a very interesting new policy by the Government. It is curious at two levels. First, we have now in our country

an established policy on Corporate Social Responsibility which makes it binding on companies to spend two per cent of their gross profit on specifically authorized social responsibility tasks. But with this Scientific Social Responsibility, we have no obligation; it is purely voluntary according to the Minister. Second, we have perhaps the only Constitution in the world that actually specifies the need to encourage scientific temper amongst our people and yet we have seen a lot of eccentric pronouncements coming out in the name of science, pronouncements such as peacock's tears causing pregnancy in a peahen or that jet engines existed in the Vedic Age or that Ganesha ji's head is an indication of plastic surgery.

All of these things have also gone out in the name of popularisation of science. So, my question to the hon. Minister is on both of these things. First, on the question of compulsoriness, if you cannot make it compulsory, for example, to oblige every science Professor to give a public lecture, then, by making it voluntary, how can you incentivise this? So, are there some marks to be gained or credit to be gained or security or incentive, something to be gained by participating in the Government scheme?

The second point is this. How do you ensure oversight of the kind of popularisation of science I was talking about where there is a great danger that in the name of promoting science, we end up promoting bad science? How do we ensure that there is an oversight Board of professional scientists to ensure that

scientific social responsibility does not become an excuse for people in the name of popularisation to actually popularise a lot of irresponsible theories that actually undermine the scientific temper of the Indian people rather than promote it? Thank you, Mr. Speaker.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I would like to inform the hon. Member that his apprehensions are grossly misplaced. If you want, I can enumerate the details of the policy in great detail right now, at this stage. You see, the idea ultimately is this. There is a lot of science which happens within the laboratories. People produce papers. We have been telling them that the impact factor of their research should not be like this. Right now, it is counted by the number of times your research paper has been seen by people. But we are trying to promote a concept to ascertain how many people in the country got benefited by their research. It has to be people-centric. We have made it voluntary in the sense that obviously the people who will actually be doing extra service in terms of helping the society, it is to bridge the gap between science and society, science and students, science and science. Basically, that is the idea. It is a very elaborate thing that we have made after a huge amount of stakeholder consultation with a lot of people belonging to all sections and all related factors which ultimately decide the progress of science in the country. So, I am sure that once the policy will officially be out, you will enjoy reading the policy. I will

certainly seek your suggestions. If there is anything that is required to be improved in that, we will certainly put it across in that. …(*Interruptions*)

(Q. 166)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: Sir, the hon. Minister in his answer has mentioned that the climate change and global warming is one of the greatest problems being faced by us. Our country stands committed to combating the climate change through its several programmes and schemes.

May the Minister explain what are the programmes being implemented by the Government for combating the climate change and global warming?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, the hon. Member has raised a very important question. First, let me tell you in two sentences that how this climate change has happened. It has happened because of unsustainable carbon emissions in the world which happened over the last 150 years. We are suffering because of that. Out of these emissions over 150 years, India's contribution is just three per cent. So, we are not responsible for the problem. But we want to be a part of the solution. Therefore, our Prime Minister has led from the front and has started a massive renewable energy programme. As you know, as of today, we have 90,000 MW or 90 GW of renewable power. Our energy capacity mix today has 37 per cent of renewable component.

That is a very important development and the world has agreed that India has taken a lead. More importantly, under our biofuel policy we are at present mixing five per cent of ethanol and we want to achieve 10 per cent ethanol blend levels with petrol. This biofuel is environment friendly.

We have also started E-Push, electric vehicles of all kinds and we are also giving subsidy for these electric vehicles.

Keeping in view the issue of emission and energy, we have migrated to BS-VI emission norms. In 2014, BS-IV emission norms were in place. The Government has skipped BS-V norms and came to the world's cleanest, best quality BS-VI petrol and diesel. The Government has declared that from 1st April, 2021 all the vehicles will be BS-VI compliant. We have fulfilled our promise.

Actually, the world is looking towards India. There are four international reports; Climate Action Tracker, UNEP Emissions Gap Report, and Transparency Report. All these reports praise India saying that we walk the talk on our Paris commitments and we are leading on our own promises.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN : Sir, as per the answer given by the hon. Minister, the sea level along the Indian coast is estimated to be rising at about 1.7 mm every year. Kerala has got a long coastline. What steps are being taken by the Government to prevent the rising of the sea level along the coastline?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Global sea level rise is the result of the climate change. It is also to be seen that if we take 1.5 mm rise per year, it will take hundreds of years for the sea level to rise to one feet. But we are building walls around the areas which are at risk due to this rise of the sea level. You can see this in Sunderbans also. In Kerala also, many important structures have been

erected as also mangrove planting has been done so that the sea level rise does not impact the lives of the people of those areas adversely.

SHRI HASNAIN MASOODI : Sir, the hon. Minister must appreciate that it is a global village and it does not matter who contributes what. The whole human kind is confronted with this problem. I would like to draw your attention to the reckless limestone mining in the vicinity of Dachigam National Park, which is home to rare species of deer. What steps are being taken to stop this mining?

There is also illegal sand mining in Pulwama which is posing a threat to the people. Though these are small things but they contribute to a big calamity, a big problem, unless we tackle them at the right time.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: As far as your two specific queries are concerned, I would request you to write to me and I will give you full details of the particular cases of Pulwama and Dachigam National Park.

Let me assure you that as far as sand mining is concerned, we have issued new guidelines for all the new and the existing licensees. They will have to do environmentally sustainable mining. Environmentally sustainable mining guidelines are made compulsory for all.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 172 और 180 को क्लब किया जाता है।

श्री गौरव गोगोई - उपस्थित नहीं।

श्री राहुल शेवाले - उपस्थित नहीं।

(Q. 172 and 180)

DR. M.K. VISHNU PRASAD : Hon. Speaker, Sir, we all know that air pollution is a major threat to the future generation. So, in this regard, what are the constructive steps that the Government has taken? I would also like to know whether sufficient funds have been released for establishing and executing these projects.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: As you know, acceptance of a problem is the beginning of a solution. Therefore, hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, had launched Air Quality Index in 2015. With that, we have started very scientific and rigorous experiments to combat pollution. On 15th August, from the ramparts of Red Fort, the hon. Prime Minister had declared that hundred cities will have lesser pollution in the coming four years. Accordingly, for those 46 cities -- which are million-plus cities -- Rs. 2300 crore, that is, Rs. 50 crore each, has been provided in this special Budget. But more than that, the Budget with respect to urban development, provides for many other things and a huge amount is now available with the local municipal corporations so that they can combat air pollution. We are creating infrastructure there and we are also encouraging citizens to participate in this drive against pollution.

Hon. Speaker, Sir, cities-specific plans are created because every city has different load of industrial pollution, vehicular pollution, and waste management, etc. There are many other aspects also. So, those things will be dealt with in city-wise plan and that is the action plan of the Government.

श्री विनायक भाउराव राऊत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न क्लाइमेट चेंज के विषय से संबंधित है। क्लाइमेट चेंज की वजह से खेती और बागवानी पर इसके बहुत-से दुष्परिणाम हो रहे हैं, विशेषकर बेमौसमी वर्षा होने की वजह से ये खराब हो रहे हैं। मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे कोंकण का आम हो या ग्रेप्स हो, ऐसे फलों को बहुत नुकसान हो रहा है। जहाँ वेदर स्टेशंस बने हैं, वहाँ के लोग बागवानी को इससे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे बेमौसमी बारिश की वजह से फल-उत्पादकों को बचाने के लिए जिलावार या पंचायत समिति के स्तर पर वेदर स्टेशंस बनाए जाएं, तो लोगों को फायदा हो सकता है। क्या मंत्री जी इसके लिए कोई प्रावधान करेंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। लेकिन अर्थ-साइंस डिपार्टमेंट मेरे साथी मंत्री के पास है, जिसके द्वारा ये विभिन्न स्थानों पर लगाए जाते हैं। हमने भी तीन सौ से ज्यादा बड़े-बड़े शहरों में इसे लगाया है। अभी यह व्यवस्था तीन हजार से ज्यादा शहरों में है। इसका और ज्यादा विस्तार होगा तथा इससे लोगों को फायदा होगा।

SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH : Thank you, hon. Speaker, Sir.

Though the development of forest-based industries is important, but it is equally important to check and curb some of the existing industries such as, illegal mining and quarrying which happen in the forest land.

It is a known fact that these activities pose severe threats to our environment and forest lands. In my Mandya constituency alone, in about 15 villages, covering 2500 acres of land, illegal mining goes on unchecked and is rampant.

17.00 hrs

So, through you, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is taking any measure to curb illegal mining in forest lands.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: We have been pursuing each complaint of illegal mining because it is the responsibility of the State Governments to check and ensure that no illegal mining takes place. We are also imposing heavy penalties now on environmental damages done by somebody who is doing extra mining or anything irregular. But for illegal mining, we are dealing with it criminally.

____

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 167 to 171 and 176 to179

Unstarred Question Nos. 1841 to 2070)

(Page No. 43-665)

———————— –

*Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

17.01hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 13 फरवरी, 2021 को सभा की बैठक प्रात: 10 बजे शुरू होगी। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

…(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष जी, मैंने एक प्रिवलेज नोटिस मूव किया है, मुझे उस पर बोलने की इजाज़त दी जाए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस सत्र में विभिन्न कारणों से शून्य काल नहीं हो पाया है। प्राइवेट मेंबर्स रेज़ोल्यूशन के बाद, नौ बजे के बाद मैं सभी सदस्यों को मौका देने की कोशिश करूंगा। अभी प्रश्न काल के बाद शून्य काल होगा, उसके बाद जो बचे हुए माननीय सदस्य हैं, जिनका लगातार लॉट्री में नंबर आ रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं बोल पाए, आज उन सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा।

…(व्यवधान)

17.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आईटम नंबर 2 से 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 3344/17/21]

(2) (एक) भारतीय रेशम निर्यात, संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात, संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3345/17/21]

(3) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3346/17/21]

(4) (एक) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3347/17/21]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2021-2022 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

(दो) वर्ष 2021-2022 के लिए वस्त्र मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 3348/17/21]

(तीन) वर्ष 2021-2022 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।

(चार) वर्ष 2021-2022 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 3349/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, डॉ. हर्ष वर्धन जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3350/17/21]

(2) (एक) नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओसियन रिसर्च, वास्को-दा-गामा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओसियन रिसर्च, वास्को-दा-गामा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3351/17/21]

(3) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3352/17/21]

(4) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इंफोरमेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इंफोरमेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3353/17/21]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओसियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3354/17/21]

(6) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलेओसाइंसेज, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलेओसाइंसेज, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3355/17/21]

(8) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3356/17/21]

(10) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3357/17/21]

(12) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3358/17/21]

(14) (एक) टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इनफॉरमेशन, फॉरकास्टिंग एंड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3359/17/21]

(16) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3360/17/21]

(18) (एक) नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, गांधीनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3361/17/21]

(20) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ नेनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ नेनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3362/17/21]

(22) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3363/17/21]

(24) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलुरू के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलुरू के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3364/17/21]

(26) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3365/17/21]

(28) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जरवेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जरवेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3366/17/21]

(30) (एक) सेंटर फॉर नेनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर नेनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3367/17/21]

(32) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3368/17/21]

(34) (एक) श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3369/17/21]

(36) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3370/17/21]

(38) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमेगनेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3371/17/21]

(40) (एक) नॉर्थ-ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ-ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3372/17/21]

(42) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3373/17/21]

(44) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3374/17/21]

(46) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3375/17/21]

(48) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3376/17/21]

(50) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3377/17/21]

(52) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3378/17/21]

(54) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बैंगलुरू के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बैंगलुरू के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3379/17/21]

(56) (एक) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3380/17/21]

(57) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2021-2022 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2021-2022 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 3381/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी**,** श्री संतोष कुमार गंगवार जी की ओर से**,** मैं वर्ष 2021-2022 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 3382/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, श्री किरेन रिजीजू जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2021-2022 के लिए आयुष मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2021-2022 के लिए आयुष मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 3383/17/21]

(तीन) वर्ष 2021-2022 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(चार) वर्ष 2021-2022 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 3384/17/21]

(2) (एक) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3385/17/21]

(4) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3386/17/21]

(6) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3387/17/21]

(8) (एक) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3388/17/21]

(10) (एक) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3389/17/21]

(12) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3390/17/21]

(14) (एक) योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3391/17/21]

(16) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3392/17/21]

(18) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3393/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी**,** श्री राज कुमार सिंह जी की ओर से**,** मैं वर्ष 2021-2022 के लिए विद्युत मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 3394/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3395/17/21]

(3) (एक) राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3396/17/21]

(5) (एक) नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षयरोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3397/17/21]

(7) (एक) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3398/17/21]

(9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3399/17/21]

(11) (एक) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3400/17/21]

(13) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसॉर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसॉर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसॉर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3401/17/21]

(15) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और कस्तूरबा अस्पताल, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3402/17/21]

(17) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2019-2020 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (जेएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक रिसर्च), धारवाड़।

[Placed in Library, See No. LT 3403/17/21]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, पटना विश्वविद्यालय), पटना।

[Placed in Library, See No. LT 3404/17/21]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (जनरल एंड अप्लाइड भूगोल विभाग, डॉ. हरीसिंह गौड़ विश्वविद्यालय), सागर।

[Placed in Library, See No. LT 3405/17/21]

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापतनम।

[Placed in Library, See No. LT 3406/17/21]

(पांच) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हेतु संस्थान), बैंगलुरू।

[Placed in Library, See No. LT 3407/17/21]

(छह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।

[Placed in Library, See No. LT 3408/17/21]

(सात) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ), दिल्ली।

[Placed in Library, See No. LT 3409/17/21]

(आठ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, विज्ञान संकाय, महाराज सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय), वडोदरा।

[Placed in Library, See No. LT 3410/17/21]

(नौ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गौहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी।

[Placed in Library, See No. LT 3411/17/21]

(दस) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र), चंडीगढ़।

[Placed in Library, See No. LT 3412/17/21]

(ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स), पुणे।

[Placed in Library, See No. LT 3413/17/21]

(बारह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय), शिमला।

[Placed in Library, See No. LT 3414/17/21]

(तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर।

[Placed in Library, See No. LT 3415/17/21]

(चौदह)जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरुवनंतपुरम ।

[Placed in Library, See No. LT 3416/17/21]

(पंद्रह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान), गांधीग्राम।

[Placed in Library, See No. LT 3417/17/21]

(सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ।

[Placed in Library, See No. LT 3418/17/21]

(18) वर्ष 2019-2020 के लिए उपर्युक्त मद संख्या (17) में उल्लिखित जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले सोलह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत भेषजी में डिप्लोमा कोर्स हेतु शिक्षा विनियम, 2020 जो दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14-55/2020-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 3419/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, श्री बाबुल सुप्रियो जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2021-2022 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति ।(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 3420/17/21]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 382(अ) जो 27 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का पुनर्गठन, जिसमें उसमंर उल्लिखित व्यक्ति शामिल हैं, किया गया है।

(दो) का. आ. 4640(अ) जो 22 दिसंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का. आ. 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का. आ. 4278(अ) जो 27 नवंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अगस्त, 2019 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3023(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) सा.का.नि. 906(अ) जो 12 दिसंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) सा.का.नि. 113(अ) जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) सा.का.नि. 46(अ) जो 25 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का. आ. 2587(अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का पुनर्गठन, जिसमें उसमें उल्लिखित व्यक्ति शामिल हैं, किया गया है।

(आठ) का. आ. 3659(अ) जो 19 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2587(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) सा.का.नि. 714(अ) जो 13 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 3421/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, श्री रामेश्वर तेली जी की ओर से, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 3422/17/21]

17.03hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

"I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Thursday, the 5th March, 2020 adopted the following Motion in regard to the Committee on Public Accounts:-

> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven Members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May, 2020 and ending on the 30th April, 2021, and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that as a result of the election process initiated pursuant to the above Motion, five Members of Rajya Sabha were elected to the said Committee and their names were communicated to the Lok Sabha through a Message dated the 20th March, 2020 from Rajya Sabha. The election process to fill up the remaining two vacancies in the Committee having been completed during the 253rd Session of Rajya Sabha, the following

members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:-

1. Shri Bhubaneswar Kalita

2. Shri Mallikarjun Kharge

17.03 ½ hrs

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

HON. SPEAKER: The Committee on Absence of Members from the Sitting of the House in their Third Report presented to the House on 11 February, 2021 have recommended that leave of absence from the sitting of the House be granted to the following members for the period mentioned against each:-

1.	Shri Mohammed Azam Khan	02.03.2020 to 23.03.2020 & 14.09.2020 to 23.09.2020
2.	Shri Atul Kumar Singh *alias* Atul Rai	14.09.2020 to 23.09.2020; 29.01.2021 to 13.02.2021; & 08.03.2021 to 08.04.2021
3.	Shri Sanjay Shamrao Dhotre, (Minister of State)	29.01.2021 to 13.02.2021
4.	Shri V. Srinivas Prasad	29.01.2021 to 13.02.2021
5.	Shri Sridhar Kotagiri	29.01.2021 to 13.02.2021

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. SPEAKER: The leave is granted. The members will be informed accordingly.

17.04 hrs

COMMITTEE ON PETITIONS

16th to 18th Reports

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खानों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में श्री धरमबीर सिंह के अभ्यावेदन के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

(2) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा पी15ख परियोजना के कॉपर-निकेल पाइपों और कॉपर पाइपों की खरीद और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए संविदा(एं) तथा निविदा(एं) देकर अयोग्य बोली लगाने वाले अर्थात् मैसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड पर कथित रूप से विचार किए जाने संबंधी श्री योगेश सरदा के अभ्यावेदन के बारे में सत्रहवां प्रतिवेदन।

(3) दिल्ली में मोटर वाहनों की बड़े पैमाने पर चोरी के बारे में श्री आर.के. सिन्हा, संसद सदस्य, राज्य सभा द्वारा अग्रेषित श्री सुरेश श्रीवास्तव के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) द्वारा अपने पैंसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अठारहवां प्रतिवेदन।

17.04 ¼ hrs

COMMIITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN

4th Report

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I rise to present the Fourth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women (2020-2021) on Action Taken on the Recommendations/ Observations contained in the Eleventh Report (Sixteenth Lok Sabha) on the subject 'Women's Healthcare: Policy Options'

17.04 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

9th to 16th Report

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'साधारण निर्वाचनों में रक्षा सेवा कार्मिकों द्वारा परोक्षी और डाक मतदान- एक मूल्यांकन' विषय पर तेईसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) 'पहुंच मार्गों सहित रणनीतिक क्षेत्रों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमा सड़क संगठन(बीआरओ) तथा अन्य अभिकरणों के अंतर्गत ऑल वेदर रोड संपर्क का प्रावधान-एक मूल्यांकन' विषय पर पचासवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(3) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय कोस्ट गार्ड, सैन्य अभियांत्रिकी सेवा, रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कैन्टीन स्टोर विभाग, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, रक्षा पेंशन, सैनिक स्कूल (मांग सं. 18 और 21)' पर 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(4) 'सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग सं. 19 और 20)' पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(5) 'आयुध निर्माणी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 19 और 20)' पर वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(6) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय कोस्ट गार्ड, सैन्य अभियांत्रिकी सेवा, रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कैन्टीन स्टोर विभाग, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, रक्षा पेंशन, सैनिक स्कूल (मांग सं. 18,19,20 और 21)' पर 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(7) 'सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग सं. 19 और 20)' पर वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(8) 'आयुध निर्माणी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 19 और 20)' पर वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

17.04 ¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

7th to 12th Reports

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय की (ग्रामीण विकास विभाग)'अनुदानों की मांगों)2019-20)' के बारे में पहले प्रतिवेदन -गई-में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की (सत्रहवीं लोक सभा) कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(4) 'ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(5) 'ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(6) 'पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2020-2021 की अनुदानों की मांगों' के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

17.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

15th to 18th Reports

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां पंद्रहवां प्रतिवेदन।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के संबंध में समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

17.05 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in 110th and 121st Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the Functioning of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) pertaining to the Ministry of Health and Family welfare*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to lay the following statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in 110th and 121st Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on the functioning of Food Safety and Standards Authority (FSSAI) pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3340/17/21.

17.05 ¾ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 329th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 329th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 3341/17/21.

17.06 hrs

(iii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 3rd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2019-20) pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं:-

भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development*

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं**:-**

भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 3342/17/21 and 3343/17/21 respectively.

17.06 ½ hrs

ELECTION TO COMMITTEE

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Awantipora, Jammu and Kashmir and Madurai

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to move:

> "That in pursuance of Section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to each of the two All India Institute of Medical Sciences, Awantipora, Jammu & Kashmir and Madurai, subject to the other provisions of the Act."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है**:**

''कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अवंतिपुरा, जम्मू-कश्मीर तथा मदुरै स्थित दो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में से प्रत्येक के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17.07 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय अध्यक्ष : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रख सकते हैं।

(i) Need to develop NH 730C in Uttar Pradesh as link expressway

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद) : उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाला एकमात्र नेशनल हाइवे संख्या 730C को गंगा एक्सप्रेस वे से लेकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे तक NH730C को लिंक एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित करने का कष्ट करें। जिससे कि उत्तराखण्ड, पश्चिम उत्तर प्रदेश के यात्रियों, पर्यटकों को सीधे चित्रकूट, बुन्देलखंड क्षेत्र में जाने के लिए एक सुगम मार्ग मिल सके। इस मार्ग के लिंक एक्सप्रेस वे बनने से मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी एक एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। क्योंकि गंगा तट पर बसे मेरे लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेस वे लगभग 60 किलोमीटर दूर से निकल रहा है, जिससे क्षेत्र में व्यापक रोष व्याप्त है। इसके लिए NH730C को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं गंगा एक्सप्रेस वे के मध्य इसे लिंक एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित कराने का कष्ट करें।

---

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding construction of new railway lines under Jhansi Division of North Central Railway

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन गरौठा भोगनीपुर में उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी डिवीजन के अंतर्गत निम्न नई रेलवे लाइनें बिछाए जाने की अति आवश्यकता है, जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र ही नही समूचे बुंदेलखंड के लिए विकास का द्वार खोलेंगी- प्रथम- कोंच से फफूंद वाया जालौन दूरी लगभग 70 किमी, लाइन का रेलवे द्वारा किये गये सर्वेक्षण रिपोर्ट 29.12.2011 एवं पूर्व में वर्ष 1977 में जनता पार्टी के राज के समय अर्थ वर्क भी हुआ था। द्वितीय-कोंच से लहार होते हुए भिंड तक दूरी लगभग 85 किलोमीटर, तृतीय-उरई से महोबा तक दूरी लगभग 108 किलोमीटर। अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि उपरोक्त तीनो नई रेलवे लाइनें बिछाए जाने से क्षेत्रीय व्यवसायियों, गरीबों, मजदूरों, जनता को आवागमन में सुविधा होगी साथ ही लाइनों के बनने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा एवं इस रूट से बुंदेलखंड के विकास में तेजी आएगी।

(iii) Regarding increasing cases of mental disorder in the country

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH (GONDA): Mental health is in a grave situation in the country. One in every seven person suffers from mental disorder. As per a survey, 197 millions were suffering from mental disorder in 2017. This is around 14.3 per cent of the total population. Out of these, 46 and 45 millions had depression and anxiety respectively. The contribution of mental disorder to total disease burden in India in terms of Disability adjusted life years increased from 2.5 per cent in 1990 to 4.7 per cent in 2017. The major cause for this is changing social pattern and people shifting from joint family pattern to a nuclear family. There are just 6000 psychiatrists working in metros and cities, thus making them unavailable to the masses. I would request the Minister to strengthen mental health services by integrating it with general health care and to increase the number of psychiatrists by taking appropriate measures.

(iv) Regarding construction of a 100-bedded hospital in Karown block of Deoghar district in Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Santhal Pargana has always been neglected in terms of health facilities and this was a major issue during the lockdown when there were not proper health facilities for the migrant labourers and COVID-19 patients. In 2017, the then Hon. President had laid the foundation stone for 100-bedded hospital in Karown block of Deoghar district. But due to the State's negligence, the project never saw light of the day. As far as I have knowledge about Indian Parliamentary System, when the Prime Minister or President lays foundation stone of any project in the interest of nation, they can do so only after getting all the administrative clearances. Now, if the projects whose foundation stone were laid by the Hon. Prime Minister and the Hon. President of India are not completed, then how can the citizens of this nation have faith in anyone? So, my humble request is to immediately start the project so that the faith of public is restored in democracy.

(v) Need to restore 4G internet services in Jammu district, Jammu and Kashmir

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य की ओर दिलाना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से 4G इन्टरनेट को बंद किया गया था। ऐसे में कोराना संकट आना बहुत ही चुनौती देनेवाला समय बन गया। अध्यक्ष महोदय जी लॉकडाउन के समय पूरा देश घरों के अन्दर था और बच्चों की पढाई ऑनलाइन कर दी गयी। इन्टरनेट नहीं होने के कारण जम्मू कश्मीर में बच्चों की पढाई का सबसे ज्यादा नुक्सान हो रहा है। सुरक्षा को देखते हुए जम्मू कश्मीर में 4G इन्टरनेट को बंद किया गया था पर प्रशिक्षण के लिए 2 जिलों में 4G नेट चलाया गया है | मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जम्मू जिला में भी 4G नेट चालू किया जाए, जिससे वहां के युवाओं को और बच्चों को ऑनलाइन पढाई में दिक्कत न हो |

(vi) Regarding stoppage of Trains at Nandgaon Station.

DR. BHARTI PRAVIN PAWAR (DINDORI): I would like to bring to your notice that following trains 1) 01094/01093, 2) 01072/01071, 3) 05018/05017, 4) 01078/01077, 5) 02140/02139, 6) 08030/08029 were having a stoppage at Nandgaon station before pandemic in our country. Despite now the things are getting to somewhat normal and trains are back on track, the trains with the numbers stated above have curtailed their stoppages which include the Nandgaon Station in my Lok Sabha constituency. I would like to request you to add the Nandgaon station in the stoppage list of the above trains which will be beneficial to various sectors.

(vii) Regarding setting up of a washing line and a solar energy panel in Hanumangarh Railway Station, Rajasthan and also restore stalled train services in Ganganagar Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से संबंधित रेलवे समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला हनुमानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर एक वाशिंग लाइन का निर्माण और सोलर ऊर्जा पैनल स्थापित किये जाने की बहुत ही आवश्यकता है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय होने के साथ-साथ रेलवे के हब के रूप में विकसित हो सकता है, जहां से बहुत-सी एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों का संचालन होता है। भटिंडा जंक्शन जो कि हनुमानगढ़ जंक्शन से लगभग 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, में भी वाशिंग लाइन हेतु साध्य नहीं है और न ही पर्याप्त जगह उपलब्ध है, परन्तु हनुमानगढ़ में वाशिंग लाइन हेतु पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध है और इसकी साध्यता भी है। हनुमानगढ़ में कुल 300 एकड़ जमीन मौजूद है, जो कि वाशिंग लाइन के लिए पर्याप्त है। साथ ही सोलर पैनल स्थापित करने से यहां सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा और यह रेलवे स्टेशन एक ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो सकेगा।

मेरा रेल मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना काल के दौरान बंद की गई रेल सेवाओं को भी पुनः बहाल किया जाये ताकि यहां के असंख्य रेल यात्रियों, मजदूर व किसान वर्ग और सेना के जवानों को इन सेवाओं का पुनः लाभ उठाने का अवसर प्रदान हो सके।

(viii) Regarding Eastern Rajasthan Canal Project

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): My state Rajasthan covers about 10.4% of geographical area, 5.5% population, 19% livestock and 14% cultivable land, whereas it holds only 1.16% of country's surface water and 1.72% of ground water. Regarding ground water status, there are 295 blocks, out of this only 50 blocks are safe, 38 semi critical, 10 critical and 194 over exploited. Hence, development of multi-purpose irrigation & drinking water project is crucial for development of the region. Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) is planned to harvest surplus yield available in the Southern Rajasthan Rivers and transfer the deficit basins in South Eastern Rajasthan. This scheme is planned to meet the drinking-irrigation and industrial water needs of 13 districts of Southern & South-Eastern Rajasthan. Diversion of 5068 MCM water available from Rajasthan’s own catchment area is proposed in this project. The project covers 23.67% area and 41.13% population of Rajasthan. I request the Hon'ble Minister to please evaluate ERCP according to "Guidelines For Implementation of National Project" and accord National Status to the Project.

(ix) Regarding promotion of small, micro and marginal industries and their products

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय प्रधान मंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैं सरकार के वाणिज्य एवं वित्त मंत्रालय का ध्यान लघु, सूक्ष्म एवं सीमांत उद्योगों के उत्पादों तथा इकाइयों को बढ़ावा देने की जो योजना माननीय प्रधान मंत्री जी ने बनाई है, उस ओर दिलाना चाहता हूं। अभी 200 करोड़ तक शासकीय निविदाओं में स्वदेशी कम्पनियों को भाग लेने की सहूलियत दी गई है, किन्तु इससे कम लागत की जो छोटी इकाइयां हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

मेरा सुझाव है कि छोटी इकाइयों को तथा उनके उत्पादों को शासकीय खरीद में यदि अवसर मिलेगा तो आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिलेगी और ये इकाईयां अधिक अच्छी तरह से कार्य करते हुए अपना विस्तार करने में सफल होंगी। इसके साथ-साथ अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कार्य भी करेंगी। जीएसटी में भी इनको और रियायत देने की जरूरत है।

(x) Need to establish a Sainik School in Udaipur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर के अंतर्गत उपखण्ड मुख्यालय एवं पी.टी.एस. खेरवाड़ा में एक सैनिक स्कूल खोला जाए, क्योंकि खेरवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय है। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल काफी बड़ा है। यहाँ लोग काफी संख्या में हैं। यहाँ रहने वाले लोग भारतीय सेना, थल, जल एवं वायु सेना में कार्यरत हैं तथा अनेक केन्द्रीय सरकार के अधीन राजकीय सेवाएं दे रहे हैं। उनके बालकों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए सैनिक स्कूल खोला जाए। खेरवाड़ा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ स्वतंत्रता से पूर्व MBC मेवाड़ भील कोर बटालियन की स्थापना की गई थी। यह बटालियन देश के अंदर कई राज्यों में विधान सभा एवं लोक सभा चुनाव सम्पन्न कराने का कार्य एवं सुरक्षा देने का कार्य करती है। खेरवाड़ा उपमुख्यालय के अंतर्गत अनेक लोग देश के अन्य हिस्सों, राज्य सेनाओं और अन्य सरकारी उपक्रमों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

अत: उनके बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सैनिक स्कूल खोला जाना आवश्यक है।

उप खंड मुख्यालय खेरवाड़ा जिला उदयपुर एनएच-8 पर स्थित है। मैं उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित मुख्यालय पर एक सैनिक स्कूल खोलने की माँग करता हूँ।

(xi) Regarding Union Budget 2021-22

SHRI LALUBHAI B. PATEL (DAMAN AND DIU): Thanks for allowing me to put my views on the Budget 2021-2022 presented by the Hon'ble Finance, Minister Smt. Nirmala Sitharaman on 1st of February, 2021.

While welcoming the Budget, I congratulate the Hon'ble Finance Minister for the Budget in all probability be beneficial to all at all levels.

The vaccine manufactured in India has a global presence in over 100 countries and found to be very effective. An amount of Rs. 35000 Crore has been provided for production of this vaccine and it is very welcome.

Budget proposals for Railways and Roads towards Capital Expenditure will certainly benefit transportation and further connectivity.

Proposal to provide Rs. 20000 Crores to PSUs is also a welcome step but I feel that it could have been more.

The figures provided by the FM doled out to farmers during 2013-14, 2019 and 2021-2021 and the number of beneficiaries for Wheat, Paddy and Cotton are very encouraging. I fail to understand the current unrest.

As far as Fisheries are concerned, the Hon'ble FM has proposed 5 major ports and fish landing centres all on the east coast. Such a proposal could have been welcome for the west coast also running through Kerala, south Karnataka,

Goa, Maharashtra, Daman and Diu up to Gujarat in the north west as here fishing is a major industry.

Goa was liberated in 1961 along with Daman and Diu from the Portuguese. An amount of 300 Crores has been provided for the Diamond Jubilee year. Proposal to provide for Daman and Diu could also have been covered as they are also celebrating their Diamond Jubilee.

I take this opportunity to thank our Hon'ble Prime Minister Shri Narendrabhai Modiji and Hon'ble Minister Smt. Nirmala Sitharamanji for presenting a very proactive Budget. I support the Budget.

(xii) Regarding construction of dam in Kaimur district, Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम): मेरे संसदीय क्षेत्र, सासाराम (बिहार) के कैमूर जिलान्तर्गत सुअरा नदी के बायां दायां तटबंध पर ग्राम-पड़री-पंचकुइयाँ के पास बांध बनाकर अधौरा प्रखण्ड के तेलहार कुण्ड के पानी को जगदहवां बांध में गिराने की शीघ्र आवश्यकता है। इस असिंचित एवं पिछड़े क्षेत्र में सिंचाई का एकमात्र स्रोत जगदहवां बांध ही है। इस संबंध में अनेकों पत्राचार द्वारा आग्रह किया गया है, जिसके आलोक में मुझे अवगत कराया गया है कि बांध के निर्माण हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। एस.जी.ई. कंसल्टेंसी को डी.पी.आर. तैयार कर तीन माह के भीतर समर्पित करना था तथा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एवं भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, परन्तु विलम्ब के कारण किसानों में निराशा नजर आने लगी है। वर्षों से सूखाग्रस्त क्षेत्र को जितनी जल्द सिंचाई का साधन/स्रोत उपलब्ध होगा उतना ही किसानों को राहत मिलेगी।

अतः विशेष अनुरोध है कि विशेष अभिरूचि लेकर सरकार यथाशीघ्र उक्त सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु जल शक्ति मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की आधार पर जाये।

(xiii) Need to redress the grivances of Scheduled Tribes of Porbandar Parliamentary Constituency, Gujrat

श्री रमेशभाई एल. धडुक (पोरबंदर): मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि केन्द्र की सरकार माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में "सबका साथ, सबका विकास" के सूत्र को सार्थक करते हुए समाज के पिछड़े अनुसूचित जनजाति समाज के उत्कर्ष के लिए काफी अच्छा काम कर रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र पोरबन्दर, गुजरात के गीर, बरडा और आलेच के जंगलों के नेस विस्तार के रबारी, भरवाड और चारण समाज को महामहिम राष्ट्रपति जी के 29,अक्टूबर, 1956 के नोटिफिकेशन के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया। सन् 1993 में गुजरात सरकार द्वारा गठित मलकाण पंच ने नेस विस्तार में से स्थानांतरित हुए 17,551 परिवारों को आईडेन्टिफाइ किया था और माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके प्रयासों से इस समुदायों को अपना हक मिला था और हाल ही में गुजरात के वर्तमान मुख्य मंत्री श्री विजय भाई रुपाणी जी ने भी इन समुदायों को लाभ देने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इन समुदायों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करना, गुजराती में से अंग्रेजी में अनुवाद करना और जाति प्रमाण पत्र की जाँच करने का कार्य स्थगित किया है और साथ ही नेस में निवास करने वाले लोगों को मसवाडी पास इश्यु नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन समुदायों के लोगों को सरकारी योजना और सहायता का लाभ न मिलना, छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलना, सरकारी नौकरी में नियुक्ति न मिलना जैसी गंभीर समस्याओं का सामना लंबे समय से करना पड़ रहा है। मेरी ओर से सरकार से गुजारिश है कि हाल में नेस में निवास करने वाले इन सभी परिवारों तथा आईडेन्टिफाइड हुए 17,551 परिवार जो वास्तविक लाभार्थी हैं, उनके संवैधानिक हकों को सुरक्षा प्रदान की जाए और इन सारी समस्याओं का हल जल्द से जल्द राज्य सरकार निकाले। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ।

(xiv) Regarding farmers' protests

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): गणतंत्र दिवस पर राजधानी में आंदोलनकारी किसानों द्वारा किये गये हंगामे की जितनी निंदा की जाये कम है। यह गणतंत्र दिवस की गरिमा को धूमिल किये जाने का कुत्सित प्रयास है। किसान नेताओं द्वारा सारा दोष पुलिस व रैली में कथित रूप से घुस आये असामाजिक तत्वों के मत्थे मढ़ा जा रहा है। दंगा रोकते समय सैंकड़ों पुलिसकर्मी घायल होने के बावजूद पुलिस द्वारा दिखाया गया संयम प्रशंसनीय है।

यह सारा आंदोलन शुरू से ही गलत तथ्यों की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु गत अनेक दशकों तक चली चर्चा व विशेषज्ञों द्वारा संसद को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर संसद ने तीन नये कानून पारित किये हैं। यह अत्यंत खेद की बात है कि आंदोलनकारी किसान नेता इन कानूनों पर कोई चर्चा करना नहीं चाहते। बार-बार इन कानूनों को रद्द करने की मांग करने का अर्थ यह है कि किसान नेता सच का सामना नहीं करना चाहते।

ये तीनों कानून किसानों को अपनी फसल अपनी मर्जी से बेचने की व पूंजी जुटाने की आजादी दिलाने के लिये हैं। किसान नेताओं को डर है कि यदि तथ्य और तर्क के आधार पर चर्चा हुई तो किसान नेताओं की वास्तविक स्थिति उजागर हो जायेगी। सच तो यह है कि किसानों पर कोई पाबंदी नहीं है। वे पुरानी व्यवस्था से ही अपना कारोबार करने के लिये स्वतंत्र हैं। अतः नये कानून रद्द करने का कोई औचित्य व आवश्यकता भी नहीं है।

लगातार भ्रामक बातें फैलाकर भोले-भाले किसानों को उकसाकर सरकार और प्रधानमंत्री जी की छवि धूमिल करने के प्रयास को आंदोलन कहना, लोकतंत्र में हमें मिले आंदोलन करने के अधिकार का खुला दुरुपयोग है। अब सरकार को चाहिये कि तीनों कानूनों पर तथ्य व तर्कों के आधार पर खुली

व व्यापक बहस करायें। किसान नेता आंदोलन समाप्त कर इसमें शामिल हों। आम जनता भी समझ सके कि भोले-भाले किसानों को देश विरोधी ताकतें किस तरह भ्रमित कर रही हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार आज समय की आवश्यकता है। इन कानूनों में कोई बदलाव किसानों के हित और सुरक्षा हेतु किये जाने की आवश्यकता हो तो सभी स्टेट होल्डर्स से चर्चा कर सरकार निर्णय ले।

(xv) Regarding expansion of Thoppur Ghat Section, Tamil Nadu

SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Thoppur Ghat Section is witnessing an increased number of accidents and fatalities every month. The road has lots of curves and steeps, which result in difficulty in manoeuvring the heavy vehicles resulting in various accidents. Having taken up this matter with the hon. Minister of Road, Transport & Highways, it had been proposed to construct a New Lane from Hosur-Ragakottai-Palacode-Salem to Namakkal and hence immediate attention was not paid to Thoppur. But the lives of people matter and to reduce the accidents and fatalities, the Government should not wait for the new proposed road from Hosur to Namakkal, but should immediately construct a new fly-over and expand the Thoppur Ghat Section on priority basis.

(xvi) Regarding reservation in PSU jobs

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Written examinations were conducted in November 2020 for the recruitment of 269 Graduate Executive Trainees in NLC India Limited. Out of 1,582 candidates provisionally selected for the interview, 99 per cent are from other States & not from Tamil Nadu. There is suspicion and apprehension that candidates from Tamil Nadu were ignored deliberately and their chances were sabotaged.

Not announcing the individual marks of candidates is unacceptable and a gross injustice to the aspiring candidates and since the recruitment process is not transparent, I urge the Government to refrain from conducting recruitment process, till it is resolved.

I urge the Government to provide 50 per cent reservation in job opportunities for candidates from home State where the PSUs are located in the country to fulfil the regional aspirations and uphold social justice.

(xvii) Regarding shifting of dumping yard from Nandyal Station, Andhra Pradesh

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDDY (NANDYAL): In my Parliamentary Constituency of Nandyal, Andhra Pradesh, there are many cement companies and other allied industries. The raw materials for all these industries arrive by goods train and are offloaded at the dumping yard at the Nandyal station which is adjacent to the platforms number 1, 2 and 3 of the station located in the heart of the city.

The dumped raw materials are again loaded onto lorries and transported to the respective companies. Due to this, there is huge accumulation of dust and particle matter which is causing a lot of serious health problems to the passengers as well as the residents of the area. Speaker Sir, It has come to my notice that land has been identified for shifting of dumping yard on the outskirts of the city. However, due to various reasons further progress has not happened.

In this regard, I would request the Hon"ble Railway Minister through you Speaker Sir to conduct an impartial enquiry into the matter and instruct the concerned authorities to take appropriate action to shift the dumping yard permanently to some other area outside city limits.

(xviii) Need to strengthen the economy of the country

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): GST कराधान संशोधन सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर पारित किया गया था। यदि राज्य सरकार के राजस्व में कोई कमी होगी तो केंद्रीय सरकार उसकी भरपाई करेगी। आंकड़े बताते हैं कि सरकार अपने राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम नहीं है, साथ ही राज्यों की क्षतिपूर्ति करने में भी असमर्थ हैं। राज्यों को वित्त की प्रतिपूर्ति में ऐसी देरी योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को रोकती है। राज्यों को कुशलतापूर्वक शासन में रुकावट डालती है। इस समय धन की उपलब्धता अधिक महत्वपूर्ण है। देश एक आर्थिक मंदी से ग्रस्त है और हम बढ़ते बेरोजगारी संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य की बुनियादी जरूरतों के लिए सामाजिक कल्याण खर्च और लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है इसलिए इन सब बुनियादी जरूरतों को धन प्रदान करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

(xix) Need to construct a bridge on Punpun river near Gomdahi village in Nabinagar block in Aurangabad district, Bihar

श्री महाबली सिंह (काराकाट) : मैं सरकार का ध्यान पुनपुन नदी पर पुल बनाने के संबंध मे आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड के ग्राम - गोमदाही के पास पुनपुन नदी पर पुल नहीं बनाने के कारण सिमरी धमनी के तीन पंचायत के हजारों लोगों को आठ महीनों तक बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा पुल के अभाव मे इमरजेंसी सेवाओं को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी करना पड़ती है, ज्यादा दूरी तय करने के कारण मरीजों की मौत भी हो जाती है। अत: सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि नवीनगर प्रखंड के ग्राम - गोमदाही के पास पुनपुन नदी पर पुल का निर्माण अतिशीघ्र कराया जाए।

____

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, कल सदन में हमारे रक्षा मंत्री जी ने लद्दाख का मुद्दा रखा है। सारे देश की उम्मीद यह है कि लद्दाख से चीनी सेना वापस जाए और हमें स्टेटस-को एंटे मिले। स्टेटस-को एंटे के लिए हम बराबर अपनी बात रखने की कोशिश की है, फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे रह गए हैं, जिनके लिए मैं जरूरी समझता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री को देश को तथा सदन को स्पष्टीकरण देना चाहिए। बड़ी मशक्कत से हमारी फौज की बहादुरी और शौर्य से हमें पैंगगोंग लेक के साउथ में कैलाश रेंज को अपने कब्जे में किया था। कैलाश रेंज अपने कब्जे में लाने के बाद चीनी फौज और चीनी सरकार के अंदर खलबली मच गई, लेकिन अभी डिसएंगेजमेंट हो रहा है, हमारा सवाल है कि डिसएंगेजमेंट के कारण हमने कैलाश रेंज को जो सुविधा मुहैया की है, क्या हम उसे छोड़ रहे हैं? हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि वहां हमें एडवांटेज है। क्या हम एडवांटेज रख रहे हैं या ऐसा कुछ लेना-देना हो सकता है जिसे क्युइड-प्रो-क्यो कहते हैं, गिव एंड टेक पालिसी हो सकती है, क्या ऐसी कोई चर्चा हुई है या नहीं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मंत्री जी की स्टेटमेंट पर चर्चा नहीं हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष : यह शून्य काल का विषय नहीं है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह शून्य काल का विषय नहीं है और रक्षा मंत्री जी ने जो कहा है, आप उसे नहीं मान रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा, आप उसे मान रहे हो। जो रक्षा मंत्री जी ने कहा है, उसे आप नहीं मान रहे हैं। आपको रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं है। आपको देश पर गर्व होना चाहिए कि इतना बड़ा एचीवमेंट हासिल किया है।

अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई आपत्तिजनक बात कही हो, तो उसे आप डिलीट कर दीजिए, एक्सपंज कर दीजिए, लेकिन मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। देपसंग प्लेस में चीनी फौज 18 किलोमीटर तक घुसकर आ गई है और हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके चलते दौलत बेग

ओल्डी खतरे में आ गया है। …(व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि देपसंग प्लेस से चीनी फौज को हटाने के लिए इस सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की है, यह देश जानना चाहता है। मैंने अगर एक भी आपत्तिजनक बात कही हो, तो यह कह सकते हैं। मैं केवल एक लाइन कहना चाहता हूं। …(व्यवधान) "One of the most strategic and provocative incursions into the Indian territory by Chinese is in Depsang Plains. The Chinese have occupied our territory… " …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, यह शून्य काल का विषय नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण विषय है। अत: आप अलग से नोटिस दे दीजिएगा। मैं आपको मौका दे दूंगा।

… (*Interruptions*)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak in the 'Zero Hour'. …(*Interruptions*)

Yelamanchili is a large town in Visakhapatnam district of the State of Andhra Pradesh. …(*Interruptions*) This town has produced many national and international hockey players for India and abroad. Due to lack of infrastructure of proper hockey ground and coaching centre, earlier the players had to migrate to Hyderabad for their training but after bifurcation, the players from Andhra Pradesh are facing an uphill task to get themselves prepare for national and international level sports.…(*Interruptions*)

Sir, Shri H.S. Jaganmohan Reddy, our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has given a special focus to encourage sportspersons but after bifurcation, the State of Andhra Pradesh is suffering from lack of resources and

funding, as you all know. As an elected representative from Anakapalli parliamentary constituency, it is my earnest request to you to kindly sanction, from the Budget of the Ministry of Sports, funds to build up a Hockey Stadium-cum-Training Centre of national and international level and make adequate budgetary support so that Yelamanchili town can produce more talented hockey players for the country.

श्री सुनील सोरेन (दुमका): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र दुमका, झारखंड अंतर्गत जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड के कास्ता, सुल्तानपुर, पलास्थली, बेलाडंगाल, खड़ीपाटी, बड़कुटी समेत अन्य बंद कोलयरी में कोयले का प्रचुर भंडार है। ये ईसीएल की बंद कोयलरी है। यहां ईसीएल की इन बंद कोलियरी को चालू करने की दिशा में आवश्यक पहल की जाए। कई दशक पूर्व ही इस खदान को बंद कर दिया गया था, परन्तु आज भी अवैध रूप से प्रतिदिन 20-30 ट्रक कोयला का उत्खनन होता है। पहले मालगाड़ी से कोयले को अन्यत्र भेजा जाता था। इस कोलयरी के चालू होने से इस क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा और सरकार से राजस्व के साथ-साथ उन्नत किस्म का कोयला भी उपलब्ध होगा।

महोदय, आपके माध्यम से विभागीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि ऊपर वर्णित समस्याओं का निदान किया जाए, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker Sir, it is a privilege for me to refer to my alma mater, Ravenshaw College of that time and today, the Ravenshaw University. The Ravenshaw University is situated in the millennium city of Cuttack.

Ravenshaw University came into existence on the 15th day of November, 2006 and one can say that it is one of the youngest Universities in our State and its uniqueness is that it is a Unitary University. Though young in age as a University, yet I would say that it was an upgradation of Ravenshaw College established in 1868, one of the oldest and largest colleges in India, which subsequently became an autonomous College with CPE status by UGC and 'A' grade by NAAC.

The history of this great institution is, in a manner of speaking, the history of modem Odisha.

It was the cradle of ideas fostering national unity and nationalism, promoting social mobilisation and gearing up the freedom struggle. The grand Hall of this Institution was a theatre of history. On 1st April, 1936, it was the venue of the declaration of Odisha as a separate province. Thereafter, it housed the State's first Legislative Assembly up to even after Independence till it was shifted to Bhubaneswar as the new capital.

Sir, the college originally was affiliated to Calcutta University and, thereafter to Patna University in 1917 and was finally affiliated to Utkal University in 1943. The Utkal University began functioning from this campus itself. Ravenshaw as an institution is the alma mater of the most distinguished personalities of the State.

Today, this University has 27 departments of which 23 are Post Graduate Departments. All the Departments have provision for Ph.D and D.Lit programmes.

The Post Graduate courses have research facilities and 27 Undergraduate Honours course.

It is often said that Ravenshaw is the oldest and the best-known centre for higher education in Odisha. It has a legacy of 147 years as a College and 15 years as a unitary University. It is a young University but has a hoary past. The old is in the process of giving away to a new institution.

Sir, it is now in fitness of things that the Union Government should declare the Ravenshaw University as a Central University and develop it as a unique institution of national importance. There are a number of Central Universities in many States. Odisha has only one Central University which is at Koraput.

As the Ravenshaw University is centrally located and has the best tradition of pedagogy, I would request the Central Government to declare the Ravenshaw University as a Central University at the earliest.

माननीय अध्यक्ष : श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे – उपस्थित नहीं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विषय को बदलना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : बदल लें।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख के अंदर एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी।

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर मैंने एक माननीय सदस्य को नहीं बोलने दिया। आप फिर उसी विषय पर बोल रही हैं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : नो।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : इस सदन के एक संसद सदस्य झूठा प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया, मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। इसको लेकर मैं इस संसद के माध्यम से उनकी कड़ी निन्दा करती हूँ, क्योंकि जो बात रक्षा मंत्री जी ने कह दी है।

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं। आप ऐसा मत कीजिए। जब मैंने एक माननीय सदस्य को इस विषय पर नहीं बोलने दिया तो यह ठीक नहीं है।

…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी : अध्यक्ष जी, मेरी केवल एक लाइन सुन लीजिए।…(व्यवधान) भारत की सीमा फिंगर 8 तक है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, चीन जैसे विषयों पर शून्यकाल में चर्चा नहीं होगी।

…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: ये प्रचार-प्रसार कर रहे हैं फिंगर 4 का, जो कि…* है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

…(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: भारत की आर्मी और सैन्य बलों का मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रामशिरोमणि वर्मा ।

---

* Not recorded

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती व बलरामपुर की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जहाँ आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इसके कारण क्षेत्र के युवा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा/इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बहुत दूर राजधानी या अन्य शहरों में जाना पड़ता है।

महोदय, इससे न केवल उनके ऊपर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ता है, बल्कि उन्हें अपने घर-परिवार से दूर भी रहना पड़ता है। बहुत से ऐसे मेधावी छात्र हैं, जो खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या शहरों में नहीं जा सकते हैं, वे उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. वीरेन्द्र कुमार।

श्री रामशिरोमणि वर्मा: महोदय, मुझे बस एक मिनट का समय दीजिए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में अविलम्ब एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाए और उसे सरकार की नई शिक्षा नीति 2021 व सरकार द्वारा संचालित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम TEQIP (टेकीप) से जोड़ा जाए, जिससे क्षेत्र के युवा विद्यार्थियों को लाभ के साथ ही सरकार की नई शिक्षा नीति को बढ़ावा मिल सके। इससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। धन्यवाद।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ में छत्तरपुर, निवाड़ी आता है। यह व्यापार और उद्योग की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। यहां

पर टमाटर, लहसुन, अदरक, मूंगफली, सफेद मूसली का व्यापक मात्रा में उत्पादन होता है। इसके साथ ही साथ सभी तरह का दलहन और तिलहन भी यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। लेकिन यहां पर कृषि पर आधारित कोई उद्योग न होने से और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग न होने से यहां के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे स्थानों में पलायन कर जाते हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योग लगाए जाने से और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने से यहां के लोगों को रोजगार के अवसर काफी प्रशस्त होंगे। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय स्तर पर बुंदेलखंड के इन क्षेत्रों टीकमगढ़, छत्तरपुर और निवाड़ी का सर्वे कराया जाए। बुंदेलखंड वह स्थान है, जहां पर हर दो-तीन साल के बाद सूखा पड़ता है। इस कारण से लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बुंदेलखंड के इन क्षेत्रों में केन्द्रीय स्तर पर सर्वे कराकर कृषि पर आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की पहल की जाए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय सेठ (राँची): अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र रांची में ईचागढ़ विधान सभा में स्वर्णरेखा नदी पर बहुउद्देश्यीय परियोजना के तहत 185 मीटर ऊंचा चांडिल डैम 38 साल पहले बना। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति, जल विद्युत उत्पन्न करना एवं बाढ़ नियंत्रण उसका उद्देश्य था। इन चार उद्देश्यों को लेकर बांध का निर्माण किया गया। यह बांध 43000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे आस-पास के 116 गाँवों उजड़ गए हैं, परन्तु दुर्भाग्य है कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस बांध का निर्माण किया गया, वह अब तक पूरा नहीं हुआ।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जल शक्ति मंत्रालय अपने अधीन एक योजना बनाकर पाइपलाइन के द्वारा किसानों को सिंचाई का लाभ दिया जाए। विस्थापितों को भी वहां न्याय नहीं मिल पाया है। विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए कोई पैकेज अनाउंस नहीं हुआ है। मेरा आग्रह है कि उन

विस्थापितों को एक पैकेज देकर न्याय दिलाया जाए। बांध के निर्माण के 38 साल बाद भी इसका उपयोग जनहित में न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र में सकारात्मक पहल की जाए, ताकि इस बांध का लाभ रांची लोक सभा क्षेत्र की जनता को मिल सके।

महोदय, 116 गाँव विस्थापित हो चुके हैं, 19,115 परिवार प्रभावित हुए हैं और सिर्फ 14 हजार से कम लोगों को नौकरी मिली है। मेरा आग्रह है कि 35-38 साल बीतने के बाद भी, उनकी कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, उन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। मेरा आग्रह है कि जल शक्ति मंत्री इस पर ध्यान दें और पैकेज बना कर पाइपलाइन के द्वारा सिंचाई के लिए इस बांध का उपयोग कर सकते हैं।

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी (देवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदौर-जबलपुर के बीच चलने वाली ओवरनाइट एक्सप्रेस का स्टोपेज मेरे लोक सभा क्षेत्र के शुजालपुर में समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार से अहमदाबाद से वाराणसी के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस का स्टोपेज मेरे लोक सभा क्षेत्र के शाजापुर से समाप्त कर दिया गया है। इसके कारण यात्रियों को और वहां के व्यापारियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में, शुजालपुर में और शाजापुर में स्टोपेज को पुन: चालू करवाया जाए, जिससे यात्रियों को और व्यापारियों को आने वाली परेशानी से निजात मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री थोमस चाज़िकाडन – उपस्थित नहीं।

श्री मारगनी भरत – उपस्थित नहीं।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Speaker, Sir, even Members are not aware whether their names are there in the list or not. This is the problem we are facing.

माननीय अध्यक्ष : इसकी व्यवस्था कर देंगे। वैसे मैं आपको एक जानकारी दूं कि जिन भी माननीय सदस्यों का शून्य काल में नाम आता है, हमने संसद से व्यवस्था की है कि हम सब को कॉल करके बताते हैं कि आपका आज शून्य काल में नाम आया है। उन माननीय सदस्यों के पीए को प्रशिक्षित करे कि माननीय सदस्य को सूचना दें। हमने तो अलग से भी व्यवस्था कर रखी है। हम उनको बताते हैं कि आज आपका नाम शून्य काल में लॉटरी में आया है।

आपको सूचना दी जाती है, यह कॉल सेंटर से व्यवस्था है।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: लेकिन हमारे पास क्वैश्चन की लिस्ट नहीं है। सभी जवाब ऑनलाइन में है तो कैसे सप्लीमेंटरी प्रिपेयर करेंगे। ऐसे तो बहुत-बहुत मुश्किल है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहली मीटिंग में चर्चा कर ली थी। हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। 8 मार्च से जो सत्र होगा, उसमें व्यवस्था करेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उसके बारे में बता दिया है और जब जनरल परपज कमेटी की मीटिंग हुई थी तो इस विषय पर चर्चा हुई थी। 8 मार्च से जब सत्र शुरू होगा तो उसकी व्यवस्था कर देंगे। आपके सुझाव को मान लिया गया है।

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): अध्यक्ष महोदय, हमारे लोक सभा क्षेत्र इटावा में दिबियापुर और पाता ओरैया जिले में पड़ता है, जहां 80 और 90 के दशक में एनटीपीसी और गैल का प्लांट स्थापित हुआ था। इन दोनों प्लांटों में हजारों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त हुए। उसके बाद वर्ष 1987 में एक केंद्रीय विद्यालय वहां खोला गया। वह केंद्रीय विद्यालय तब से लगातार संचालित हो रहा है। इसमें अधिकारियों के बच्चों के साथ-साथ उस प्लांट में गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के किसान, जिनकी उसमें जमीन गयी है, उनके बच्चे और मजदूरों के बच्चे आसानी से एडमिशन लेकर उसमें पढ़ते।

लेकिन इस साल एनटीपीसी की आर्थिक दृष्टि से स्थिति खराब हो रही है तो उस केंद्रीय विद्यालय को बंद करने के लिए लगातार अभिभावकों को यह कहा जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय बंद किया जा रहा है और अब बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से और संगठन के अधिकारियों से अनुरोध है कि चूंकि इसमें अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं और जिन किसानों की जमीन गयी है, उनके बच्चे हैं और वहां बढ़ी संख्या में मजदूर हैं, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए उस केंद्रीय विद्यालय को विधिवत रूप से चलाया जाए। आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा यह विशेष अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष : श्री जगदम्बिका पाल – उपस्थित नहीं।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष जी, देश में पिछले कुछ वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म काफी प्रचलित हुआ है। यह ओटीटी प्लेटफॉर्म सेंसर से मुक्त होने के कारण और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उस पर ऐसे-ऐसे कंटेंट प्रसारित किए जाते हैं जिनमें वेब सीरिज में गैर जरूरी हिंसा, वॉयलेंस, ड्रग एब्यूज और विशेषकर हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं पर टिप्पणियां और उनका अभद्र चित्रण किया जाता है। मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि इसके ऊपर सेंसरशिप जैसी प्रक्रिया और एक रेग्यूलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाए, जिसके कारण इस तरह के कंटेंट और वेबसीरिज, विशेषकर युवा वर्ग पर प्रभाव डालने वाले माध्यम और उपकरण हैं, लेकिन सेंसरशिप न होने के कारण इसके अंदर प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट, जो हिन्दू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले हैं, उनको रोका जाए। धन्यवाद।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदय, इस समय देश का किसान बहुत परेशान और भ्रमित है। कुछ लोग खबर इधर को फैला रहे हैं, कुछ लोग खबर उधर को फैला रहे हैं, अल्टीमेटली किसान सफर कर रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस पर निर्णय ले और जल्द से जल्द, ताकि किसान ठीक हो सकें। हमारे देश और उसके किसानों की छवि विश्व स्तर पर ठीक हो

सके। अगर डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो जो सरकार डेढ़ साल कह रही है, उसे तीन साल के लिए पेंडिंग डाल दें। तीन साल में मुझे उम्मीद है कि झूठ और सच सब साफ हो जाएगा और जो भी फैसला सरकार लेगी, वह अच्छा रहेगा। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जान-बूझकर के कुछ खास लोग एक चर्चा फैला रहे हैं कि इसमें जाट समाज के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें केवल जाट ही नहीं, गुर्जर, पाल, सैनी, दलित, अकलियत के लोग भी हैं और सरदार भी हैं। सभी समाज के लोग हैं और सहानुभूतिपूर्वक अगर इसका निबटारा कर लें तो देश के लिए और किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरे संसार में हमारे देश का और प्रधानमंत्री जी का एक बढ़िया मैसेज जाएगा।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सर, हम मलूक नागर जी की बात से क्लब करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : थैंक्यू। आपने क्लब कर दिया है।

श्री राजू बिष्ट।

श्रीमती संगीता आजाद: सर, मेरा ज़ीरो ऑवर का विषय अलग है, उसे तो सुन लीजिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बोलिए।

…(व्यवधान)

श्रीमती संगीता आजाद: अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज में आजमगढ़, लालगंज और वाराणसी होते हुए जो मुख्य मार्ग है, उस मार्ग पर मसीरपुर मोड़ से ले कर लालगंज, बीराबाजार मोड़ के बायपास हाईवे रोड तक, जिवली, देवगांव मोड से ले कर बुढ़ऊ बाबा तक और बुढ़ऊ बाबा मंदिर से ले कर केराकत सीमा तक, देवगांव से लेकर मेहनाजपुर रोड से बसई तक समस्त सड़कें बहुत जर्जर अवस्था में हैं। मैंने कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित और पर्सनली मिल कर भी इस बात की चर्चा की है। दो-तीन साल के बाद भी अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी संबंधित अधिकारियों को आदेशित करें और इस सड़क को बनाने का कार्य किया जाए।

धन्यवाद।

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दी, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यंत और महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में टीवी पर टीवी सीरीज़, वेबसीरीज़, डिजिटल टीवी के नाम पर अश्लीलता एवं भद्दी गालियों के समावेश से मनोरंजन के नाम पर हमारी पौराणिक संस्कृति एवं सभ्यता पर प्रहार हो रहा है। आप ऐसे मनोरंजन रूपी कुकृत्य जिसकी अवधि 3-4 घंटे होती है, उसको 4-5 मिनट भी लगातार नहीं देख सकते हैं। हमारे बच्चे स्मार्ट फोन की वजह से ज्यादा देखते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रसारण मंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि उक्त कुप्रचलन को, जिसको प्रतिबंधित करने के लिए पहले से ही अनेक सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक एवं सभ्यता को संयोजित रखने वाले अनेक लोगों ने समय-समय पर न्यायालय एवं आंदोलन द्वारा भी इसे प्रतिबंधित करने के लिए आंदोलन किया है।

मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे प्रसारणों को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए। ऐसी जो सीरीज़ हैं, उनमें एल्ट बालाजी और मैक्स प्लेयर्स ही प्रमुख रूप से हैं। आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि ऐसी मनोरंजन प्रवृति पर शीघ्र ही रोक लगाई जाए।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। भारतीय खाद्य संस्था एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई द्वारा दिनांक 24.02.2020 को एक आदेश मिठाई उत्पादकों को दिया गया, जिसके तहत मिठाई की दुकानों पर मिठाई को रखने वाली थालियों पर निर्माण की तिथि एवं बेस्ट बिफोर तिथि लिखना अनिवार्य कर

दिया है, जो कि व्यावहारिक नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय मिठाई निर्माता युगों-युगों से भारतीय उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं। यह बड़े अचंभे की बात है कि एफएसएसएआई ने अचानक यह नियम लागू किया है। जबकि हमारे देश में ऐसा कोई भी नियम विदेशी व अन्य खुली किसी भी खाद्य वस्तुओं पर नहीं है। यह नियम व्यावहारिक एवं इसकी अनुपालना शक्य भी नहीं है और यह नियम केवल मात्र जटिलताओं ओर इंस्पेक्टरराज को बढ़ाने वाला है। चूंकि वर्तमान में कोरोना महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में जब उनके समक्ष अपने व्यवसाय को बचाना अधिक जरूरी है, ऐसे में इस प्रकार का जटिल नियम व्यापारिक माहौल को और अधिक कष्टकारी बनाएगा।

अत: आपके माध्यम से मैं माननीय केन्द्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि एफएसएसएआई के इस नियम को अविलम्ब निरस्त कराने का श्रम करें।

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): सर, बजट सेशन चल रहा है। मैं अपने दार्जिलिंग की कुछ बातें रखना चाहता हूं। एक समय ऐसा था, जब दार्जिलिंग का नाम विश्व पटल पर गूंजता था और पूरे देश के लिए दार्जिलिंग एक गर्व का विषय था। दार्जिलिंग क्षेत्र में हिन्दुस्तान में सबसे पहले बिजली आई। वहां टॉय ट्रेन चलती है, जिसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। चाय बागान की खूबसूरती हो या प्राकृतिक सौन्दर्य हो, सब लोग दार्जिलिंग को देखना चाहते थे। कला, संस्कृति, साहित्य में भी यह आगे था। एक समय दार्जिलिंग एजुकेशन हब था और आस-पड़ोस के बहुत सारे देशों के लोग भी यहां आकर पढ़ाई करते थे, लेकिन राज्य सरकार की लगातार अनदेखी के कारण आज स्थिति यह है कि पिछले पन्द्रह सालों से दार्जिलिंग के अन्दर पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। उसके कारण 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे, जो जनता के पैसे थे, जिन पर उनका अधिकार था, वे उन तक नहीं पहुंचे। वर्ष 2019 में हमारी पार्टी ने स्थायी राजनीतिक समाधान की बात की थी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि दार्जिलिंग, तराई और दुआर्स की जनता की जो मांग है, भारत के संविधान के अन्तर्गत स्थायी राजनीतिक समाधान हो और दार्जिलिंग, तराई और दुआर्स की जनता को न्याय मिले।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के माध्यम से मैं दिल को दहलाने वाला एक विषय उठाना चाहती हूं। महाराष्ट्र के अन्दर जिस प्रकार से एक नौ सेना के अफसर सूरज कुमार जी, जो झारखण्ड से थे और आई.एन.एस. अग्रणी, कोयम्बटूर में काम करते थे। उनको उठाकर ले जाया गया और दस-बीस लाख रुपये की फिरौती को लेकर उन्हें जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। यह पालघर का वही डिस्ट्रिक्ट है, जहां इससे पूर्व दो साधुओं की भी हत्या की गई थी। ऐसे समय में महाराष्ट्र में जिस तरीके की कानून-व्यवस्था चल रही है और एक भाजपा के कार्यकर्ता को साड़ी पहनाकर, कंगन पहनाकर पूरे बाजार में बेइज्जत करके घुमाया गया। मुझे हैरानी है कि जब इस तरीके की कानून-व्यवस्था चल रही है और ऐसे घृणित मामले सामने आ रहे हैं, अगर राज्य सरकार का कोई लेन-देन नहीं है तो उन्हें इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। पर, सच तो यह है कि महाराष्ट्र सरकार द्वेष के साथ काम कर रही है। खास तौर से, इस देश के जो दो बड़े हीरोज़ हैं, जिन्होंने इस देश के पक्ष में ट्वीट किया, उनको भी दबाने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार उसकी जांच कर रही है, लेकिन बाकी विषयों की, जो जांच करने वाले विषय हैं, उनकी जांच नहीं कर रही। ऐसे में मैं इस सदन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को चेताना चाहती हूं, आग्रह करना चाहती हूं कि आप भारत के अंग हैं और भारत के अंग में जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ खड़े हुए दिखाई न दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के लोक सभा संसदीय क्षेत्र बलिया से आता हूं, जो वर्ष 1942 के आंदोलन का केन्द्र रहा। 1857 के भी आंदोलन का केन्द्र रहा है। मंगल पाण्डे जी जिस आंदोलन का नेतृत्व करते थे, वह हमारे लोक सभा क्षेत्र में ही पड़ता है। मेरा सौभाग्य है कि इससे पहले भी मैं भदोही क्षेत्र से भी कई बार सांसद रहा, जो 1857 के नील आंदोलन का केन्द्र रहा है। वहां के लोगों ने पाली के गोदाम को फूंक दिया था। झूरी सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। 22 लोगों को इकट्ठी फाँसी हुई थी। मैंने वहां पर एक शहीद स्मारक बनवाया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1942 के आंदोलन के केन्द्र बलिया में बैरिया में जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। बलिया का बैरिया तहसील है, जहां बहुआरा है, वहां नौ लोगों ने उस आंदोलन में बलिदान दी थी। भूप नारायण सिंह, सुदर्शन सिंह, मुक्तिनाथ तिवारी का बलिदान हुआ था। वहां बैरिया में एक स्मारक बना है। गाजीपुर भी हमारे ही क्षेत्र में आता है। वहां भी मोहम्मदाबाद में एक स्मारक बना है। शेरपुर के शिवपूजन राय ने वहां बलिदान दिया था। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों के गांव को सेनानी गांव घोषित किया जाए और वहां रहने वाले लोगों को, सेनानियों को जो सुविधा प्राप्त होती है, वैसे एक सम्मान की सुविधा मिले। इससे भविष्य की पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए यह एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार का होगा, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं।

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shrimati Meenakashi Lekhi	Shri Gopal Shetty
Shri Malook Nagar	Shri Girish Chandra Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Manoj Kotak	Shri Gopal Shetty Shri Devaji Patel Dr. Sanjay Jaiswal Shrimati Meenakashi Lekhi Shrimati Rama Devi
Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Bhagirath Choudhary	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Sangeeta Azad	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Ram Shankar Katheria	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Mahendra Singh Solanky	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sanjay Seth	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Virendra Kumar	Shri Kuldeep Rai Sharma

Shri Ramshiromani Verma	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Bhartruhari Mahtab	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Sunil Soren	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Virendra Singh	Shri Kuldeep Rai Sharma

———

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 24, माननीय मंत्री जी।

17.39 hrs

***MAJOR PORT AUTHORITIES BILL, 2020**

Amendments made by Rajya Sabha

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I beg to move:

> "That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill to provide for regulation, operation and planning of Major Ports in India and to vest the administration, control and management of such ports upon the Boards of Major Port Authorities and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration:–

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, ***for*** the word "Seventy-first", the word "Seventy-second" be ***substituted.***

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 5, ***for*** the figure "2020", the figure "2021" be ***substituted.***

CLAUSE 2

3. That at page 3, line 4, ***for*** the words "expression "notify"", the words "expression "notify" and "notified"" be ***substituted.***

***The Bill was passed by Lok Sabha on the 23rd September, 2020 and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with amendments at its sitting held on the 10th February, 2021 and returned it to Lok Sabha on the same day.**

CLAUSE 54

4. That at page 19, line 24, ***for*** the words "shall be in Mumbai", the words "shall be at such a place as may be notified by the Central Government" be ***substituted.***"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"भारत में महापत्तनों के विनियमन, प्रचालन और योजना के लिए तथा महापत्तन प्राधिकारणों के बोर्डों में ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के निहित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए "

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 –

"इकहत्तरवें" शब्द **के स्थान पर** "बहत्तरवें" शब्द प्रतिस्थापित करें।

खंड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 5, -

"2020" अंक **के स्थान पर** "2021" अंक **प्रतिस्थापित** करें।

खंड 2

3. पृष्ठ 3, पंक्ति 8,-

"अधिसूचित पद" शब्दों **के स्थान पर** "अधिसूचित" और "अधिसूचित किया गया पद" शब्द **प्रतिस्थापित** करें।

<u>खंड 54</u>

4. पृष्ठ 21, पंक्ति 35,-

"मुंबई में होगा" शब्दों **<u>के स्थान पर</u>** "किसी ऐसे स्थान पर होगा, जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा" शब्द **<u>प्रतिस्थापित</u>** करें।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों संख्या 1,2,3 और 4 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"इकहत्तरवें" शब्द **के स्थान पर** "बहत्तरवें" शब्द **<u>प्रतिस्थापित</u>** करें।

<u>खंड 1</u>

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 5,-

"2020" अंक **<u>के स्थान पर</u>** "2021" अंक **<u>प्रतिस्थापित</u>** करें।

<u>खंड 2</u>

3. पृष्ठ 3, पंक्ति 8,-

"अधिसूचित पद" शब्दों **<u>के स्थान पर</u>** "अधिसूचित" और "अधिसूचित किया गया पद" शब्द **<u>प्रतिस्थापित</u>** करें।

<u>खंड 54</u>

4. पृष्ठ 21, पंक्ति 35,-

"मुंबई में होगा" शब्दों **<u>के स्थान पर</u>** "किसी ऐसे स्थान पर होगा, जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा" **<u>प्रतिस्थापित</u>** करें।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथा पारित, महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर यह सभा सहमत है।

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Sir, I beg to move:

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

____

17.42 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF THE ARBITRATION AND CONCILIATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2020
AND
ARBITRATION AND CONCILIATION (AMENDMENT) BILL, 2021

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to move the following Resolution:

> “"That this House disapproves of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 14 of 2020) promulgated by the President on 4 November, 2020."

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): I beg to move:

> “That the Bill further to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996, be taken into consideration.”

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> “कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 4 नवम्बर, 2020 को प्रख्यापित माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है।”

"कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

श्री रवि शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से थोड़ा खड़े होकर बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल हम क्यों लाएं, यह पहले ऑर्डिनेंस था, मैं बहुत सरल भाषा में बता देता हूँ। इस मामले में आपका स्वयं का बहुत अनुभव है।

माननीय अधीर रंजन जी, भारत के आर्बिट्रेशन एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया तो सेक्शन 34 में उसको हम सेटेसाइड के लिए अप्लीकेशन देते हैं। उसमें एक प्रोविजन है कि if it is in conflict with public policy, which means, the arbitration agreement or the award is induced by fraud or corruption, that is, in substance of public policy.

अगर अवार्ड को चैलेंज करना है तो यह ग्राउंड हमारे पास है, लेकिन सेक्शन 36 में स्टे का भी प्रावधान है। For a stay, you do not get automatic stay. You get a stay when you file an application for a stay. But there was no ground. Specifically speaking, even if the arbitration award is vitiated by fraud or by corruption, you could not get a stay because there was no specific provision for that. Adhir Babu, you are a Parliamentarian of long standing, with your experience of governance also. Can we deny that many times arbitration awards agreement are vitiated by fraud? People get a lot of benefits and then they start enforcing the award. When you go a little deeper, you find a lot of layers and layers of corruption.

Hon. Chairperson, without naming any party, we know of cases where the CBI is investigating and how the natural resources were awarded in complete violation of law without auction. Now they are filing one claim in America and one in England and everything is vitiated by fraud, by patent illegality, and also inducement by corruption.

17.45 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

We have done a very limited modification in this and that is that, if the court is *prima facie* satisfied that the agreement and the award is vitiated by fraud or corruption, it will stay it. That is all. This will be stayed till the decision under Section 34 is taken to set aside the award so that tax-payers money is not bartered away by these fly-by-night operators, who procure awards based upon collusive agreements, get benefits from the Government resources, bring some money, and thereafter start making all the tall claims. That is all very limited that we are doing.

We had come with the Ordinance. I think it is a pure public policy. I know some of the hon. Members have experience in the judicial affairs. We are very clear that this will be only limited to a stay till a decision is taken upon the setting of the award under Section 34. If the award is satisfied, it goes; if it is not satisfied, the interim order goes also. That is one thing.

The second amendment is, hon. Chairperson, that we had changed the arbitration ecosystem in the light of the Srikrishna Commission Report. We had

got a schedule of the qualification of the arbitrators to be appointed by the institutions. A view was taken by an eminent member from the judiciary and other arbitration community that since you are promoting institutional arbitration, let the Arbitration Council of India by regulation decide who the arbitrator will be and what their qualification shall be. I think it is a very fair feedback that we got. Therefore, instead of having sheer loot, by regulations the Arbitration Council of India will frame the eligibility etc. of arbitrator. That is all.

So, these are the two very simple amendments which we are bringing in. We had to bring in the Ordinance because of the compelling reasons. I seek the kind approval and support of the House to approve this amendment. Thank you.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, Ravi Shankar Prasad ji is a legal luminary. He is well-adept in elucidating the pros and cons of the amendments. There is no doubt about it. But I move the Statutory Resolution to disapprove the ordinance mechanism because Ordinance could be resorted only in extraordinary and emergency situations when it was felt that it was absolutely necessary. These are the issues that have long been debated in the Parliament. Even Shri Mavalankar, the former Speaker of this House, once exhorted that the issue of an Ordinance is undemocratic and cannot be justified except in extreme urgency or emergency. I do not find any cogent argument. The fact is that even after he ferreted out the rationality behind the promulgation of the Ordinance, I have failed

to subscribe to the view of hon. Minister that had warranted the promulgation of the Ordinance.

Yes, a legal luminary like Ravi Shankar Prasad ji must have smart and disingenuous sophistry at his arsenal to convince us that this is the path which needs to be pursued.

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैडम, आज अधीर बाबू बहुत कड़ी-कड़ी अंग्रेजी बोल रहे हैं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: But the fact is that the Arbitration and Conciliation Amendment Ordinance, 2020, as has been stated, was promulgated by the President of India on November 4, 2020 to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996 with an aim to ensure that all stakeholders enjoy the opportunity to ask for an unconditional stay in case the arbitration agreement or arbitral awards are attempted by fraud or corruption. This is the basic and fundamental aspect of this legislation.

I would like to allude to three features of this legislation. First, it is intended to allow stay on enforcement of award. The power of the court stems from Section 34, as you have rightly pointed out, of the parent Act which empowers the court to set aside the arbitral award. The second feature of this legislative documents lies in the retrospective application. It has inherited retrospective application from October 23, 2015 onwards. The third aspect of this legislation is qualification of arbitrators. Section 43 of the Act has been substituted to provide that the qualifications, experience and norms for accreditation of arbitrators shall be such

as may be prescribed by the regulations. The newly amended Section 43, accordingly, omits the Eighth Schedule of the Arbitration Act which laid down eligibility requirements for arbitrators. My point is that already our Judiciary has been burdened with a heap of litigations and other cases in terms of fraud, corruption, etc. I would like to ask whether it will not further exacerbate the burden of our Judiciary. People used to like arbitration instead of going to court because of time and space dimension because any solution through a court is always time-consuming. So, people used to prefer arbitration and conciliation.

I agree that we are developing and we are striving hard to make ourselves a developed nation. In a developed nation, certainly, we must have some ambitions. One ambition could be that we should have international arbitration facilities, institutional arbitration facilities. We should strive for turning more and more institutional facilities into the service of common people.

Hon. Minister, I am simply drawing your attention to one thing that the Bill, through amendment to Section 36, may open up floodgates for an exponential growth of frivolous litigation and attempts by parties to stall the operation of an award because in India, there is no dearth of unscrupulous elements. So, they may exploit this door in order to hide their intention. It may further cause wastage of time in the court.

Secondly, it is a superfluous amendment. Why am I saying it? The objective of the Bill is unnecessary considering that relevant pre-existing remedies already

exist under the parent Act. The amendment merely specifies what has always been inherent in the parent act and is superfluous. Section 34, sub-section 1(*b*) already provides that any arbitration award induced by fraud or corruption – that very term is used by the hon. Minister – would be against the public policy of India. It has already been enshrined in the parent Act.

Under Section 36, sub-section 3, parties to an arbitration award already have the right to appeal for an unconditional stay on grounds under section 34. The amendment, therefore, creates an additional entitlement to an unconditional stay. Section 36, sub-section 3 also inherently grants the courts with the power to issue unconditional stays as it may deem fit. So, it is like carrying coals to Newcastle.

The third issue is that the Bill is directly at loggerheads with the 2015 amendment which aimed at improving the arbitration land scheme by cutting down on frivolous litigation and implementing investor friendly measures. आप क्या कर रहे हैं? दोबारा इसे कॉम्पलीकेटिड कर रहे हैं। आप एक तरफ चाहते हैं कि आप यूजर्स फ्रैंडली बनें, इन्वेस्टर फ्रैंडली बनें, लेकिन दूसरी तरफ आप बारगेन करने की दिशा में आगे निकल रहे हैं।

Coming to setting up of Arbitration Council of India (ACI), the changes made to section 43 are pointless without the establishment of ACI, the body tasked with drafting regulations under the parent Act. The operability of the proposed amendment is virtually redundant unless the relevant rules to set up the ACI are notified by the Ministry of Law and Justice for which comments are invited

in March 2020 but no further action has been taken. You have not set up ACI. You are talking about accreditation policy as if you are counting chickens before the eggs are hatched. There lies the problem. I do not know why you were in so much haste in promulgating the Ordinance without preparing yourself adroitly. There lies the crux of the problem.

I am also drawing your attention that in September 2020, the Government informed the Lok Sabha that it did not maintain data on arbitration matters. It stated that however in order to address the issue of non-availability of data in arbitration matters, the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 had inserted section 43K which mandates Arbitration Council of India to maintain depository of arbitral awards made in India. Further, data on pending arbitration matters in courts State-wise is being collected and will be laid on the Table of the House.

So, my question is, if the Government does not even maintain data on arbitration, how can it realistically enhance the adoption of arbitration as a preferred mode of dispute resolution? The Eighth Schedule is being omitted through the Ordinance which lays down qualification for arbitrators in India.

<u>18.00 hrs</u>

Given that the schedule was not in force, what was the need for bring out about an Ordinance? I want to point out some aspirations of our youth. Besides, the Eighth Schedule introduced by the Amendment Act, 2019 had given a ray of

hope to the professionals working in different domains, like Advocates, Chartered Accountants, Company Secretaries, Cost Accounts, etc. to have a chance of becoming an arbitrator. This became a reason for celebration for such professionals and for their institutions as well. As I am told, some of these institutions even had started courses on Alternative Dispute Resolution to make these professionals capable of accepting the challenge, if they were appointed as arbitrators.

This move was also appreciated and welcomed by the domestic/international arbitral fraternity considering that it might have brought a phenomenal change in Indian arbitration where prominently arbitrators are appointed from retired judges leaving virtually no scope for other professionals to develop as arbitrators.

However, it appears that their joy was short lived. There is a general guesstimate that the Eighth Schedule was acting as a barrier in the way of appointment of foreign nationals as arbitrators and as such met this untimely fate. If it is the precise reason, it could have been achieved by a minor amendment in the Schedule instead of omitting it. The omission of Eighth Schedule in its entirety is highly disappointing for all professionals and experts who were fit to be appointed as an arbitrator as per the parameters set therein.

Undoubtedly, the move to make the arbitration friendly atmosphere amongst the litigants and the professionals has got a set back by omission of the Eighth Schedule.

I know that you might have got some compulsions to promulgate this Ordinance. But I am insisting and imploring that you should re-consider this matter afresh so that the loopholes, if any, could be plugged.

There are a number of issues to which I need to draw your attention to. One such issue is arbitrability of cases of oppression and mismanagement. The Bill lacks provision to address the cases of oppression and mismanagement, especially the cases of mismanagement, which cannot be left to the arbitral awards. Instead, the judiciary must handle it.

Our country has witnessed a lot of wilful default of the highest order. These can be manipulated as the cases of mere mismanagement which could be brought under the purview of the arbitrator so as to evade the court. This is the apprehension expressed by me.

If there is a shortage of time, during my right to reply I will come up with the rest of the issues.

Ravi Shankar ji, you are well aware in our country there is an existence of Competition Commission. I would like to know whether the objective intended by this legislation could not be served by our Competition Commission. If not, why? I would like to know whether we are not able to equip our Competition Commission,

which has already earned the credibility and credentials in dealing with the cases that could not be further consolidated and buttressed so as to make them more friendly to the investors, more friendly to the arbitration and conciliation. These are to be responded by you. During my right to reply, I will again try to draw your attention further.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, आपने मुझे माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदया, आर्बिट्रेशन अपने देश में पुरानी मान्यता के हिसाब से ही था। पहले गांवों मे कोई दिक्कत होती थी, कोई डिस्प्यूट होता था या कोई सिविल डिस्प्यूट होता था, तो अदालतें नहीं थीं, गांवों के पंच बैठते थें, दोनों पक्षों की बात सुनते थे और वे जो भी निर्णय करते थे, वह मान्य होता था। लेकिन जैसे-जैसे ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ा, क्षेत्र बढ़ा और आर्बिट्रेशन को कानूनी जामा पहनाने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले आर्बिट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो अदालतों की स्थिति है, अदालतों में जो पेंडिंग केसेज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट में 66,000 से ज्यादा केसेज़ पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में 56 लाख से ज्यादा केसेज़, डिस्ट्रिक्ट्स और उसके नीचे के कोर्ट्स में 3 करोड़ 73 लाख केसेज़ पेंडिंग चल रहे हैं। ऐसे काफी केसेज़ हैं, जो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। इसीलिए आर्बिट्रेशन की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1937, 1938, 1940 और उन अधिनियमों के तहत जो आर्बिट्रेशन में अवार्ड होते थे, कैसे उनको लागू किया जाए, इसके लिए उनके प्रावधान थे, क्योंकि कोर्ट्स की जो स्थिति है, वर्ल्ड बैंक की Doing Business for parameter of Enforcing Contracts रिपोर्ट 2020 में जो आई थी, उसमें इंडिया का रैंक 163वें नंबर पर था। यानी कोई एग्रीमेंट हुआ और वह लागू नहीं हुआ, तो उसको लागू करने के लिए जो इंडिया का स्टेटस है, वह 163वां है। उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट लागू करने के लिए, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने लागू नहीं किया, तो उसका डिसिज़न होने में लगभग चार साल लग जाते हैं। उसका जितना क्लेम बनता है या टोटल अमाउंट होता है, उसकी कॉस्ट करीबन 30 से 35 प्रतिशत आ जाती है। इसलिए अदालतों पर इतने ज्यादा लोड को देखते हुए आर्बिट्रेशन शुरू हुआ है। वर्ष 1996 में पुराने तीनों एक्टों को शामिल करते हुए एक नया एक्ट बनाया गया था। उसमें जो प्रावधान किए गए थे, उसी हिसाब से काम चल रहा था। इसमें एक प्रावधान था कि किसी को आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, लेकिन उसमें स्टे नहीं मिलता था, तो वर्ष 2015 में एक प्रावधान किया

गया था। मान लीजिए कि जो भी आर्बिट्रेशन की पार्टियां हैं, उनमें किसी को दिक्कत है कि गलत अवार्ड हुआ है या कुछ और हुआ है, तो उसके लिए स्टे की एप्लीकेशन लगाने का प्रावधान वर्ष 2015 में किया गया था। लेकिन उसमें अनकंडीनशल स्टे नहीं था, भले ही वह बेईमानी से बनाया गया हो, भ्रष्टाचार से बनाया गया हो या अन्य दूसरे कारणों से बनाया गया हो, लेकिन वर्ष 2015 के प्रावधान में अनकंडीशनल स्टे नहीं होता था। उसमें कोर्ट को यह देना पड़ता था कि इस कारण से स्टे की यह कंडीशन रहेगी और यह कंडीशन उस हिसाब से रहेगी, तो यह दिक्कत थी।

जैसा अभी कांग्रेस पार्टी के माननीय नेता बता रहे थे कि अनकंडीशनल स्टे वर्ष 2015 में नहीं था। यह अनकंडीशनल स्टे का प्रावधान अभी वाले अमेंडमेंड की वजह से आया है और यह जरूरी था। अगर किसी फ्रॉड या करप्शन के कारण कोई भी निर्णय प्रभावित हुआ है, तो उसके कारण जो एग्रीव्ड पार्टी है, उस अवार्ड को लागू करने के लिए जो पार्टी जीती है, वह चाहेगी की जल्दी से जल्दी से करे। लेकिन जो एग्रीव्ड पार्टी है, वह कहेगी की नहीं, यह फ्रॉड करके बनाया है, भ्रष्टाचार से अवार्ड हुआ है, तो अभी इसको लागू न किया जाए। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह तो स्टे है। जैसे ही अंत में उसका डिसिज़न हो जाएगा, तो उस डिसिज़न के हिसाब से अगर वह अवार्ड स्टैंड रहता है, तो स्टे अपने आप खारिज हो जाएगा और अवार्ड नहीं होता है, तो किसी को कुछ दिक्कत नहीं आएगी।

आज हो यह रहा है कि अगर किसी ने आर्बिट्रेशन का अवार्ड दे दिया, उस अवार्ड को लागू करने के लिए दूसरा चला गया, भले ही वह गलत हो। चूँकि उसके पास कोई स्टेक नहीं है, इसलिए वह उसे लागू करवाने के लिए जो भी कानूनी प्रावधान हैं, उसे लागू करता रहेगा। कोर्ट की स्थिति के बारे में जैसा बताया गया है कि चार-चार साल लग रहे हैं। उस हिसाब से जो अमेंडमेंट लाया गया है, वह बहुत जरूरी था।

दूसरा, माननीय सभापति महोदया, आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट वर्ष 2019 में लाया गया था। चूँकि अभी भारत में इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की कमी है। अभी भारत में एडहॉक है।

दोनों पार्टियां कहती हैं कि ठीक है, एक क्वॉलीफाइड आदमी को बैठा दिया और उसने दोनों की सुनी। उस हिसाब से कोई कॉन्स्टीट्यूशनल नहीं है। उनका तो एडहॉक की तरह हो गया, लेकिन इसको रेगुलेराइज़ करने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2019 में शेड्यूल बना कि इसमें ये-ये हो सकते हैं। इसमें आर्बिट्रेटर हैं, इंस्टीट्यूशनल हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, कोस्ट अकाउंटेंट हैं, कम्पनी सेक्रेट्रीज़ हैं। आर्बिट्रेशन काउंसिल के जो मैम्बर्स हैं, वे सब अनुभवी हैं। भले ही वे व्यवसाय में हों, शिक्षाविद् हों, इसके अध्यक्ष हाईकोर्ट जज के रैंक के बराबर के व्यक्ति हैं। इस कारण से आर्बिट्रेशन के रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स बनाने के लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया। इसके साथ-साथ अभी जो अमेंडमेंट आया है, यह ज्यादा बड़ा नहीं है। इसमें केवल पाँच क्लॉज हैं और मेन दो ही पॉइंट्स हैं। एक तो यह है कि अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड किसी फ्रॉड की वजह से, किसी करप्शन की वजह से या लेनदेन की वजह से प्रभावित हुआ हो और उस वजह से वह अवार्ड आया हो तो कोर्ट उसमें इमिडियेट स्टे दे दे। यह अमेंडमेंट अभी माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। यह आज की आवश्यकता है। वे बैक डेट, बैक डेट बोल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। अब कोर्ट में जितने भी केसेज चल रहे हैं, यह सभी पर लागू होगा। वर्ष 2015 के बाद जो भी केस लगा है, उस पर यह लागू हो सकता है।

दूसरा, जो आठवीं अनुसूची है, उसकी जगह आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का जो नया प्रावधान आया है, वह यह है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यह तय करेगी कि आर्बिट्रेटर की क्या क्वॉलिफिकेशन होनी चाहिए। उसके रूल्स रेगुलेशन्स क्या होंगे, क्योंकि जैसे चार्टेड अकाउंटेंट के लिए स्टेट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट तय करता है कि उसके क्या रूल्स और नॉर्म्स होने चाहिए, मैम्बर्स के क्या होने चाहिए, उसी हिसाब से आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट को यह सलाह देगी कि ये आर्बिट्रेटर हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में एक सबसे बड़ा आर्बिट्रेशन का हब बन जाएगा। यहाँ पर आर्बिट्रेशन के लिए काफी बड़े-बड़े नाम हैं। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट

जज आर्बिट्रेटर बनकर बड़े-बड़े केसेज़ को डील कर रहे हैं। अभी तक इंस्टीट्यूशनल न होने की वजह से, अपना कोई रूल्स-रेगुलेशन्स का फ्रेमवर्क न होने की वजह से यह नहीं चल रहा था। इसलिए यह एक आगे का कदम है ताकि भारत में एडहॉक जो ज्यादा चल रहा है, उसकी जगह अगर यह इंस्टीट्यूशनल होगा तो उससे उसमें विश्वास बढ़ेगा। सभी को यह लगेगा कि ये सही करने वाले हैं, क्योंकि काउंसिल के मैम्बर्स काफी अनुभवी हैं। उस हिसाब से यह जो लिस्ट है, उसमें चार्टेड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट लिख दिया, लेकिन उसकी एबिलिटी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगी कि इस हिसाब से आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यह अनुभव होना चाहिए। इस तरह से यह एक अच्छा कदम है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। आपने बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Madam, thank you for allowing me to speak on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021. It seeks to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The Act contains provisions to deal with domestic and international arbitration, and defines the law for conducting conciliation proceedings. The Bill replaces an Ordinance with the same provisions promulgated on November 4, 2020.

The 1996 Act allowed a party to file an application to set aside an arbitral award. Courts had interpreted this provision to mean that an automatic stay on an arbitral award would be granted the moment an application for setting aside an arbitral award was made before a court. In 2015, the Act was amended to state that an arbitral award would not be automatically stayed merely because an application is made to a court to set aside the arbitral award.

The Act specified certain qualifications, experience, and accreditation norms for arbitrators in a separate schedule. The requirements under the schedule include that the arbitrator must be: (i) an advocate under the Advocates Act, 1961 with 10 years of experience, or (ii) an officer of the Indian Legal Service, among others. Further, the general norms applicable to arbitrators include that they must be conversant with the Constitution of India. The process aids in speedy, quick and efficient resolution of disputes or conflicts.

Parties have freedom to choose an arbitrator with expert and specific knowledge on the subject matter of the dispute. Parties are also free to choose

the number of arbitrators who will be on the panel. Parties can choose their preferred date of hearing as well as trial and this furthers the speedy resolution of cases.

The arbitrators must pronounce an award within 12 months of constitution of the tribunal ensures that the process is quick. At the same time, the main disadvantages are – even though interference by the court has been considerably reduced by the 2019 amendment with the establishment of the Arbitration Council of India - there are still situations when judicial intervention is permitted, and this can cause a delay in proceedings because of judicial burden and backlog of cases. Lack of proper transcription facilities in India is resulting in hearings taking significantly longer than they should. This significantly increases the cost and time efficiencies of arbitration.

Hon. Madam Chairperson, the Union Government is showing so much concern and interest in bringing such legislative amendments for smooth and swift resolution of problems being faced by big institutions and industrialists. On behalf of my DMK party, I request you that similar concern and interest should also be shown for providing solutions to the problems being faced by farmers through suitable amendments. Thank you.

* ...* English translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Madam, I wish to speak on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021. Shri Adhir Ranjan Chowdhury has spoken at length on the need of not having brought the Ordinance. There is absolutely no reason, when you look at the small amendment that has been brought. What was the tearing hurry of the Ministry in bringing the Ordinance is not at all clear to us? The Ordinance was promulgated by the President on 4th November 2020. This is only four months since then. What have you gained in these four months? You have destroyed, harmed a legislative procedure and taken recourse to Article 123(2) of the Constitution.

So, to start with, I oppose the bringing of this Ordinance on this very trivial Bill. Now, what does this Bill do? The Bill says that it inserts a new clause that where an arbitration agreement or making of the award is induced or effected by fraud or corruption, it shall stay the award unconditionally pending disposal of the challenge, and the other one is 'qualification, experience and norms for accreditation of arbitrators shall be as may be specified by regulations'. Instead of including the qualification as was in the Eighth Schedule, it will be through regulations now.

Madam, I am speaking with trepidation in front of you, a legal luminary in the Chair, another legal luminary, Shri Ravi Shankar Prasad is also in front of me and there is one more legal luminary, Shri Pinaki Misra behind me. So, I am

surrounded by luminaries. It is a 'Bermuda Triangle'. So, you would pardon if my presentation lacks the legality that you might normally give to all arguments.

What is this Amendment all about? If I read the history, in 1996, the Arbitration and Conciliation Act consolidating the law and domestic arbitration, international commercial arbitration, enforcement of foreign arbitral award and the law relating to conciliation, this Act was based when the model law was adopted by the United Nations Commission on International Trade Law in 1985. After eleven years, we made the law. In its effort to make India a hub of international commercial arbitration and making arbitration process user friendly, cost effective and expeditious inter-alia taking into account the recommendations submitted by the Law Commission in its 246th Report, supplementary reports and suggestions, the Amendment Act was brought in 2015 during Ravi Shankar ji's tenure. Subsequently, some practical difficulties in the Amendment Act were pointed out. Then again, the Act was amended in 2019 which was enforced with effect from 30th August, 2019. So, after you brought the Act, there was one Amendment in 2015 and one more Amendment in 2019.

Now, there were some court rulings in order to address the issue of corrupt practices in securing contracts or arbitral awards. The Bill has given the power to grant unconditional stay on enforcement of arbitral awards where the underlying arbitration agreement, contract or arbitral award is induced by fraud or corruption. That is fine to omit the Eighth Schedule which had the qualifications of the people

concerned. Now, Lenin said, “one step forward, two steps backward”. This is ‘one step forward, several steps backward. Why do I say this? As somebody had commented, the Ordinance has reversed the effect of 2015 Amendments to the Act which had done away with the automatic stay on enforcement of arbitral awards upon a challenge being made under Section 34 of the Act – most certainly, a regressive step. The Ordinance has inserted a further proviso to Section 36(3) of the Act by which an award shall be unconditionally stayed pending disposal of the challenge under Section 34.

This is a regressive step, if I may say so. The Ordinance reverses the effect of 2015 which did away with the automatic stake. When you say that something is influenced by fraud or corrupt practice, it is very easy to allege the same. Then what happens? The arbitration has to wait till the court disposes of the application under Section 34. All court cases will arise and this will set back the process.

Madam, arbitration basically, you know better than me, is for two parties in a contract agreeing to arbitration in case there is a dispute. Or the court may order an arbitration if they feel that the litigation is too long. Arbitration is to cut short the legal process. This amendment will lengthen the legal process. So, while omitting the Schedule is a progressive step, putting in this amendment is a regressive step.

It has been said that we are trying to make India a hub of international arbitration. It is the fond hope of our Law Minister and rightly so. He wants to

make India a hub of international arbitration which is why he has removed all qualifications so that even the former Lord Chancellor can come and arbitrate. His fee is very high. I remember, when Siddhartha Shankar Ray was alive, he did an arbitration for McDermott and Company, an American oil company. That arbitration went on for days together and it took place in a five-star hotel, all costs paid. So, arbitration can be a very costly process.

Arbitration is mainly resorted to in engineering contracts. You see this Chamoli accident. Here, there will be arbitration going on for years because NTPC will not want to pay the contractor and the contractor will go in for arbitration, and that clause will be there in the contract.

Madam, the Minister brought the Ordinance and introduced this Bill when the Lok Sabha was in a din. People would think that this is very vital. But I can say that instead of this amendment making India a hub, it will mar India's name. No international body will want to come to India. The first amendment will shoot us in the foot. This is a phrase I borrow from my friend Pinaki Misra. What is the definition of fraud? Anybody can claim that there is a fraud, there is a corrupt practice, and you prolong the process of arbitration.

Madam, this will not ease the arbitration process nor shorten the quickness of settlement for all non-enforcement of contracts. I will still request Mr. Ravi Shankar Prasad, the eminent lawyer that he is, to do away with Clause 36(3). Let him keep the other part and do away with this. Let us hold India's image high. We

have got top-notch lawyers. Harish Salve is practising in London only. Our lawyers are receiving recognition internationally. Why should we do something that will shoot us in the foot, as my friend Pinaki Misra quoted?

With these words, I conclude.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि शाम के 6:30 बजे से प्राइवेट मेम्बर्स रिजोल्यूशन लगा हुआ है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर सभा सहमत हो, तो इस बिल के पास होने तक प्राइवेट मेम्बर्स बिल का समय आगे बढ़ा दिया जाए। इसके बाद प्राइवेट मेम्बर्स बिल ले लिया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Does the House agree with it?

SEVERAL MEMBERS: We agree, Madam.

HON. CHAIRPERSON: We are extending the time for Private Members’ Bills till we finish with this Bill.

Shri Pinaki Misra.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Chairperson, it is in the fitness of things that a legal luminary like you is in the Chair while another illustrious legal luminary has brought this Bill to this House. Madam, my predecessor speaker Prof. Sougata Ray has described it as a mixed bag. It truly is a mixed bag. The World Bank has ranked India rather lowly 163 out of 190 countries when it comes to enforcement of contracts. It is a very low position in the world today for enforcement of contracts. It shows the kind of confidence people have in the Indian legal system

for enforcement of contracts. I know this Government sometimes boldly says that we are not bothered by what rating agencies say about us in the world fora. But, by us saying we are not bothered, it does not change the factual metrics.

Doing away with the Eighth Schedule is a promising step towards enhancing the party autonomy which is central to arbitration. I remember speaking on this very subject in this House and the same hon. Law Minister was here. He nodded in appreciation then, he nods in appreciation today because this was actually a regressive step. We have now come in line with the world position which is that it cannot be totally India-centric that unless your qualifications are India-centric, you will not be qualified as an arbitrator. It is a good step and I commend that the Law Minister has done away with this and made this much more flexible and international arbitration-friendly. But in the same breath, the hon. Law Minister in his opening preface mentioned awards being passed in US, awards being passed in London, and awards being tainted by fraudulent contracts. I do not know what my learned friend meant. He did not amplify on it. I want to make it clear that I do not hold a brief for any client in this House. I only hold a brief for the image of the Government of India, the image of the Union of India as a litigant and as a contracting partner. If my learned friend Shri Ravi Shankar Prasad’s allusion is to very celebrated arbitration award which has gone against this country and which we seem to be determined to fight to bitter end and which has caused some consternation in international circles, then he is actually

against his party's own lines. I remember late Shri Arun Jaitley in this very House saying that the retrospective taxation was one of the most regressive pieces of legislation that India had ever seen and that this party and this Government would never ever would resort to it again. So, one of the arbitration awards is a direct consequence of that piece of legislation. So, I do not understand why the Government of India is hell-bent on fighting this to the bitter end. That is what my learned friend was alluding to. I leave it to his wisdom how far that was warranted.

What I find myself unable to be persuaded to agree with is the amendment to section 36(3). Section 34, as certain other hon. Members have mentioned, has already covered arbitration awards which are induced by fraud or corruption, that is, section 34(2)(b) Explanation 1(i). It is only our Parliament's drafting which can give this kind of convoluted drafting. Where else in the world will you have section 34(2)(b) Explanation 1(i)? I do not believe this kind of drafting does anybody any credit but this Parliament has passed it. But the fact of the matter is that the arbitral awards induced by fraud or corruption are already covered.

Therefore, the circumstances under which this Bill, namely the arbitration agreement or award being induced by a fraud or corruption, having been squarely covered by the earlier existing law, I do not know why you need a second tier at the stage of Section 36 again since Section 34 already covers this.

The 2015 law, as Sougata *da* rightly says, was the salutary, the good law because it said that CPC order 41, Rule 5 (1) where mere filing of an appeal does

not give you automatic stay. But the court has that sufficient leeway to ensure that there should be some kind of security in a money decree that must be furnished before a stay is granted. We are aware that it is not just a Section 34 proceeding. That will again go into an appeal. That will then go to the hon. Supreme Court by way of Article 136. So, you are looking at, at least, after the award, three more steps of appeals which can take years. Therefore, if a decree holder under an award is going to be sitting outside knocking on Indian doors, you know, for enforcement of his award, I can only understand just what trepidation international contracting parties will have with regard to Indian arbitration law and to enter into a contract where India becomes the seat of arbitration.

Why do they like London to be the seat of arbitration? Why do they like Singapore to be the seat of arbitration? It is because there the English courts have the inherent power of the courts. We understand that the English courts can be trusted with that power. Why cannot our courts be trusted with that power? Why do we want to give this law? It should be enshrined in law that a court would be *prima facie* satisfied. That is an inherent power of the court to be *prima facie* satisfied before it grants a stay. Therefore, I believe that this is a regressive law. I believe that fraud and corruption are but only two of the several grounds on which an arbitral award can be set aside under Section 34. Why have you, therefore, created this extra, illogical hierarchy now by which you have allowed the award debtors to seek an unconditional stay of enforcement by alleging fraud

and corruption to the exclusion of other Section 34 grounds? So, you have suddenly raised this to a different level. Is this being done because certain awards have come to light? I do not know. The hon. Law Minister can take this House into confidence and tell us if that is so. But I would be vastly surprised if that is the case. In any case, if one or two cases are going to immediately have the Government bring a major amendment to this House, then that in any case is not a good practice, I believe. Therefore, I would urge the hon. Law Minister that he must take a very close look at this. If you ask the experts anywhere, they are going to frown upon this kind of a stay being granted. It is because fraud is alleged in almost every case. The arbitration agreement tainted by a fraud in any case will be a part of the remit of the arbitrators. So, they would have already looked at it. There is no way that at an appeal stage, at a stay stage that a second relook of that should again be undertaken and that too sanctioned by a law. It is because the moment this Parliament passes this law, then it becomes enshrined in law. Then, it is like an overhanging cloud over the courts that oh, 'Parliament has passed this, so I must be extra-careful in looking at this *prima facie* aspect'. Therefore, the courts are bound to lean in favour of a prima facie aspect and look at this. Therefore, I have no doubt that more and more arbitral awards are going to be stayed on these grounds. It is because every court will say that it feels *prima facie* that this can be done and it will take a look at it at the merit stage. So, I would seriously urge the hon. Law Minister to take a revisit and

a relook at this. It, I believe, goes against the UNCITRAL Model Law, provision of Section 36(2) as well. It is because there is no provision there as well for courts to grant unconditional stay.

With these words, Madam Chairperson, while I commend the omission of the Eighth Schedule, that is a salutary provision, I believe the amendment to Section 36(3) is something that the hon. Law Minister needs to take this House into much greater confidence for us to have confidence that this amendment warrants the affirmation by this House.

I am very grateful to the hon. Chairperson for giving me an opportunity this time. Thank you very much.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सभापति महोदया, आपने मुझे आर्बिट्रेशन एंड कॉंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल-2021 पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्बिट्रेशन एंड कॉंसिलिएशन एक्ट 1996 जो कि प्रिंसिपल एक्ट है और यह मॉडल लॉ अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन्स, कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पर बेस्ड है। यूनाइटेड नेशन्स ने अपने मॉडल लॉ को वर्ष 1985 में अडॉप्ट किया था। समय के साथ बदलती हुए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्बिट्रेशन एंड कॉंसिलिएशन एक्ट 1996 में अमेंडमेंट जरूरी था, जिसके लिए हमारी सरकार ने आर्बिट्रेशन एंड कॉंसिलिएशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को लाया। This Ordinance has omitted the Eighth Schedule of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, जो कि क्वॉलिफिकेशन, एक्सपीरिएंस और एक्रेडिटेशन के नॉर्म्स से संबंधित है कि किस तरह से आर्बिट्रेटर्स एक्रेडिटेड होंगे। इस विधेयक के अमेंडमेंट से एमिनेंट आर्बिट्रेटर्स को पूरे भारतवर्ष में आर्बिट्रेशन करने में सुविधा होगी, जो कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की देखरेख में होगा।

महोदया, हमारी ज्यूडीशियरी ने लॉक डाउन शुरू होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवेल पर 45 लाख 73 हजार 159 केसेज को सुना। हाई कोर्ट ने 20 लाख 7 हजार 318 केसेज को सुना। वही माननीय उच्चतम न्यायालय ने 32 हजार केसेज को सुना। हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सब-ऑर्डिनेट ज्यूडीशियरी के सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं और उन्होंने सब-ऑर्डिनेट ज्यूडीशियरी को कम्प्यूटराइजेशन में महत्वपूर्ण पहल की। कोर्ट्स में अधिक से अधिक स्पेस और माननीय जजों के आवास व इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सबको न्याय मिल सके।

महोदया, इस बिल के आने से इन्फोर्समेंट ऑफ कॉंट्रैक्ट रिजीम मजबूत होगा और डोमेस्टिक व इन्टरनेशनल इन्वेस्टर्स अपने-अपने डिस्प्यूट्स को निस्तारित करने के लिए इंडिया को पसंद करेंगे।

This Bill *inter alia* has amended Section 36 of the Act relating to enforcement of arbitral award. This provision comes into picture only after the arbitral proceedings are concluded and the award is rendered.

महोदया, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सैक्शन 36 कहीं से भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, जब तक कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का कन्क्लूजन न हो। इस बिल के सैक्शन-36 में अमेंडमेंट इसलिए किए गए हैं कि यदि कोर्ट को प्राइमा-फेसी लगता है कि फ्रॉड हुआ है तो करप्ट प्रैक्टिसेज से काँट्रैक्ट या अवार्ड को अनकंडीशनल स्टे दिया जाए। आज देश में ई-लॉकडाउन और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन्स बहुत ही फास्टर, ट्रांसपेरेंट और एक्सेसिबल ऑप्शन है। देश के करीब 23 राज्यों में 8 लाख केसेज को सुना गया, जिसमें से 4 लाख **7** हजार केसेज को डिस्पोज ऑफ किया गया।

महोदया, आर्बिट्रेशन एंड कॉंसिलिएशन एक्ट-1996 को पूर्व में वर्ष 2015 एवं 2019 में भी अमेंड किया गया, ताकि नियमों को सुगम बनाया जाए एवं इंटरनेशनल ट्रेंड्स को भी हम अपने देश में बरकरार रखें, जो कि यूजर फ्रेंडली और कॉस्ट अफेक्टिव हो। वर्ष 2017 में सरकार ने institutionalisation of arbitration mechanism के लिए एक हाई लेवेल कमेटी ऑनरेबल जस्टिस श्री बीएन श्रीकृष्ण जी की अध्यक्षता में बनाई थी, जिसने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। आज सुधार का ही परिणाम है कि देश में 15 हजार 818 कोर्ट हाउस थे, जो जनवरी, 2020 में बढ़कर 19 हजार 632 हो गए। वर्ष 2014 में रेजीडेंशियल यूनिट्स 10,211 थीं, जो जनवरी, 2020 में बढ़कर 17 हजार 412 हो गईं। यह सब हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए सुधार का ही परिणाम है। वर्तमान में 2,713 कोर्ट हॉल्स और 1,893 रेजीडेंशियल यूनिट्स का निर्माण अंतिम चरण में है, जो कि एडीशनल कॉंस्ट्रक्शन में आता है।

महोदया, आज हमारा देश माननीय प्रधान मंत्री जी एवं बिहार के मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में यह बिल इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, जिसका मैं समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सभापति महोदया, आपने बहुजन समाज पार्टी व बहन कुमारी मायावती जी का पक्ष रखने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी मुझे एक जानकारी आदरणीय मिश्रा जी के वक्तव्य से मिली कि वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग के अनुसार दुनिया की आर्बिट्रेशन रैंकिंग में 190 देशों में से भारत 163वें स्थान पर है। यह अत्यन्त चिंता का विषय है। सरकार का यह व्यू है कि देश में आर्बिट्रेशन प्रमुखता से एक स्थान के रूप में उभरकर आए, जहां आर्बिट्रेशन का काम मजबूती से हो। इस तरह की रैंकिंग से कहीं न कहीं हम सभी के मन में एक अविश्वास की स्थिति पैदा होती है कि ऐसी रैंकिंग होने पर हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है। हालांकि इस बिल में कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सहमति जताई जा सकती है। खासतौर पर जो क्वॉलिफिकेशन के मापदंड हैं, उनको ओपन किया जाए, ताकि बाहरी लोग भी इसमें आकर अपने पक्ष को रख सकें और उनके लिए भी इसको खोलने का काम किया गया है। यह एक सराहनीय काम है। उसी के साथ-साथ इस एक्ट में सैक्शन-36(3) ऑफ द आर्बिट्रेशन ऐक्ट, जिसमें ये अमेंडमेंट्स किए गए हैं और बताया गया है कि-

> "The court shall grant an unconditional stay of an award if it is prima facie satisfied that: (i) the arbitration agreement, (ii) the contract which is the basis of award, or (iii) the making of the award was induced or effected by fraud or corruption."

यह कहीं न कहीं इस चीज को दर्शाता है कि बहुत सारी चीजें कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दी गई हैं और उनको इस पर कोई प्रीसिडेंट लेकर आना पड़ेगा। इसकी कोई डेफिनिशन यहां पर नहीं दी गई है। आगे चलकर भी यह देखना होगा कि किस तरह के इसमें केसेज आते हैं और क्या प्रीसिडेंट्स सेट होते हैं, जिस पर ऐक्शन लिया जा सके। इसी के साथ-साथ मेरा दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण इश्यू है, जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, which I feel that the Government has not dealt with properly is that whether an arbitration agreement or a contract is effected by fraud

or corruption is a matter of fact and ought to have been debated by the parties during the arbitration proceedings. The tribunal's reasoning the evidence would be contrary to the Proviso to Section 34(2A) of the Act, which states that:

> "An award shall not be set aside merely on the ground of an erroneous application of the law or by reappreciation of evidence"

महोदया, कहीं न कहीं जो अमेंडमेंट्स आए हैं, वह पहले दिए गए अमेंडमेंट्स को चुनौती देने का काम करते हैं।

अंत में, मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन वर्ष 2019 में जो अमेंडमेंट आया है, जो पहले फॉरेनर्स को डिस्क्वालिफाई करता था, उसको बदलकर अब फॉरेन रजिस्टर्ड लॉयर्स को लाने का काम भी इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। हम लोग और बहुजन समाज पार्टी भी इन अमेंडमेंट्स का स्वागत करती है, लेकिन उसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि वह केवल आर्बिट्रेटर्स के लिए ही लाया गया है, and not as a lawyers. हम एक प्रकार से उसकी सराहना करते हैं और इसी के साथ-साथ सैक्शन-36 को लेकर जो एक-आध मुद्दे हैं, उन पर भी सरकार को पुनर्विचार करके तब्दीली करनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam Chairperson, I must say that I stand here slightly confused. As Professor Ray has said that he is not a lawyer and we are surrounded by such able lawyers around us. I would just like to ask a couple of questions. Actually, Pinaki Misra Ji and Mahtab Ji have left very little for us to say.

I think that the most important point of concern that he has raised is: why 2015? When we are looking at it retrospectively, which even Pinaki Misra Ji has said, is there a reason? It is sort of sounding really strange. Is it made for a reason, and why is there a cut-off? In terms of cut-off, why not 13, 14, 16 or 17? Normally, this Government keeps talking about ease of doing business.

So, you have to make progressive legislations. This word 'retrospective' takes you back to the past. Why are we looking at that? What Pinaki Ji said is absolutely right. What we discussed is remembering late Arun Jaitlely Ji. He gave the economy and people of India such confidence during his tenure saying that they are really here to make a difference - whether things were right or wrong. I am not going to get into judging what happened in the past. Let us leave that. Let history judge that. But do we really need to do this? Unfortunately, what has happened? We have made a lot of changes. We have always supported this. If you are bringing in some good progressive legislation, whether you brought it or we brought it, it does not matter; then that is in the larger interests of the nation. So, why are you constantly bringing these changes? They are brought in an ad-

hoc manner. I mean sometimes I really worry what really Parliament's role is. Retrospective is a big thing but what I really feel as a Member of Parliament, I would like to bring 2-3 things to your notice.

I do not want to get into Sections 34 and 36. I think all of you have mentioned it extensively. As a Member of Parliament, I would just like to bring one thing to everybody's notice and to this august House. I think we should all put our minds together and there are so many wise people here and a larger wisdom of this group are here. Article 121 of the Constitution, Article 122 of the Constitution and Article 368 of the Constitution are very important.

If you remember Madam, yesterday Shri Premchandran Ji also raised it that constantly, we unfortunately see a conflict between Parliament and the courts. I think the Parliament's entire role is about making good progressive legislation. We do not have to be at war with the Supreme Court. Sometime we do make changes. Then, it is struck down at the hon. Court's level. So, really, where does it leave our credibility? A lot of wisdom is there in this room. I really would like to ask the hon. Law Minister of India what his thinking is. It clearly says that courts have not to inquire into proceedings of Parliament and the validity of proceedings. You know all these laws. So, I really want to know why every time we are making some rules there are very small changes being made. Do we really need to bring Ordinances for such changes? Then, the court has a view on it. So, somebody like me who is really not an expert in law will be really at a loss. I would definitely

like to quote the Government of Maharashtra's line. This happened in 2016. With the permission of the Chair, I would like to quote that the Government of Maharashtra has had a Maharashtra Arbitration Policy. All State Governments against which contract with the value of over rupees five crore shall contain an arbitration clause.

In simpler words, to explain it, for the Government agencies such as MHADA, MMRDA, which make large infrastructure contracts, it is going to make much easier for both the sides to arbitrate. It says that earlier in the case of dispute, the Government agencies used to appoint its own officials to arbitrate, a practice that was criticised by both domestic and foreign investors. Such proceedings stretch for years and final awards were eventually challenged in court by the investors. So, we now have an independent international arbitrary institution and a Government that is willing to adhere to it. We are now on par with London and Singapore where we say that if a dispute will arise, the institution appoints a neutral arbitrator that will be fixed and there would be a fee schedule and a fixed timeline for the resolution. This is the Government of Maharashtra's line. This was done in 2016. We were not in power. So, this is something good done in the past. I think governance is about continuity. So, something that has happened, we must flag it. So, I really feel that this Government even in the Budget has talked about a lot of very good infrastructure projects which are going to come in. It is very important if we are going to make so much investments in

our infrastructure projects. I would like to quote Shri Gadkari Ji also. He says a lot of good projects get held up because things are stuck in arbitration and then they go to court, they get a stay. It is like a rigmarole. You are chasing your own tail and nothing really comes out of it. It happens in national highways; and it happens in many infrastructure projects. If you are really committed to such large infrastructure projects, it is very important that we have a very good healthy arbitration system, not make those several changes, and give confidence. You keep claiming that in 'Ease of Doing Business', the Government has gone up in the ladder which is a very good thing if it is a factual situation. So, I humbly request the Government to please clarify to us about '2015'. It sounds a little bit strange and odd. I would not say the word 'fishy' because we are in Parliament. But I think we really need to introspect for a good and a robust system where everybody's interests are protected in the larger interest of the nation. Thank you.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill. There are two modes of arbitration. One, institutional arbitration where specified institutions take on the process of arbitration. Two, ad-*hoc* arbitration – arbitrators appointed by both the parties. Currently, in our country, arbitration is being conducted through the *ad-hoc* mode. If we compare ourselves with the top arbitration hubs in the world, like Singapore, Hong Kong, London, Paris, Geneva, we are lagging behind. Institutional arbitration in India has not taken off mainly because of the following factors, namely, lack of credible arbitration institutes; misconception about the relation of the institutional arbitrations; lack of governmental support for the institutional arbitration; lack of legislative support for institutional arbitration and lastly attitude of the Judiciary towards arbitration in general.

The main Arbitration Act of 1996 allowed a party to file an application to set aside the arbitrational award. The Judiciary had interpreted this provision to mean an automatic `stay’ and an arbitration award was granted the moment the application for the `set aside’ arbitration case was filed before the court. So, in 2015, the Act was amended to state that the arbitration award could not be automatically stayed. The present Bill seeks to amend Section 36 of the main Act by which the court can stay enforcement of the arbitration award unconditionally till the application for the `set aside’ of the arbitration award was filed under

Section 34 of the Arbitration Act was pending and provided the applicant was able to show *prima facie* the arbitration agreement or the contract which is based on the award influenced by fraud or corruption. I would like to know from the hon. Minister, this is very important, how would the Government ensure that the `stay' provision made is not misused by the parties. There are chances of the `stay' being misused. I would like to get some clarification from the hon. Minister about some issues which may come up due to the enforcement of this proposed amendment. I would like to know from the Government whether allegation of fraud itself could be made a subject matter of arbitration. I would like to know whether there is any provision either in the main Act or in this Bill which will clarify this position.

The provisions of this Bill clearly do not specify whether the courts can take on record additional documents which are behind the generic record of the Arbitrational Tribunal to suspend the allegation of fraud or corruption. I would also like to know from the hon. Minister whether the courts can set aside the arbitrational award under Section 34 if it is not in line with the public policy of India, without going into the merits of the case, and if *prima facie* the arbitration agreement or award was affected by fraud or any kind of corruption. When there is a contract between two parties to mutually settle their disputes through arbitration, and when an award is given by the Tribunal for the same, I would like

to know, whether the Government agencies can interfere with the operation of the award. It would be good if this point is clarified by the hon. Minister.

The hon. Minister has clarified in the opening remarks about the removal of Schedule VIII of the parent Act. This Schedule provided the criteria for appointment of arbitrators. But now it will be specified by the regulations made by the Arbitration Council of India in consultation with the Central Government.

19.00 hrs

There is no clarity on what would come out in the regulations. Qualified professionals of our country like advocates, chartered accountants, company secretaries, cost accountants, engineers, etc. had a chance of becoming arbitrators due to the presence of Schedule 8.

On the one hand, this would have gainfully utilized a large number of skilled manpower available in the country and on the other hand, it would have brought a phenomenal change in the arbitration psyche.

I would request the Government to bring out the regulations at the earliest and in line with the spirit of the Eighth Schedule. The hon. Minister, in his opening remarks, while specifying about the need for bringing out these amendments, made a very clear remark about the practice of procurement of Arbitration Award by contracting parties. He pointed out that huge layers of corruption are involved in procuring favorable Arbitral Awards. This statement by the hon. Minister puts a

huge question mark on the sanctity of the arbitration process in our country. Definitely, experts at the international level will think over this point.

Once again, I am asking the hon. Minister one question. Actually, are we having any evidence in this regard? If you are having such an evidence, why can you not come up with one or two examples?

With these suggestions and clarifications, I am supporting this Bill.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on this piece of legislation which proposes to specify conditions under which a court can stay an arbitral award. Inducement, corruption and fraud are some of the reasons given for this.

While this seems to be very reasonable and correct to narrow down the reasons on why somebody can appeal to a court, the comments given by Shri Pinaki Misra also need to be taken into consideration and I would request the hon. Minister to please do so.

The second objective is relating to the removal of the 8^{th} Schedule of the Act which deals with qualification for accreditation of arbitrators. This is, probably, because the Government does not want to come to Parliament merely to change qualification for arbitrators. This will also help the Government to invite foreign arbitrators to take part in arbitration proceedings in the country. I think, it seems

to be reasonable. So, these are the two proposals brought before the House by the Government which I welcome.

Taking advantage of this opportunity, I wish to make a few quick points for the consideration of the hon. Minister.

Madam, I hope this Bill would facilitate and help this country to better our 63rd rank in Ease of Doing Business but the main problem or dispute between parties is when there is a problem in execution or enforcement of a contract. If you look at India's rank in enforcing contracts, as many Members have mentioned before me, which is one of the constituents of Ease of Doing Business, it is not so encouraging. We are lagging far behind at 163rd position out of 190 countries and time taken for resolving a dispute here is even 1500 days.

So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to address issues related to this area. One such issue which needs to be addressed is the state of judiciary in enforcing contracts. I do not know to what extent this Bill will help in addressing that issue. There is no doubt that we are getting little success through Tribunals and alternative dispute resolution mechanism under the Arbitration Act but it is not sufficient because the problems seem to lie still with the judiciary. In other jurisdictions, there is maximum deference and minimum interference by the judiciary in the awards passed through arbitration.

So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to create a mechanism and see that there is minimum judicial interference which will help us.

The second point is that there also seems to be a problem of incongruous and flawed interpretation of various laws by various courts.

There is no consistency. So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to give Government's interpretation of what such provisions mean so that they cannot be interpreted otherwise. This, I think, will help courts and the arbitrators while interpreting the provisions.

Madam, I will give only one suggestion. My final point is: can we also think of mandating a clause in the agreement itself that parties should go to a specific institution that will conduct the arbitral proceedings if anything goes wrong? This will help to avoid showing partisanship or partiality towards arbiters appointed after the dispute arises.

One suggestion that I want to make and the Minister also, being the Minister of IT and Communications, I think, should seriously consider is that Artificial Intelligence is not being tested even in the judiciary. I am aware of some courts where experiment is being done in the State of Wisconsin in USA where they are using AI to actually produce the sentencing after the judgement is made.

So, with India's IT progress, can we also start developing Artificial Intelligence in arbitration proceedings? I think the issue of inducement, corruption, fraud, and all these things that we are trying to address here, could easily be addressed. Except for some very complicated cases, many of the simpler cases should possibly be able to be done by Artificial Intelligence also. Thank You.

HON. CHAIRPERSON: I cannot speak from here. Otherwise, I would have intervened right now. Shri Lavu Sri Krishnaji.

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021.

There are a few suggestions to be made and a few clarifications are required from the hon. Minister. First, I will start with the clarifications. This is the second amendment being done to the Arbitration Act in two years. In 2019, the Act was amended to create the Arbitration Council of India. However, till today, this Council has not been created. So, I would like to know from the hon. Minister how serious we are.

Secondly, there is an ambiguity in the Amendment Bill. The Bill says under Section 36 that a court can stay an arbitration award if the contract or the arbitration award was influenced by fraud or corruption. However, the Bill does not define fraud or corruption. There is a lot of ambiguity in this. So, I hope the hon. Minister should clear this ambiguity.

Thirdly, even after an arbitration award is given, the losing party goes to the court under Section 34 or 36 of Arbitration Act for setting aside or staying the award. This adds to the burden of the court and increases its time for dispute resolution. It defeats the logic of the arbitration process itself because you want to reduce the time to come to the conclusion. So, can we suggest that a time limit should be set on arbitration awards referred to the court? This is similar to the

time limit of 12 months for arbitration award itself. Can we do that? Can we set some time limit for the court?

Coming to suggestions, because of Corona, our courts went virtual. In 2020, around 66 lakh cases were heard virtually by District, High and Supreme Courts. The Ministry has done it fantastically. I welcome the Ministry’s effort to make 14,443 courts video conference enabled as well.

In this time, Online Dispute Resolution has also emerged as a growing sector. I request the Ministry to amend the Act which can enable Online Dispute Resolution to grow. There is a need to expand arbitrations horizontally as well as vertically across the country. This means more people should use arbitration for more types of cases. I am sure when the Act was brought in the Parliament, most of the Members must have spoken about this. But I want to convey the message again.

Regarding horizontal expansion, we need to make arbitration accessible by common man because currently it is being used largely by corporates for high value cases. Only 2.5 per cent of total cases disposed in 2020 were arbitrations and only 0.7 per cent of the pending cases are in arbitration. So, it is very low in percentage. To take arbitrations to every citizen, we may think – that is a suggestion, Sir – of 337 Permanent Lok Adalats across the country. Can they be transformed into arbitration hubs?

Today, these Permanent Lok Adalats are being used as rubber stamps and deal with only cases of public utilities like power, water, railways, insurance and telecom.

We support the Government's intent of making India an International Arbitration Hub. But we have a long way to go, because a lot of these cases, as mentioned by Shri Pinaki Mishra and others, are going to international arbitration. Even big companies do not have confidence on India. The cases like Future Group *versus* Amazon and GMR *versus* Maldives Airport went to Singapore.

As regards vertical expansion, more kinds of cases need to be brought under arbitration. In Vidya Drolia *versus* Durga Trading Corporation case, the Supreme Court said that tenancy disputes also can be arbitrated. So, maybe we should think in that direction and we should bring consumer disputes, banking disputes, and land disputes under arbitration. Asking the citizens and companies to use arbitration is one thing. But the main litigator here is the Government. The push for arbitration must come from the Government because the Government is the biggest litigant. Arbitration clauses should be added to Government and PSU contracts. Shrimati Supriya Sule has just mentioned about it. She said that the Government of Maharashtra is trying to do it.

Arbitration should be used to ensure that payments to contractors and MSMEs do not get stuck in courts and tribunals. I would like to underline the importance of strengthening Alternative Dispute Resolution mechanisms,

including arbitrations in our country. If all these things are to happen, the allocation for the Law Ministry has to be increased. The budget allocation for the Law Ministry for the coming year is only Rs. 1,500 crore which is less than half of the actual expenditure in 2019-20. So, I believe the Government is not giving enough money to actually deliver justice to the people. I believe that only 0.08 per cent of the GDP is spent on this. We speak in Parliament that six per cent of GDP should be allocated for education. But nobody is asking for increased budget allocation for the Law Ministry. So, I am trying to ask for increased allocation on behalf of the Law Minister.

If we have to expand arbitration, then we need more fiscal resources for capacity building. I hope the Government will consider my suggestions, particularly for removing the ambiguity in Section 2 of the Bill and setting up Arbitration Council for implementation of Section 3 of the Bill.

With this hope, I would like to say that YSR Congress Party supports the Bill.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Madam Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021.

Madam, alarming pendency of cases in courts, increasing litigation costs and long delays call for a swift ADR mechanism. Arbitration and Conciliation are important components of ADR mechanism and, therefore, every effort to hone up and strengthen the mechanism is a welcome step. I believe this is also a step towards strengthening the ADR system because arbitration is a very important component of the system.

Shri Pinaki Misra gave a dispassionate analysis of the amendment. After that, I do not think much is required to be said. But I have some apprehensions and I would request the hon. Minister to look into them. I would like to say that there can be no major disagreements with the intent and content of the Bill.

First of all, are courts not already well equipped with a mechanism to take cognisance of fraud and corruption wherever they come across at the initial stage when the agreement is sought to be implemented by appointment of an arbitrator or at the appellate stage? So, why should we go in for one more mechanism?

Secondly, what is good about arbitration, and for that matter, any other component of ADR system, is that it is efficient, more efficient than the run-of-the-mill court proceedings. So, we will be caught in procedural wrangles. Every time at the initial stage or later stage, when the question of fraud and corruption, which

are now open-ended concepts, are being agitated, will we not be caught up in procedural wrangles and end up with more and more appeals? As has been rightly pointed about by Shri Pinaki Mishra, it will go all the way for many appeals like first appeal, second appeal, OWP, and other litigations. So, I would request the hon. Minister to come up with some suggestion so that we curtail this right, because otherwise this will go on and it will be self-defeating and it will defeat the very purpose of ADR system.

It is because, then it will become run-of-the-mill with procedural wrangles of a law case or lawsuit in a court of law.

Secondly, expedient and affordable justice, as I said earlier, is the end game of our arbitration. But this will not make it possible, or this may, at least, frustrate that objective.

Thirdly, why should it be done retrospectively? Then, that may face a legal challenge. It is true that for a procedural, law you can go in retrospective, but here some important rights could be taken away. That also is to be considered. But our Law Minister is a legal luminary; he knows it well. This may have some kind of a challenge because we know that this is not the end word. It will have a judicial scrutiny at the level of a constitutional court.

Fourthly, day in and day out, we say that we should make it a hub of investment. When they say that they would allow 75 per cent disinvestment in the insurance sector and other sectors, all those new players expect an efficient

justice delivery system. That is one of the key factors that persuades them to come and invest. But if they find that the justice delivery system that is proposed to be given is such that even after they sign an arbitration agreement, it will land up in controversy, that may stop the investment or that may have negative impact or fallout on this investment area. So, all these areas need to be looked into.

There was a suggestion made: “Why not ask the parties to go to an institution?” That cannot be done because that will kill the very spirit of the arbitration. Arbitration means that you have a participatory role and you decide as to whom you ask for arbitration. If you say that there is already a fixed institution, that takes away the very spirit of the arbitration.

So, with these words, I expect the hon. Law Minister to just give some kind of an attention to these suggestions so that all the concerns are addressed.

Thank you.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I am thankful to you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to speak.

I rise to oppose this Bill as well as the Ordinance, as it is a clear case of abuse of the legislative process.

There have been continuous amendments to the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act. The parent Act of 1996 was comprehensively amended. It was repealed. Then, a comprehensive law came into existence in the year 2015. After having long deliberations in this House, this legislation was passed in 2015. ‘

Subsequently, in the year 2019, it was again amended. Then, in the year 2020, again they came with a piecemeal legislation to have two amendments in the original Act of 2015.

Madam, my first submission is that this piecemeal legislation is not good for a healthy legislative process. That means, the Law Ministry or the concerned Department is not putting their wisdom as to the impact of a provision which is being incorporated in the Bill. This point has not been taken care of. So, it is an absolute failure or callous attitude of the Law Ministry in drafting this Bill without having known the impact of the Bill. Does the Government know as to what would be its consequences?

That is why, I am saying that bringing of the continuous and recurrent amendments to the Arbitration and Conciliation Act of 2015 is not a good signal for a healthy legislative process. That is my first point, which I would like to make.

SHRI PINAKI MISRA: Similarly, in the IBC and Companies Act, there have been recurrent amendments.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Yes, similarly, in the Insolvency and Bankruptcy Code, there were continuous and recurrent amendments. It is giving a bad impression. People may think that it has been amended for a particular company or an individual.

Here, in this Bill also, such an apprehension is there. I am not going to mention anything about it. But because they are coming with two amendments, I would like to know the purpose of bringing them. For whom are they bringing it? They have to think about it.

This is the Parliament. It has the legislative wisdom. We are legislating a matter; we are amending this Bill. But for whom? To safeguard whose interests, is it being brought? I would come to it later on.

Madam, while coming to my second point, I would like to know the urgency in promulgation of the Ordinance. I have full regards for our hon. Law Minister.

Please explain that emergency. What is the urgency? What was the extraordinary situation prevailing in the country during the COVID-19 period so as to promulgate an Ordinance on 4th November 2020? I would like to know whether

the provisions under Article 123 are being complied with in this case of Ordinance promulgation. What was the exigency? What is the main purpose to get an unconditional stay? What is the main purpose to reclassify or redetermine the norms of accreditation of arbitrators and to re-evaluate the qualifications and experience of the arbitrators? These are the two proposed amendments put forth through this Amendment Bill. There is no emergency or exigency. What persuaded the Government or what forced the Government to bring such an Ordinance during the lockdown period or during the COVID-19 pandemic? The executive legislation by His Excellency, the President, is also an abuse of the Article 123(1). By promulgating an Ordinance to help somebody, I do not know who he is, but, definitely, it is giving a clear message that this Ordinance promulgation is not in any public interest. No such emergency or exigency is there. That is the second point. That is why, I am saying that it is an abuse of legislative functions.

The third point, Madam, is about the intent of the Bill. What was the purpose of the consolidation of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill 2015? Three purposes were mentioned – user friendly, cost effective, speedy disposal as well as neutrality of the arbitrator. These are the three principal aims by which a comprehensive legislation of 2015, the Amendment Act has come into existence. My simple question to the hon. Minister is whether these purposes are

being served by these amendments. No, they will never be served because it is having a negative impact. I will come to that point later.

As far as speedy disposal of cases is concerned, I would like to know whether this is giving unconditional stay to the proceedings or to the awardees a speedy implementation of this. So, the intent of the Bill itself is in doubt.

Now, I am coming to the amendments. The first one is regarding the unconditional stay. My learned friend Pinaki Misra has well-clarified the point. So, I need not to repeat it. But, Section 36 is very clear about it. I would like to quote Section 36(3): "Upon filing of an application for stay of the operation of the arbitral award, the Court may, subject to such conditions as it may deem fit, grant stay…" Suppose, there is a fraud, if there is a coercion or there is an undue influence or if there is corruption, definitely, the Court is having the absolute authority to grant a stay of the operation of such awards for reasons to be recorded in writing. What else is the Government required to have a stay? Where does it say 'unconditional stay'? To my limited knowledge of law, order of a stay itself is a discretion of the Court. How can you describe that unconditionally you have to provide a stay? If prima facie case of corruption and fraud is there, unconditional stay has to be granted. That is the provision by which you are going to amend Section 36 Clause 3. My point is that Section 36(3) is sufficient to grant a stay on the operation of an award. Why should you come with an unconditional stay? That is why, I am, again and again, raising the

doubt or apprehension about the intent of the legislation. It is not for any public interest because the discretion of the Court is still there. Madam, you are well-eloquent and a legal luminary. You are also a practicing lawyer. What is the meaning of ‘as the Court may deem fit’? Suppose, this amendment is carried out, let it comes to the Court, definitely, there also, whether it is a fraud, corruption, undue influence and coercion, the Court has to be satisfied that this case is deem fit for granting a stay. That is why, I am, again and again, asking what is the purpose of this amendment.

The second point, Madam, is regarding the retrospective effects. Mahtab ji is here. I could not oppose the introduction of the Bill because of the turbulence in the House.

He had made a very valid point that day. I have gone through the records in which he says that that was lacking logic and reasoning. These are the absolute words he said. The Bill lacks logic and reasoning. These two things are missing in the Bill. It provides it with retrospective effect from 2015 onwards. An explanation is given to Section 36 (3). It is very clear that the intent of the amendment and the Ordinance is just to meet some other purpose. How can you give it with retrospective effect? It means that all the cases, in which awards were already passed and appeal is pending, are going to be affected because of this particular stipulation. You are always talking about the credibility of our arbitration proceedings. We have to be the hub of the international arbitration; we want to

make India the hub of the arbitration. How will the businessmen and investors come? …(*Interruptions*) Madam, I am just concluding. I would just ask how this retrospective effect can be given to all these proceedings. That is why, I have also given a notice of amendment.

Madam, now, I come to the last amendment. The second amendment is regarding the omission of Eighth Schedule in which I differ with Shri Pinaki Misra. Kindly see the Eighth Schedule by virtue of Section 43 (j). The Eighth Schedule is very clear. What are the qualifications and experience of an arbitrator? It is well-established and general norms are applicable to the arbitrator. Now, what the Government wants is this. This is the usual and regular practice in Parliament nowadays that everything is being vested with the Executives, with the Government. It is as may be prescribed by the Government through the regulations. So, here the Parliament has the right to prescribe the qualifications of an arbitrator; the Parliament has the right to prescribe the norms by which accreditation can be done. This is being taken away. The Parliament is the right forum to describe what the qualification should be, what the experience should be, and what the norms for accreditation should be, as an arbitrator. But unfortunately, this right is being taken away from the Parliament, and it will be decided by the Executive through regulations. So, Madam, these unnecessary amendments are being brought into the House. The Ordinance promulgation as well as the Bill is lacking clarity, lacking logic, and lacking reasoning. Hence, I

strongly oppose both the Ordinance as well as the Bill. With these words, I conclude. Thank you very much.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं माननीय लॉ मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद जी का अभिनंदन करता हूं। सरकार की संवेदना किस प्रकार की है, यह इससे पता चलता है कि वर्ष 2015 में आर्बिट्रेशन बिल में संशोधन किया। इसके बाद वर्ष 2019 में संशोधन किया। नवंबर 2020 में ऑर्डिनेंस लाए और अब वर्ष 2021 में अमेंडमेंट बिल पर चर्चा कर रहे हैं।

आर्बिट्रेशन के जो मामले वर्ष 2000 से पहले हमारे देश में थे, पांच-सात साल का समय कम से कम एक आर्बिट्रेशन का निपटारा होने में लगता था। सरकार इसका संज्ञान लेते हुए और इसकी गंभीरता को देखते हुए इस प्रकार का अमेंडमेंट लाई कि एक साल में इसका निपटारा हो जाए। इसके बाद अगर फिर कोर्ट को कुछ लगे तो इसके लिए छ: महीने एक्सटैंशन का प्रोविजन किया गया है। हमने इसके बाद बहुत से केसिस के फैसले होते हुए देखे हैं।

सरकार के संज्ञान में यह भी आया कि फ्रॉड और करप्शन से गलत ऑर्डर आर्बिट्रेशन के माध्यम से लिए जाते हैं। सरकार एक बार फिर जागरूकता दिखाते हुए अमेंडमेंट लाई। इसमें परमानेंट स्टे की बात हुई है। मैं मानता हूं कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत बड़ा और अच्छा निर्णय हो रहा है। इसमें सही व्यक्ति, सही प्लेयर को न्याय देने की बात हो रही है। किस प्रकार के गलत पेपर बनाए जाते हैं, गलत ऑर्डर होते हैं, यह हम सब लोगों के लिए जानना नई बात नहीं है। इसका रास्ता निकालना आवश्यक था।

माननीय नरेन्द्र मोदी की सरकार कहती है – सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हर व्यक्ति का विश्वास जीतना सरकार की प्रियारिटी है। मैं मानता हूं इसलिए इस प्रकार का अमेंडमेंट करने का प्रयास हो रहा है।

सरकार बिल में दो बदलाव ला रही है। एक - परमानेंट स्टे की बात हुई है और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से 8वें शैड्यूल को ओमिट करके रैगुलेशन करने की बात हुई है।

एक विकासशील देश में जहां बुद्धिमान लोग काम करते हैं, अपना देश इतना बड़ा है, इन दिनों हम वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर रहे हैं, ऐसे समय में जो कमियां और खामियां हैं, उसको दुरुस्त करना इस सरकार का काम है। मैं मानता हूं कि यह हुआ है। इसका हम सब लोगों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। ऑर्डिनेंस के बारे में जब विरोध होता है, तो मैं कभी-कभी चिंता करता हूं और दुख भी व्यक्त करता हूं। किसी भी ऑर्डिनेंस में, अगर एक पक्ष को लाभ होता है और दूसरे पक्ष को नुकसान होता है, तो उसके बारे में विपक्ष को अवाज उठाने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। लोकशाही का यह अधिकार होता है। लेकिन, गलत करने वालों को रोकने के लिए भी जब सरकार ऑर्डिनेंस लाती है और जब उसके ऊपर भी जब टिप्पणी होती है, तो निश्चित रूप से हम जैसे सांसदों को यहां पर वेदना होती है। यह भी कहा गया कि लॉकडाउन के समय ऑर्डिनेंस लाने की क्या आवश्यकता थी? 4 नवम्बर को यह ऑर्डिनेंस आया था। लॉकडाउन कब खत्म होगा, कोरोना किस प्रकार का रूप धारण करेगा? वर्तमान पत्र के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग सुनते थे कि एक और वेव आ सकता है। वगैरह-वगैरह बातें सुनते थे। सरकार को गलत काम को रोकने वालों के लिए इस प्रकार का ऑर्डिनेंस लाने की आावश्यकता थी और सरकार सही ऑर्डिनेंस लायी है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए, विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा हर ऑर्डिनेंस का विरोध करना कहां तक उचित है, यह मेरे समझ में नहीं आता है।

इस बिल से हटकर मैं एक और बात करना चाहूंगा। मैंने प्रधान मंत्री जी को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। मेरे पूर्व वक्तओं ने कहा कि बहुत सारे केसेज पेंडिंग हैं। रवि शंकर प्रसाद जी तो इससे वाकिफ हैं। उन्हें इन-आउट सारी बातों की जानकारी हैं। मैं बताना हूं कि प्रधान मंत्री जी की बात को मानने वाले लोगों की संख्या अपने देश में बहुत ज्यादा है और एक लॉ मिनिस्टर के नाते आपने भी विश्वास

कायम किया है। सत्ता पक्ष में हों या विपक्ष में हों, आप जैसे लोग, अगर देश से अपील करेंगे, क्योंकि अनवांटेड केसेज बहुत सारे लोगों ने किए हैं, सभी लोगों ने केसेज न्याय पाने के लिए किया है, कम-से-कम ऐसा मैं नहीं मानता हूं। पैसे के जोर पर, जैसे करप्शन के माध्यम से, जो बातें इस बिल में हो रही हैं, पैसे के जोर से किसी को पेरशान करने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने केसेज किए हैं। स्वाभाविक है, यह ह्युमेन नेचर है कि कभी किसी को गुस्सा आता है, तो वह केस कर देता है, लेकिन बाद में उसे भी लगता है कि गलत केस किया है और बाद में विड्रा कर लेता है। लेकिन, उसको कोई कहने वाला नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, वह लम्बे समय तक चलता रहता है और ये केसेज इतने बड़े पैमाने पर कोर्ट में पेंडिग हैं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में जो लोक अदालत का प्रोविजन है। हम लोगों को लोक अदालत को ज्यादा अहमियत देना चाहिए। कुछ राज्यों में दो शिफ्टों में कोर्ट चलते हैं। पूरे देश में इसी प्रकार का एक प्रयास होना चाहिए। सरकार को आगे बढ़कर लोक अदालत के माध्यम से सारे केसेज का निपटारा कैसे हो, इसका एक प्रयास करना चाहिए।

मैं एक और छोटी बात कहना चाहूंगा, जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने भी अपने 'मन की बात में' बताया था। रवि शंकर प्रसाद जी लॉ के जो बिल ड्राफ्ट होते हैं, यह बात आपको और सरकार को भी पता है, क्योंकि किसी भी बिल की शरुआत में आप उसको पार्लियामेंट में समझाने का प्रयास करते हैं। यह बात सही है कि बिल में जो ड्राफ्टिंग लैंग्वेज होती है, वह बहुत अच्छे-अच्छे लोगों को समझ में नहीं आती है। कोई कहता नहीं है, यह बात अलग है। इसलिए, प्रधान मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि लॉ के बिल का ड्राफ्टिंग इतना आसान होना चाहिए, ताकि सामान्य व्यक्ति भी उसको पढ सके और समझ सके। उसको वकील के पास जाने की आवश्यकता न पड़े। यदि, वह जाता भी है तो कोई वकील उसको गुमराह न करे, इस बात को हमें बहुत जल्दी संज्ञान में लेना चाहिए। जब अंग्रेज देश में थे, तो उनकी मंशा यही थी कि हिन्दुस्तान के लोगों को कायदा-कानून के बारे में पता न चले और वे हैरान-परेशान हों। जब हमारा देश 70 साल का पीरियड क्रॉस करके आगे जा रहा है, तो ऐसे में लॉ की

ड्राफ्टिंग बहुत सिम्पल होनी चाहिए, ये मरी मांग है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप टिप्पणी करें। मैं एक बार फिर माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2021 का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं चाहूंगा कि रवि शंकर प्रसाद जी लोक अदालत और बिल ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज के बारे में अपनी टिप्पणी अंतिम चरण में देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): Madam, I thank you for allowing me to speak on the Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2021 which seeks to further amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The Arbitration and Conciliation Act, 1996 consolidates the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration, enforcement of foreign arbitral awards and conciliation. The Act is based on the model law adopted by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) in 1985.

Further, the Central Government had amended this Act in 2015. Subsequently, some practical difficulties in the applicability of the Amendment Act were pointed out. To address these difficulties and to promote institutional arbitration in the country, the Act was once again amended in 2019.

Meanwhile, keeping in view the court rulings and in order to address the issue of corrupt practices in securing contracts or arbitral awards, a need was felt to ensure that all the stakeholder parties get an opportunity to seek unconditional stay of enforcement of arbitral awards, where the underlying arbitration agreement or contract or making of the arbitral award is induced by fraud or corruption. Also, to promote India as a hub of international commercial arbitration

by attracting eminent arbitrators to the country, it was felt necessary to omit the Eighth Schedule of the Act.

Now, the Government brings some amendments - a second proviso to sub-section (3) of section 36 to facilitate unconditional stay by courts; to amend section 43J; and omit the Eighth Schedule - with a view to empowering the Arbitration Council of India to lay down norms and qualifications by way of regulations for the purpose of accreditation of arbitrators.

There are still some points which I would request the hon. Minister to consider. There is small scope of appeal in the arbitration award. If there is a problem with the award, there would be no scope of appeal or correction. There are a number of institutions providing the facility of arbitration; it becomes very difficult to choose among the organizations. This makes it difficult to ascertain the applicability of the laws relating to international arbitration.

One of the major issues faced during arbitration is the cross-cultural language barrier. There is always a discrepancy in the language and culture of the two regions. It becomes very difficult to bridge the gap and come to a unified solution. If the matter is complicated but the amount of money involved is modest, then the arbitrator's fees may make arbitration uneconomical. There is no opportunity to cross-examine the testimony of the witness as well. The standards used by an arbitrator are not clear. With the recent amendment adding Schedule

VII – Measuring Impartiality of Arbitrators – there is very less chance for the corporates and companies.

The Government has to establish commercial courts in all States to deal with the arbitration appeal and execution proceedings. The award NJS stamp duty has to be increased. Levy of Stamp duty increases the revenue of the States.

During award execution proceedings, the court fee has to be increased nominally. It can reduce the unnecessary execution proceedings before the court.

Arbitration proceedings have to be extended to the motor accident claim proceedings also. The victims can get their compensation in a very short period.

The Government has to encourage the establishment of district-wise private arbitration institutions. The banking institutions have to resolve their claim through arbitration.

As the Minister is present here, I would like to remind him of the long-standing demand to set up a regional branch of the Supreme Court in Chennai for the benefit of people of Tamil Nadu and other southern States. The Supreme Court has equal and sometimes even more power than the Government. So, it should be accessible to the common citizens. So many cases do not go to the Supreme Court because of a number of barriers, namely, it is inaccessible; it requires traveling to Delhi and back which is quite expensive and time consuming; there is also the issue of language etc. It is high time that we had a regional Supreme Court in Chennai.

Moreover, I request hon. Minister, through you Madam, to set up a Chennai High Court branch in Salem. Salem is located in the middle of Dharmapuri, Krishnagiri, Erode, Coimbatore, Karur, Namkkal and Kallakurichi districts of west zone in Tamil Nadu. During the British rule, these districts were called Salem Jilla. These areas' people need to travel more than 350 kilometres to get justice. Hence, I request you to set up a Chennai High Court branch in Salem.Thank you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, I would like to thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on this Bill.

Madam, as stated several times earlier, any Bill that takes the route of Ordinance brings democracy one step down in its authority and I oppose the Bill primarily for the same reason.

While introducing the Bill, the hon. Minister had said that the Bill seeks to facilitate speedy appointment of arbitrators through designated arbitral institutions. There are two issues in this statement made by the hon. Minister – speedy appointment and designated arbitral institutions. What are the designated arbitral institutions in India? As per my knowledge, they are Delhi International Arbitration Centre, New Delhi; Indian Council of Arbitration, New Delhi; Construction Industry Arbitration Council, New Delhi; LCIA India, New Delhi; International Centre for Alternative Dispute Resolution, New Delhi; and ICC Council of Arbitration, Kolkata.

It can be seen that all these institutions have framed their own rules of arbitration which would be applicable to arbitral proceedings conducted by these institutions.

Madam Chairperson, therein lies the problem. Where is the role and regulatory authority of the Indian Government lying in this set of companies that have set their own set of rules and what are the guarantees of a fair arbitration in such institutions? The Indian Council of Arbitration, as the apex body in arbitration matters in the country has handled the largest number of international cases in India.

My point is, when you observe the composition of the Indian Council of Arbitration, you will not see a single person representing the Government. The list of panel of arbitrators as seen on their website as on 21st January, 2021 is composed of former judges, advocates, engineers, chartered accountants, executives, maritime experts, businessmen, and foreign nationals. At the time when the corporate world is getting more and more greedy and profit minded, handling of arbitration must not be allowed to circumvent the presence of Government through a serving representative. The panel of arbitrators must have sufficient representation of the Government than being limited to five council representatives. Madam, I am not going into all the details because of the time. You have allotted only two minutes. I am not taking more time.

The Government in the first place amended the arbitration law to ensure that all stakeholders get an opportunity to seek unconditional stay on enforcement of arbitral awards where the agreement or contract is induced by fraud or corruption.

<u>19.42 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

Hon. Speaker, Sir, I am concluding. I am not going into the details. I would like to ask the hon. Minister, through you, Sir, what are the mechanisms to precisely determine whether any agreement is based on fraud or corruption. How could a person’s right to approach the court to impose a stay on an agreement be enforced if he is wronged?

These questions must be answered by the hon. Minister. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : विनायक जी, क्या आप बोलना चाहते हैं? आप मंत्री जी के बोलने के बाद स्पष्टीकरण कर लेना। आप मंत्री जी के बोलने के बाद में बोल लेना। हम क्लेरिफिकेशन करवा देंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सोचा कि छोटा बिल है इसलिए शायद छोटी चर्चा होगी।

माननीय अध्यक्ष : हाँ, आप छोटी चर्चा कर लीजिए। आप छोटा उत्तर दे दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मुझे एक बात की बहुत प्रसन्नता है कि मेरे विषय में, चाहे हमारे दादा हों या बाकी मित्र हों, उन्होंने वकीलों की बात की है। मैंने आज इतनी विद्वतापूर्वक टिप्पणियां देखीं, उसके लिए मैं सभी मैम्बर्स का अभिनंदन करूंगा। I want to commend the knowledge and understanding of arbitration proceedings of all the non-lawyer Members also, and I am placing on record my deep appreciation the way all of you have conducted. Due to paucity of time, I am not going into details of all the names.

सर, मैं पहले कुछ जनरल बातें कहना चाहता हूँ। इस पर काफी चर्चा की गई है। I will speak both in English and Hindi languages. It was said that what are we doing, India's ranking in the Ease of Doing Business, etc., etc. मैं इस हाउस को दो-तीन बातें बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार भारत को ईमानदारी से आर्बिट्रेशन का एक हब बनाना चाहती है और हम बनाएंगे भी। We will make India a big hub of international and domestic arbitration, and all these exercises are basically designed for that purpose. अगर इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां महसूस हुई तो हमें लगा कि इसे ठीक करना चाहिए। But just to recall value, Sir, मैं आते ही विभाग को देख रहा था। We set up a big Committee headed by Justice Srikrishna, former Supreme Court Judge. Many other retired judges were there to give recommendations.

What did he recommend? Shri Galla said that India needs to have a big fillip for institutional arbitration. I want to convey to this House that I have got all

this list. Today, India has got 36 institutional arbitrations. I want India to have 500 institutional arbitrations. I want India to have district level institutional arbitration. सर, जब मैं यह बिल बना रहा था, मैंने अपने विभाग को कहा कि जरा मुझे मैप पर दिखाओ कि कहां-कहां ऐसे इंस्टीट्यूशन्स हैं। To my utter shock and surprise, whole of North India except Delhi, whole of Eastern India except Kolkata, including your State and my State, had no institutional arbitration. मैंने कहा कि ऐसा काम नहीं चलेगा। Then we created a proper Arbitration Council of India, which shall grade institutions. अब बार-बार लोग कह रहे हैं कि डिले होता है। एक अच्छे ग्रेडेड इंस्टीट्युशन का एक प्रिंसिपल यह भी होगा कि इनके यहां आर्बिट्रेशन का फैसला कितने दिन में होता है। And the institution which delivers it fast will have greater clientele and greater acceptability. An institution where decisions are taken on merit and integrity, and not on corruption will have greater acceptability. An institution where the arbitrators are more qualified and diverse will have greater acceptability.

Shri Galla, I wish to tell you that when I was making this Bill, I said that technology is a very extraordinary subject. Everything cannot be done by judges only. Can we have eminent people of technology to decide technological disputes? We must have that flexibility. Therefore, the first thing which we did today is removing the Eighth Schedule. I must compliment as the idea came from your suggestion that we must give the flexibility to the Arbitration Council of India to lay down the norms of eligibility of the arbitrators.

I want to make it very clear that foreign arbitrators are welcome in India. I am not saying this just today. Please see Section 11. I would like to read that. I thought that I must clarify this confusion from the floor of this House itself. It clearly says, “A person of any nationality may be made an arbitrator”. भारत क्या, दुनिया में कहीं से भी आर्बिट्रेटर्स आ जाएं, उसके लिए इसमें कोई बदलाव करना जरूरी है। We have a very open mind regarding that. India welcomes arbitrators of any nationality. As the Law Minister, I am making this statement very clearly on the floor of the House. If you want to make a hub of this, then we must give autonomy to the institutions, and, therefore, we are promoting institutional arbitration in India, both for international and domestic arbitration. Therefore, that is the scheme of the Act.

Certain issues were raised. You can see why we are bringing in the amendment. Shri Premachandran, you have a problem. I always appreciate your great perseverance in opposing with such eloquence from 2014 when we have been drafting so many laws. I salute that. But I would take a contrary view that if there is any hiccup in the implementation of the law, an open Government must do the correction so that the law works in a very flawless manner instead of allowing more and more confusion in the courts. I see it in that way and that is why we have done that. सर, बहुत लोगों ने बात की कि इसका कांट्रैक्ट में क्या स्थान है, क्या नहीं? मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं। India’s overall ranking in the ease of doing business in 2015 was 142. Now, in 2022 it is 63. Just see in five years’ time how much growth we have done in the ease of doing business. In terms of

enforcement of contract, Shri Pinaki Misra, we were ranked at 186 in 2015 and now we are at 163. We have jumped more than 20 ranks. Of course, we need to jump more. अपना रास्ता ठीक है, यह मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूं। दुनिया यह भी देखेगी कि नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद भारत का रास्ता सही है और आगे जा रहा है और हम जाएंगे, यह बड़े अदब से मैं आपको कहना चाहता हूं।

We have also changed the performance of contract. उसमें पहले ऐसा था कि अगर कांट्रैक्ट नहीं हुआ तो खाली डैमेज लाओ और घर जाओ। हमने इसे अमेंड किया कि नहीं, enforcement of contract is the primary pre-condition.

अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरी पार्टी से कराकर उससे डैमेज वसूल करेंगे। We have taken a lot of steps in pursuit of ease of doing business and we shall continue to do that. सर, बहुत सारी बातें की गई हैं कि भारत में लोग क्यों आएंगे। भारत में लोग इसलिए आएंगे कि भारत में बिज़नेस करने का अच्छा अवसर है, भारत में इसलिए आएंगे कि भारत में टेलेंटेड लोग हैं, भारत में इसलिए आएंगे कि भारत में human resource is very competent in the field of technology, in the field of law. मैं आज बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं और यह बात मैंने दुनिया के फोरम पर भी कही है। India has some of the finest lawyers in the world; India has some of the finest judges in the world, but I see a new kind of monopoly happening in arbitration proceedings. Why? I am staring at you. Why? …(*Interruptions*). इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लॉ मिनिस्टर को कोई संकेत न बोलने दीजिए, आप समझ गए। …(व्यवधान) आज मुझसे बहुत सवाल पूछे गए हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के जज़ेज को भी दुनिया में उस तरह से इज्जत मिले, जिसके वे लायक हैं and I am very clear, my good friend. Any kind of new imperialism in the arbitration adjudication is not

acceptable to me. India is a rising power and therefore, India’s judges, India’s lawyers should also be given due respect globally. सर, एक बात और आती है कि आपने किया क्यों है? मैं आर्डिनेंस पर बाद में आऊंगा। दुनिया का दस्तूर क्या बन रहा है, इस विषय पर मैंने दुनिया में देखा, मैं लंदन गया, बाकी जगहों पर गया, दुनिया में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, उसको लेकर बड़ी मशक्कत है। There is a great sense of unease, globally speaking, on the manner in which Bilateral Investment Treaty arbitration adjudication has been conducted. Why? सर, कहानी क्या है। आपने कहा कि हम आपके यहां सौ मिलियन रुपये इन्वेस्ट करेंगे। आपने 10 मिलियन या 15 मिलियन इन्वेस्ट किया, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब इस देश में आपके अनुसार बात नहीं हुई, आपने इण्टरनेशनल आर्बिट्रेशन कर दिया। I want 100 million damages because my time is spent on such and such things. सर, क्षमा करिए, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि कई छोटे-छोटे देशों ने कहा कि हम तो टूट जाएंगे। जिस तरह से बाइलेट्रल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इतने छोटे-छोटे देशों के खिलाफ चल रही है। When I started, I was amazed myself why is it that in Bilateral Investment Treaties, we do not see punitive damages against big countries like Europe and America. Why? Today, be it South Africa, be it Russia, all of them are having a great sense of unease that they do not want to join this international architecture of Bilateral Investment Treaties. ये सब भारत की ओर देखते हैं कि भारत क्या कर रहा है? भारत का जो पूरा आर्किटेक्चर हमने कहा है कि दुनिया को हमें एक रास्ता दिखाना पड़ेगा कि हम ईमानदारी से विदेश के लोगों को यहां लाना चाहते हैं। विदेशी आर्बिट्रेटर्स भी आएं, विदेशी कंपनियां भी आएं, उनको हम पूरी सहूलियत देंगे। We will give all the facilities to have a complete, good and friendly arbitration regime for quick adjudication of the disputes. मैं इसको देखता हूं और आज कई सवाल

किए गए हैं, इसलिए मुझे इसको व्यापकता में बताना पड़ा। मैंने इसलिए कहा कि भारत में एक बार यह पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस अपने आप डेवलप करेंगे कि एक सिंगापुर ही नहीं, हमारी कोशिश है कि भारत में कई सिंगापुर बनें। ऐसे इंस्टीट्यूशंस आज मुंबई में हैं और बाकी जगहों पर हैं। They can develop. वे उसमें काम करना चाहेंगे। अब बात आती है कि हम लाए क्यों। मैंने पहले भी कहा था कि सेक्शन 34 में एक बात का प्रावधान है कि अगर करप्शन और फ्रॉड से कोई एग्रीमेंट है तो पब्लिक पॉलिसी के दायरे में आएगा और उसके आधार पर भी आर्बिट्रेशन को आप एग्जामिन कर सकते हैं कि कैसे डिसाइड किया जाए। एक बात जो नई देखी जाती है, वह बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने लॉ में इसी सदन में पारित किया है और वह बहुत ही सुंदर शब्द है, आप मेरिट पर नहीं देखेंगे तो क्विक होना चाहिए, लेकिन उसमें एक बात और कही है, "The award is in conflict with the public policy of India only if it was induced by fraud or corruption or it is in conflict with the most basic notions of morality or justice."

नैतिकता और न्याय की बड़ी प्रारंभिक मान्यताओं से भी वह निर्णय मेल नहीं खाता है, तो यह भी विचार हो सकता है। मुझसे बहुत सवाल पूछे गए हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक अवार्ड हो गया और एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट और अवार्ड होने के बाद ऐसा पाया गया कि इसमें भारी फ्रॉड हुआ है। इसमें अधिकारियों ने घूस लिया है और इसमें ठेकेदार ने घूस दिया है। सर, क्या किया जाए? कहीं सीबीआई इंक्वायरी की बात चल रही है, कहीं एफआईआर हो रहा है। चूंकि अवार्ड हो गया, इसलिए स्टे नहीं होना चाहिए। कानून को इतना मिनी नहीं होना चाहिए।

Yes, they have a point that : "Why you have to make it when it is already there in Section 34? It is because we had said that there shall be no automatic stay. Therefore, from that automatic stay we are giving this window that if the

court is *prima facie* satisfied, सर, आपको बहुत ज्यादा अनुभव है। *Prima facie* satisfaction का एक आधार होता है। क्या एफआईआर फाइल करने से ही कॉग्निजेन्स होता है, यह नहीं होता है। इंक्वायरी होती है, पुलिस रिपोर्ट देती है, मजिस्ट्रेट अप्लाई करता है, तो कहता है – cognisance, because *prima facie*. सिर्फ आरोप लगाने से स्टे नहीं होगा। वकील साहब और मुवक्किल को *prima facie* एविडेंस पर सटिस्फाई करना होगा कि ये 10 कारण हैं, जिनके कारण फ्रॉड हुआ है, तब कोर्ट मान सकता है। दूसरी बात यह कही गई है कि you will promote more litigation. यह क्या तर्क है? अगर स्टे में किसी को शिकायत है, तो ऊपर जाकर इसे डिसाइड करा देगा। स्टे केवल फाइनल 34 के फैसले तक है। The stay is not unlimited. The day the decision on Section 34 is decided, the objection is rejected and the stay goes. लेकिन हमें यह बताएं कि अगर फ्रॉड से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे ले लिए गए और किसी प्रदेश या देश को फॉरेन ट्रिब्यूनल 10 हजार करोड़ या 5 हजार करोड़ रुपये देने के लिए कह रहा है। I would request Supriya ji to please do not confuse this with the issue of retrospectivity of other award that you have in mind. No, India respects the authenticity and sanctity of awards, which have been there. This particular law operates in the limited field of fraud and corruption through which it has been obtained. Retrospectivity is a different ball game altogether. I thought that I must clarify this issue. सर, आपको यह मालूम है कि कई चीजें गवर्नेंस की होती हैं, तो हर चीज को यहां बोलना उचित नहीं है और होना भी नहीं चाहिए।

मैं सदन को बड़ी विनम्रता से एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर भारत सरकार या प्रदेश सरकार के खिलाफ 5 हजार करोड़ रुपए या 10 हजार करोड़ रुपए का अवार्ड पारित कर दिया गया और कोई फॉरेन इंवेस्टर उसको बाहर एनफोर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। यह हमारे

और आपके नहीं हैं, ये गरीबों के पैसे हैं। भारत सरकार को ऐसे भ्रष्ट फ्रॉड से प्रभावित एग्रीमेंट पर बने हुए अवार्ड को, क्या टैक्स पेयर्स के पैसे लुटाए जाएं, नहीं। उसका एक बार एग्जामिनेशन सेक्शन 34 में हो जाने दीजिए। जब तक वह नहीं होगा, तब तक हम स्टे करेंगे।

Mr. Pinaki Misra, I do not know whether you are more eminent or others are more eminent. I am not as eminent as you are, as a lawyer. I acknowledge this very clearly. …(*Interruptions*) I am asking a simple question to you from your professional experience. Is it not a fact that the winner of an award keeps on running from court to court to get the award in force?

सर, कभी बहस होगी तो मैं इस हाउस में बताऊंगा कि दुनिया में कितनी जगह आर्बिट्रेशन को एनफोर्स करने के लिए क्या-क्या कार्रवाई चल रही है और ईमानदारी से चल ही है, हम यह नहीं कह सकते हैं। भारत ईमानदार प्रक्रिया का स्वागत करता है और करता रहेगा। भारत ईमानदारी से प्रोक्योर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का सम्मान करेगा और निश्चित रूप से करेगा। India would like India to become a good hub of arbitration. Why not? If that involves quick conclusion of the entire proceedings, then it is very good. इसलिए मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। कुछ ने यह पूछा है कि आप जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि I wish to give complete autonomy to the Arbitration Council of India and even the new Arbitration Centre, which we are setting up in Delhi for which the law has been passed. They must have good autonomy in selection of arbitrators and in overseeing quick disposal of arbitration disputes, etc.

20.00hrs

That includes quality of arbitrators. Complete autonomy is given whether it is the New Delhi Centre or the Arbitration Council of India. I am again saying when the entire fast-tracking of good institutional arbitration will be done, one institution would be delivering time-bound award, the quality of arbitration would be good; where they are men of integrity, we would see a different professionalism rising in the country.

Yes, Mr. Galla, you are right, to help that happen, we had to delete Schedule VIII. Schedule VIII was putting some curbs. For everything we have to come to Parliament. Now, that power has gone to the Arbitration Council of India. They will decide. If they feel, for instance, IT professionals need more clout, go ahead. We have delegated that power. It is not excessive delegation; it is a rational delegation for the speedy delivery of arbitration proceedings in the country. …(*Interruptions*) Let us see the worldview on Vodafone *dada.* There is a big world of Vodafone.

Now, I come to the issue of – why this Ordinance? Why not the Ordinance? Should we barter the Government of India's money? Should we barter taxpayer's money? When there is a collusive attempt to seek the benefit of an award, tainted with corruption, the answer is no, an emphatic no. Therefore, there is a compelling circumstance due to which the Cabinet passed a resolution, and the President has agreed to it. Enough. Obviously, there is a certainty of

Corona. When will Parliament meet? All these were there. It was not a case of abuse of power. I would say, in the instant case, it was a completely appropriate exercise of power under compelling circumstances for invoking Article 23 of the proceedings, Sir. सर, बहुत-से मेम्बर्स ने कुछ स्पेशिफिक सवाल पूछे हैं। श्री गोपाल शेट्टी जी ने बहुत ही अच्छा कहा। …(व्यवधान) There he is sitting. उन्होंने तो सबसे पहले भाषण दिया था और बहुत ही अच्छा भाषण था। आज मैं फिर कहूँगा कि आज मैंने अपने एमपीज की नयी क्षमता को देखा है, मैं उन सभी का अभिनन्दन करता हूँ। I would like more discussion of this sort on issues like this so that the hidden wisdom of Members of Parliament become more patent.

सर, श्री गोपाल शेट्टी ने जो बात कही, वह बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपील करें कि आप केस विदड्रॉ कर लीजिए। उस अपील में कितना दम होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक अपील तो कानून मंत्री कर ही सकता है। आजकल देश में पीआईएल फाइल करने की होड़ लगी हुई है। है न? सुबह अखबार देखा, तो किसी को पानी नहीं मिला, कहीं पर धरना है, तो पीआईएल फाइल हो जाती है। यह सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल होती है और हाई कोर्ट में भी फाइल होती है।

Today, I want to take the freedom of this House to appeal to the Judiciary that please be a little more objective, and I would say, take into account your own decision as to under what circumstances a PIL can be filed. I have been a great supporter of PIL. Some of my friends from Bihar know that I have argued - some of the tectonic, swift changing political cases in Bihar. The Fodder Scam, the Bitumen Scam, the entire PIL cases were argued by me. I was also a lawyer of Ram *Lalla.* I am the lawyer of Advani *ji.* I have no problem. …(*Interruptions*) Yes,

Sir. You never engaged me, that is the problem with you. सुबह अखबार देखा, हेडिंग तैयार हुई, पेटिशन तैयार है और पीआईएल फाइल हो गई। किसी के पीआईएल फाइल करने पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से न्यायालयों से अपील करूँगा कि जो जेन्यून पीआईएल हैं, जैसे मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती है, एंवायरमेंटल इश्यूज हैं, रैंक करप्शन के इश्यूज हैं, तो जरूर पीआईएल फाइल कीजिए। लेकिन इससे कितना लोड बढ़ता है, यह थोड़ा समझ लीजिए।

माननीय स्पीकर साहब, मैं आपकी बड़ी इज्ज़त करता हूँ। आज आपकी उपस्थिति में, मैं एक बात अवश्य कहूँगा। सभी कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जूडिशियरी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन एक और बेसिक स्ट्रक्चर है- सेपरेशन ऑफ पॉवर्स। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वह भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उसका मतलब यह होता है कि – governance should be left to those elected by the people of India as they have to be accountable to this House.

Law making must be left to those elected by the people of India to make laws and accountable to this House. That is the norm of governance. …(व्यवधान) वे मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वे मुझसे कभी असहमत नहीं होते हैं। …(व्यवधान)

Sir, I think I have practically addressed all the concerns of all my friends who have come. Supriya ji talked about infrastructure project. We are very keen that infrastructure projects should be cleared, the payments should be cleared at the Government level. There is a direction that fast tracking of payment should be done but, yes, with a caveat – India should not become the centre of procuring award through corrupt and fraud means. Under the Government of Narendra Modi

ji, we are acting in an honest and transparent manner. We are determined to make India a hub of arbitration. But remember one thing, India will become a hub of arbitration only and only when the world also trusts the integrity of the system, the governance and the award delivery. That is what this Bill supports.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 4 नवम्बर, 2020 को प्रख्यापित माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 14) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of section 36

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश कोडिकुन्नील जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

Page 1, line 13,-

for "the making of the award"

substitute "the institution of the award". (1)

Page 2, *for* line 1-

substitute "was instituted by inducement or fraudulent means, it shall stay the award unconditionally pending". (2)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, my amendment is that without giving it a retrospective effect, let it be prospective from the date of promulgation of the Ordinance. I beg to move:

Page 1, line 8,-

for "23rd day of October, 2015"

substitute "4th day of November, 2020" (4)

Page 2, line 1-

for "unconditionally"

substitute ", after giving reasonable opportunity for hearing to the other party,". (5)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Substitution of new section for section 43J

माननीय अध्यक्ष: श्री सुरेश कोडिकुन्नील जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Sir, I beg to move:

Page 2, *for* lines 9 and 10,-

substitute "43J. The mandatory qualifications, experience and other determining norms essential towards approving the accreditation norms of arbitrators shall be such as may be specified by the regulations from time to time.". (3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन जी**,** क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं**?**

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, my amendment is regarding arbitrator's qualifications and experience who are coming from outside, let it be by the regulation and let the other thing be retained. I beg to move:

Page 2, line 9,-

after "arbitrators"

insert "from outside India". (6)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है**:**

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।**"**

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 4 Omission of Eighth Schedule

माननीय अध्यक्ष: श्री एन**.** के**.** प्रेमचन्द्रन जी**,** क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I beg to move:

Page, line 11,-

for “be omitted”

substitute “not be applicable to arbitrators from outside India”. (7)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ</u>।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

<u>खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया</u>।

<u>खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया</u>।

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए</u>।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>।

माननीय अध्यक्ष : अब प्राइवेट मेंबर बिजनेस ले रहे हैं। उसके बाद शून्यकाल लेंगे।

प्राइवेट मेंबर बिजनेस, आइटम नम्बर, 25, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं हेतु कल्याणकारी उपाय।

मेरा आग्रह है कि अभी 8 बज गए हैं, आज इस प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन को हम 9 बजे तक लेंगे। इसे फिर आगे ले लेंगे। 9 बजे के बाद कुछ जीरो ऑवर लेंगे। संजय जी, उसके पहले आप अपना विषय रख देना।

डॉ. निशिकांत दुबे - उपस्थित नहीं।

श्री अजय मिश्रा।

20.11 hrs

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Welfare measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): महोदय, देश में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाएं हैं, जो सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चलाई जा रही हैं, उसमें आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व में जिस तरह से आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे थे, उससे जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे, जो लाभ आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा था।

20.12 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

महोदय, इसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी की जो हमारे बहनें होती हैं, उनसे अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही आंगनवाड़ी की जो सहायिका और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, उनकी नियुक्ति, भर्ती सहित स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी सभी मसले राज्य की सरकारों के द्वारा तय किए जाते हैं, जो जिला स्तर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर उनकी समीक्षा के साथ वे काम पूरे किए जाते हैं। निश्चित रूप से आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायिका हैं, वे बहुत मेहनत कर रही हैं और उसके कारण उनको जो मानदेय देने की बात थी, उसमें भी अभी हमारी सरकार ने काफी बदलाव किया है। अगर हम उनके काम के विषय में देखें तो आंगनवाड़ी स्कीम का लक्ष्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का समग्र विकास करना है। इसमें पूरक पोषण, सकल, स्कूल के पूर्व की जो अनौपचारिक शिक्षा है, उसके साथ-साथ पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाओं के जो पैकेज प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकारों के द्वारा लोगों की जरूरत के लिए बनाए जाते हैं, उसमें उन आंगनवाड़ी की बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वास्तव में पूरी दुनिया में वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल गोल प्राप्त करने के लिए

प्रत्येक देश ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश गाँवों का देश है। गाँव-गाँव तक शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और पोषण के प्रति लोग जागरूक हों, संवेदनशील हों और समय पर पोषण के कार्यक्रमों को चलायें और उनका लाभ भी लें। उन्हें किस तरह से बच्चों का पालन-पोषण करना है, इसके साथ-साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, ज्यादातर महिलाएं एनीमिक होती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जो छोटे बच्चे हैं, उनके जो टीकाकरण के कार्यक्रम होते हैं, जो सात ऐसी गंभीर बीमारियाँ हैं, टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने की एक हमारे देश में थी।

हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिकाएं और कार्यकर्ता हैं, उनमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वह निश्चित रूप से ये छ: काम कर रही हैं। हमारी जो पहले की सरकारें थीं, उस समय बहुत विशेष ध्यान इस पर नहीं जा पाया, चूंकि उस समय ऐसी बात भी नहीं थी। वर्ष 2018 में आंगनवाड़ी केन्द्रों की जो कार्यकर्ता थीं, उनका मानदेय प्रतिमाह 3000 रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये किया गया है। उसके साथ ही साथ हमारी जो सहायिकाएँ होती हैं, उनको 2250 रुपये मिलता था, उसको 3500 रुपये किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने अन्य अनेक तरह के मानदेय भी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है और उन योजनाओं को स्वीकार किया है। वास्तव में आज कल के युग में 4500 रुपये में जिस तरह की वह सेवा कर रही हैं और जिस तरह से वह गाँवों में जाकर कामकाज कर रही है, इसके लिए उनको अधिक मानदेय मिलना चाहिए। अभी मैं इस पर भी बात करूँगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में लगभग 14 लाख ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता काम कर रही हैं। उन्होंने गाँवों में निरंतर ऐसे प्रयास करके अपनी उत्तम सेवाएँ भी दी हैं। हालांकि यह भी तय है कि हमारी जो योजनाएँ हैं, ये इस तरह की योजनाएँ हैं, जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा भी है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक हजार दिन का पोषण कार्यक्रम अपने देश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए चलाया है। गर्भावस्था

का जो समय होता है, उन्होंने उसके लिए दो साल जोड़ें। उन्होंने 730 दिन और 270 दिन जोड़ कर एक हजार दिन की स्कीम बनाई है। उसके पीछे यह उद्देश्य था और वैज्ञानिक तथ्य भी है कि गर्भावस्था से लेकर दो वर्ष तक अगर शिशु का ठीक ढंग से पालन पोषण होता है, उसकी देख-भाल ठीक तरीके से होती है, तो निश्चित रूप से वह बालक कुपोषित नहीं होता है। आयु के हिसाब से उसका भार और लम्बाई इस तरह से बढ़ती है तो जो पोषित बच्चा होता है, वह देश के लिए एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अपनी सेवाएँ देता ही है, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमारी आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं, इनकी भूमिका को हम अपने देश के लिए समझ सकते हैं। उसी क्रम में सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर उनके प्रशिक्षण के लिए चलाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों की जो बहनें हैं, उनके लिए कई ऐसे मॉड्यूल्स हैं, जिससे उनकी क्षमता में किस तरह से वृद्धि हो, उनको प्रशिक्षण भी देने का कार्यक्रम किया है। उसमें लगभग 9 लाख के करीब ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उसमें से लगभग 3 लाख के करीब इस तरह की कार्यकर्ताएँ हैं, जिनको डिजिटल प्रशिक्षण भी दिया गया है। आज कल जिस तरह से एक-एक कार्यक्रम की जानकारी और सूचनाएँ सरकार के द्वारा एकत्रित की जा रही हैं, निश्चित रूप से सरकार प्रशंसा की पात्र है। प्रत्येक योजना की सारी सूचनाएँ डेटावाइज हमारी सरकार के पास उपलब्ध रहे, जिससे आगे उनको योजना बनाने में सफलता मिले। अगर उसके अनुरूप योजनाएँ बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके व्यापक परिणाम हमको प्राप्त होंगे। हमारे सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा।

इसी क्रम में हमारी सरकार ने जो डिजिटल प्लेटफार्म है, उसको तैयार किया है। आंगनवाड़ी केन्द्रों की ऐसी कार्यकर्ताओं को डिजिटल फोन, स्मार्ट फोन भी दिए गए हैं। उनसे यह अपेक्षा की गई है कि वह गाँवों में जहाँ-जहाँ पर जाएंगी, वहां पर वह डेटा एकत्रित करेंगी। बच्चों की आयु के अनुसार

उसका भार, उसकी लम्बाई, महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में, टीकाकरण के विषय में लोगों को जागरूक करेंगी। उन सारी योजनाओं के बारे में भारत सरकार का जो ऐप है, उस पर फीड करेंगी, जिससे यहां पर सारी सूचनाएँ एकत्रित होंगी।

निश्चित रूप से अगर आप देखें तो गांवों में आंगनवाड़ी की बहनें कर रही हैं, वह निश्चित रूप से ऐसा काम है, जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं भी देने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए, क्योंकि यह भी जरूरी है। अभी कई ऐसी जानकारियां आयी थीं कि कई ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो किराये के मकानों में चल रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन बनाएंगे। काफी भवन बन चुके हैं। लगभग 4 लाख आंगनवाड़ी के ऐसे केंद्र हैं, जिनके भवनों का निर्माण होना है। सरकार ने उसको भी मनरेगा से जोड़ दिया है और पांच लाख रुपये तक मनरेगा के धन का उपयोग भवन के निर्माण में किया जाता है और उसमें अलग से स्वच्छता कार्य योजना के लिए पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए दस हजार रुपये और 12 हजार रुपये प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय के लिए भी दिया है। यह निश्चित रूप से सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि आंगनवाड़ी के लिए ठीक-ठाक और अच्छे भवन उपलब्ध हो जाएं। इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहां 600 वर्ग फीट के मकानों को किराये पर लेकर, जहां पेयजल इत्यादि की व्यवस्थाएं हों, उसमें चलाने की सुविधा भी सरकार ने दी है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे केंद्र हैं, जहां शौचालय और पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। उसमें 4 लाख के आस-पास ऐसे आंगनवाड़ी के केन्द्र हैं, जहां अभी ठीक ढंग से टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हैं और दो लाख के करीब ऐसे हैं, जहां पेयजल की व्यवस्था भी हमारी सरकार को करनी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि यह आवश्यक है, क्योंकि कोविड की वजह से आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे हैं। नवंबर, 2020 से कुछ आंगनवाड़ी केंद्र, जो कंटैनमेंट जोन में आते हैं, उनको छोड़कर धीरे-धीरे आंगनवाड़ी के केन्द्रों को खोलने का काम प्रारम्भ कर दिया

गया है। इसलिए वहां सुसज्जित भवन बने। कोविड के बाद जो मानदंड तय किए गए हैं, उसके अनुरूप फिर से हमारे कार्यक्रम प्रारम्भ हो रहे हैं। जो पहले से स्कूल से पूर्व की शिक्षा है, उसके लिए अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उनको भी निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ कर दिया जाएगा। लेकिन कुपोषित बच्चों, अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताओं की गहन निगरानी का काम भी हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता कर रही हैं और उसके अनुरूप जो आवश्यकता होती है, जैसी हमारी सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं या ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सब में भी वे अपनी तरफ से योगदान देकर ऐसी खाद्य सामग्री जिसमें कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा इस तरह की हो जो कुपोषण से बच्चों को मुक्त कर सकें, ऐसी सारी व्यवस्थाएं और आहार उपलब्ध कराने का काम उन्होंने किया है और कोविड के दौरान भी किया है। कोविड में आंगनवाड़ी के केन्द्र भले ही बंद रहे हैं, लेकिन जो सरकार की योजनाएं आयीं, कोविड के लिए जागरुक करना हमारे लिए चुनौती थी। हमारा देश 130 करोड़ की आबादी वाला देश है और उस देश में जहां आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, वहां संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश को जागरुक किया। अलग-अलग समय पर ऐसे निर्णय लिए और उन निर्णयों के अनुरूप देश में व्यवस्थाएं कीं, जिसके कारण कोविड 19 के संक्रमण के दौरान भी हमारे देश में कोई इस तरह की स्थिति नहीं आयी है, जिसमें हमें यह लगे कि हम स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं या स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। स्थिति नियंत्रण में रही है और कोविड के दौरान भी जो ऐसे जरूरी काम थे, कुपोषण को दूर करने के काम हों, महिलाओं के स्वास्थ्य के काम हों, बच्चों की मृत्यु दर को कम करने की बात हो, महिलाओं की मृत्यु दर पर भी काम हुआ और उसके साथ-साथ संस्थागत प्रसव इत्यादि योजनाओं से संबंधित जानकारियों और वस्तुओं, दवाओं को पहुंचाने का काम और उसके साथ-साथ टीकाकरण के प्रति भी लोगों को जागरुक करने का काम आंगनवाड़ी की हमारी स्वास्थ्यकर्मियों ने किया है। एक तरह से आप देखें तो पहले लोग आंगनवाड़ी के विषय में जानकारी ही

नहीं रखते थे, अब तो दो-दो मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही हैं। उसके कारण गांवों में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो गयी है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि उनकी सेवाओं को देखते हुए, जो 4500 रुपये हमारी मुख्य कार्यकर्ता को मिल रहं हैं, मैं समझता हूं कि उसमें राज्य सरकार का भी योगदान होता है, लेकिन अपनी तरफ से आप अगर इसमें कोई प्रावधान करें, जिससे उनको कम से कम दस हजार रुपये का मानदेय मिल सके तो यह एक बहुत अच्छा मानदेय होगा।

जैसी उनकी सेवाएं हैं, उन सेवाओं के अनुरूप, एक तरह से उनका जो सम्मान है, वह सम्मान करने का काम हम करेंगे।

सभापति जी, इसके अलावा, जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसे चार लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं, जहां शौचालय नहीं हैं, दो लाख से अधिक केंद्र ऐसे हैं, जहां पीने का पानी नहीं है, उनको भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करे। मैं चाहता हूँ कि हमारा यह जो रेजोल्युशन है, इसमें संशोधन किए जाएं ताकि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। आंगनवाड़ी के समस्त केंद्रों के अपने अपने भवन हों। भवनों में शौचालय और पेयजल की उत्तम व्यवस्था की जाए। वे जो काम करती हैं, वह गांव-गांव में जाने का काम है, अगर उनको अपने भवन के साथ-साथ कुछ इस तरह की सुविधाएं मिल सकें, जिससे उनका आना-जाना सरल हो सके। भवन में फर्नीचर तथा लाइट आदि अन्य इस तरह की सुविधाएं उनको मिल जाएं। हमें इन सारे कामों को करना चाहिए।

साथ ही साथ हमारे एक साथी ने मुझे यह पत्र दिया है। हालांकि यह राज्य सरकार का विषय है। लेकिन यहां पर माननीय मंत्री जी हैं, तो उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सीडीपीओ ब्लॉक स्तर पर होती हैं, हमारे साथी ने बताया है कि वे कुछ जगहों पर घूस लेने का काम भी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दो हजार रुपये उनके मानदेय से ले लेती हैं। तो भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगे और निश्चित रूप से जैसा उनका काम है और जहां से वे निकल कर आती हैं, जिस तरह के

कामों को वे करती हैं, तो इसकी संभावनाएं तो हैं और इन संभावनाओं को देखते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो और आंगनवाड़ी केंद्रों की जो सेवाएं हैं, जिस तरह का उनका काम है, उनको भ्रष्टाचार से मुक्त करने का भी काम करना चाहिए। वैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि हमने जैसे यह कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं, उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई हैं और उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है, जो प्रदेश में इस तरह घटनाक्रम होते हैं, उसमें वे काम करती है। …(व्यवधान) लेकिन जो हमारी केंद्र की सरकार है, उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही थी कि प्रदेश स्तर से तो उन सारे मसलों को देखा जाता है और जो आवश्यक कानूनी कार्यवाही होती है, उसको किया भी जाता है। लेकिन अगर केंद्र स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है, तो माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती है और संबंधित अधिकारी को उसके लिए कहती है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि इतना ही यह पर्याप्त नहीं है। यह किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनवाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात जरूर शामिल करनी चाहिए, जिससे आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं या कार्यकर्ताएं हैं, उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह से कानून में बदलाव करने चाहिए ताकि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं, उनको हम एक अतिरिक्त आवरण और कवच उपलब्ध करा सकें, जिससे वे शोषण से मुक्त हो सकें।

एक अंतिम बात मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से और कहना चाहूंगा और इस रेजोल्युशन में शामिल करने की प्रार्थना करूंगा कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, वे काम तो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने और आपने यह अपेक्षा की थी कि हमारे देश में एक बदलाव आए तो वास्तव में कुपोषण को दूर करने में, मुक्त तो नहीं हुए, लेकिन कुपोषण को दूर करने में भी हमको सफलता मिली है। शिशु मृत्यु दर को भी कम करने में

हमें सफलता मिली है। उसके साथ-साथ जो गर्भवती महिलाएं थी या गर्भ के दौरान जो मृत्यु हो जाती थीं, उसमें भी हमको सफलता मिली है। संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है और स्तनपान के बारे में भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है।

उसके साथ ही साथ, बच्चों का जो दो वर्ष तक का समय होता है, जिसमें उनका मस्तिष्क विकसित होता है, यह वैज्ञानिक तथ्य है और लोग मानते हैं कि दो वर्ष में एक व्यक्ति के दिमाग का विकास हो जाता है, वह फिर पूरे समय में उतना नहीं हो पाता है इसलिए उस महत्वपूर्ण समय के लिए जो योजना बनाई है, उसके लिए भी ये कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका नियमित रूप से ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशिक्षण होता है। वहां से उनकी देखभाल की जाती है। आपने स्मार्ट फोन का एप बनाया है, उसके माध्यम से आपको वे सूचनाएं देती हैं। उसकी भी आप जांच और सर्वे करती हैं। एक तरह से यह पूरी इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया है कि इसमें हम यह कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी हमारे लिए एक ऐसा नेटवर्क हो गया है, जिसके माध्यम से हम देश की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने की स्थिति में आ गए हैं।

मैं अंतिम बात आपसे यही कहूंगा कि इनका मानदेय बढ़ने के अलावा जो आंगनवाड़ी के केंद्रों में सुविधाएं हैं, शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रधान मंत्री जी, आपने और हमारी सरकार ने लोगों के विषय में गरीब और कमजोर तबके के विषय में बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से काम किया है और बहुत सी ऐसी योजनाएं आप ले कर आई हैं, जिनके माध्यम से लोगों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा भी किया गया है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है**,** अब समाप्त करें।

…(व्यवधान)

श्री अजय मिश्र टेनी : इससे उनकी वृद्धावस्था के लिए भी उनको सहायता मिलेगी तो मैं यह चाहता हूँ **कि** सरकार इसमें ऐसा संशोधन करे कि आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्ताओं का**,** चाहे वह एक रुपये प्रति

माह या दो रुपये प्रति माह का प्रीमियम सरकार उसको खुद जमा करे और आंगनवाड़ी की कार्यकत्ताओं को बीमा प्रदान करने का काम करें। काम के दौरान अगर कोई घटना उनके साथ हो जाती है तो उसका मुआवजा भी उनको मिलना चाहिए। काम के समय अगर मृत्यु होती है तो जो भी उसके लिए योजना बने उसको भी अच्छे से लागू करने कार्य आप करें।

आपका बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अंबेडकर नगर से आने वाले हमारे भाई रितेश पांडे जी, जिन्होंने यह प्राइवेट रेजोल्युशन यहां पेश किया है, उसके ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं हेतु कल्याणकारी उपाय - निश्चित रूप से आज गांवों के अंदर, सुदूर डांढियों के अंदर अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर्स, नर्स के बाद स्वास्थ्य से ले कर, चाहे बच्चों के पालनपोषण से ले कर, मिड डे मील से ले कर, जितनी भी सरकारी कामकाज के अंदर की योजनाएं चल रही हैं, राज्य की योजनाएं चल रही हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आंगनवाड़ी कार्यकताओं एवं सहायिकाओं की है। ये हमारी बहनें हैं। सभापति महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि आजादी के 70 साल बाद जो सपना इस देश को आजाद कराने वाले लोगों ने सोचा था, आज ये बहनें भी हमेशा टकटकी लगा कर सरकार की तरफ देख रही हैं। चूंकि आज सारे के सारे लोग दिल्ली की सरकार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि राज्य के पास ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती हैं। हमारे राजस्थान के अंदर तो हालात यह हैं कि वहां एक ही रटी रटाई रट लगाई जाती है कि खजाना खाली है, पांच साल कुछ भी नहीं होगा। जो भी आंदोलित लोग होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। …(व्यवधान) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए जो रेजोल्युशन पांडे जी ले कर आए हैं, महिलाएं, बच्चों एवं किशोरों की अनिवार्य स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं - ये सब उपलब्ध कराते हैं।

सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह जरूरी है कि इन्हें नियमित रोजगार मिले। स्थायी कर्मी की तर्ज पर वेतन मिले। इस रेजोल्युशन के माध्मय से चिंता कर के देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। चूंकि प्रधान मंत्री जी ने कुछ मानदेय इनका बढ़ाने का आदेश भी किया था। लेकिन वह बहुत कम था।

सभापति महोदय, कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि जब पूरा देश कोरोना से डर रहा था, लॉकडाउन भी लंबे समय तक चला। लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे। परिवार के अंदर भी लोग ऐसे रहते थे, जैसे किसी को जानते भी नहीं है। उस सयम भी आंगनवाडी कार्यकत्ताओं और सहायकों ने बहुत सेवा की। हमारे वहां बहुत बड़ा आंदालन भी राजस्थान के अंदर चला, उस बात को भी मैं इसमें जोड़ूंगा। उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर होती है। वे लगातार राजधानी के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ी सेवा इनकी देखने को मिली।

ये हर समय सेवा के लिए तत्पर रहते थे। अपने बच्चों को छोड़ कर ये दूसरे की सेवा करने के लिए निकल पड़ते थे।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा वर्कर्स ने जिम्मेदारी से कोरोना काल में अपना काम किया। अभी राजस्थान के अन्दर इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। इनकी प्रमुख मांगें थीं कि इन्हें संविदा से हटा कर नियमित किया जाए। कई लोग तो संविदा कर्मी भी नहीं हैं। महिला बाल विकास विभाग चाहे जब इन्हें निकाल देते हैं। मान लीजिए कि अगर इनकी सरपंच से या किसी नेता से पटरी नहीं बैठती तो बस एक जांच के बहाने उन्हें घर भेज दिया जाता है।

सभापति महोदय, इनके कल्याण को लेकर सदन में जो चिंता व्यक्त की गई है, मेरे से पूर्व हमारे सांसद ने आपको सारी बातें विस्तार से बताईं। अभी लोक सभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, जो यहां विराजी हैं, ने बताया कि दिनांक 01.10.2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय तीन हजार रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये, सहायिका का मानदेय 1500 से बढ़ा कर 2250 रुपये प्रति माह किया गया है। इस रिजॉल्यूशन में मानदेय को मासिक वेतन में बदलने की बात कही गयी है। मनरेगा के अन्दर भी न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये से बढ़ा दी गई। आज जो मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी करता है, सात-आठ हजार रुपये तो वह भी कमा लेता है। मैं तो मांग

करूंगा कि सरकारी नौकरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो न्यूनतम वेतन 28,000 रुपये है, यह इन्हें भी मिले और इन्हें परमानेंट भी किया जाए। अल्प मानदेय व नाममात्र के प्रोत्साहन से इनकी आजीविका कैसे चलेगी? आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में चलते हैं। वहां पर पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, इस पर सरकार को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि देश में 13,86,990 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 4,36,613 केन्द्रों पर शौचालय नहीं हैं जबकि 2,20,967 केन्द्रों पर पेयजल की सुविधा नहीं है। 3,58,486 केन्द्र किराए के भवनों में चल रहे हैं।

सभापति महोदय, इसके लिए हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। सांसद, विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वे भी अपने-अपने कोष से पैसे देकर आंगनबाड़ी के पक्के केन्द्र बना रहे हैं, लेकिन दो सालों के लिए तो आपने हमारा इलाज कर दिया। सांसद के पास बजट ही नहीं है तो वह कहां से करेगा? आप देखना, लोग नहीं बुलाएंगे। लोग कहते हैं कि एम.पी. साहब, आप क्या करेंगे आकर, आपके पास बजट नहीं है, आप इसकी घोषणा नहीं कर सकते, इसलिए एम.एल.ए. को बुलाएंगे। इसके साथ-साथ आप इसका भी ध्यान लगातार रखें।

सभापति महोदय, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां 61,974 क्रियाशील आंगनबाड़ी केन्द्रों में 32,527 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही शौचालय है व 48,949 केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था है। इस पर केन्द्र सरकार ध्यान दे।

सभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा कर्मियों को स्थायी कार्मिक के तर्ज पर वेतन दी जाए। आशा सेविकाओं ने वेतन बढ़ोतरी व नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन किया। राजस्थान में इन्हें मात्र 2300-2400 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। इसलिए इसे बढ़ाया जाए क्योंकि इनसे शिक्षा, चिकित्सा तथा महिला बाल विकास विभाग के कार्य करवाए जाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जब ये महिलाएं आंदोलन करती हैं तो पिछले पन्द्रह सालों के अन्दर कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें जेल भी भेजा

गया। राजस्थान सरकार मुकदमे वापस लेती है। मुझे राजस्थान का ही अनुभव है, लेकिन मैं केन्द्र सरकार से यह भी अपील करूंगा कि ऐसे मामलों में छोटी धाराओं के अन्तर्गत जितने भी मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं, उन्हें वापस लिए जाएं। इसके लिए केन्द्र निर्देशित करे और उन्हें परमानेंट करें, क्योंकि ये वे कड़ी है, जो देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी सुख-सुविधा दिलाने का प्रयास करती है, काम करती है। गरीब से गरीब व्यक्तियों तक भी ये जाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ देती हैं। आज आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वहां बैठा जिले का जो ग्राम सेवक या पटवारी है, वह भी इनसे ही बात करके कराएगा, चाहे वह जनगणना का कार्य हो या दूसरे काम हों। सरकारी सेवाओं के लाभ ले रहे व्यक्तियों की गिनती करने का काम हो या कौन-सा पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा, हर व्यक्ति इन पर ही निर्भर करता है कि आप जाओ और हमें इसके बारे में लिख कर दीजिए। इनके ऊपर इतना बड़ा लोड है।

महोदय, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इस पर हमारी सरकार संवेदनशीलता से बड़ा कदम उठाए। आँगनबाड़ी की कार्यकर्ता और हमारी जो सहायिकाएँ हैं, इन बहनों का वेतन बढ़ाया जाए और इनको नियमित करें। आप लोगों ने महिला सशक्तिकरण का जो नारा दिया है, उसको और मजबूत करना चाहिए।

महोदय, हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी इस विभाग की मंत्री है। आप निश्चित रूप से इन बहनों की तरफ देखेंगी। हमारा भारत तब ही मजबूत होगा, जब अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लगेगा कि वह दिल्ली के अंदर बैठा है। राजस्थान के जैसलमेर से लेकर कन्याकुमारी तक का व्यक्ति यह सोचे कि दिल्ली दूर नहीं है। यह तभी होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाने के अच्छे स्कूल मिलेंगे, पौष्टिक खाना मिलेगा, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिलेगा और रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। ये लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं पाण्डेय जी को धन्यवाद दूँगा कि इन्होंने इनके लिए इतनी बड़ी चिंता की है। आज पूरा सदन इन आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और

सहायिकाएँ बहनों के बारे में चिंता करती है। हमारे जगदम्बिका पाल जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वह जमाना था जब मैं यूनिवर्सिटी-कॉलेज में पढ़ता था। उस समय मैंने एक दिन की मुख्यमंत्री वाली फिल्म भी देखी थी। उस एक दिन की मुख्यमंत्री वाली फिल्म हमारे पूर्व सीएम साहब को देखकर याद आती है। यह हमेशा इसके लिए बड़े आंदोलित रहते हैं। हम सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इन बहनों के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम प्रधानमंत्री जी करें। यह मेरा निवेदन है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका मिला है। माननीय रितेश पाण्डेय जी के द्वारा यह एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी चर्चा में भाग लेने का अवसर आपने मुझे दिया है।

महोदय, मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से बातें कही है। उस संबंध में हमारी सरकार भी इन आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या सहायिकाओं के महत्व को रेखांकित करती है। उनके दायित्व या उनके कर्तव्य के बोध के साथ-साथ जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार सरकार ने एक मजबूत कदम उठा रही है। हमारे भारत के गाँव में रहने वाली महिलाएँ या बच्चे जो कुपोषित हैं, या जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन बच्चों और महिलाओं के लिए किस तरीके से न्यूट्रिशन या टीकाकरण के संबंध में काम किया गया है, कुपोषण से एक स्वस्थ माँ और एक बच्चे को तैयार करने में इस आँगनबाड़ी के केन्द्र की भूमिका को निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में विस्तारित किया गया है।

आज पूरे भारत में एक तरह से ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का यह एक केन्द्र बन गया है। उसी नाते आज भारत सरकार ने, पहले तो यह इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आता था, लेकिन यह पहली बार हमारी सरकार या प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम केवल मालन्यूट्रिशन या चाइल्ड हंगर के बच्चों को स्वस्थ करने की दिशा में आँगनबाड़ी केन्द्रों से काम लें। इसके बजाय इन आँगनबाड़ी केन्द्रों को एक सक्षम आँगनबाड़ी केन्द्र और पोषण अभियान-2 में जोड़ा गया है। जैसाकि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अभी तक जो आँगनबाड़ी केन्द्र थे, वे कहीं पर दूरे थे, जहाँ पर

उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। कई घटनाएँ हैं, उनका मैं उल्लेख नहीं करूँगा। कहीं पर दीवार गिर गई, सात बच्चों की डैथ हो गई। एक बार 2 बच्चे आँगनबाड़ी केन्द्र के पास तालाब में डूब गए।

आज सरकार ने यह तय कर लिया कि अब हम आँगनबाड़ी केन्द्रों को अपने स्कूल के ही कैम्पस से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे जो पोषण अभियान-2 है, उसमें छह महीने से 6 साल तक के बच्चों को तथा तीन से छह साल के बच्चों की देखभाल की जाएगी। आँगनबाड़ी केन्द्र की उन महिलाओं को ट्रेंड भी किया जाएगा। हमारे बच्चों के खेलने की जो उम्र होती है, उसके लिए भी सही तरीके से काम किया जा सकता है।

यह एक बड़ी योजना बनाई है। इससे साफ हो गया कि आंगनवाड़ी महिलाओं की भूमिका दिन-ब-दिन बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह काम वर्ष 1975 में शुरू हुआ। वर्ष 1975 में उस समय बेसिक था कि गांव में माल न्यूट्रिशन या चाइल्ड हंगर के लिए यह विभाग बनाया गया। वर्ष 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे, तो इसको देश के 6 लाख गांवों में डिसकंटीन्यू कर दिया गया। मैं धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 2002 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने टेंथ फाइव ईयर प्लान में इसे फिर से रीलांच किया कि देश की महिलाओं और बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से जीवित करने का काम किया, जो आज इतना विस्तारित हुआ है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह कार्यक्रम था, इसमें जो आईसीडीएस है, उसको आंगनवाड़ी के साथ लिंक किया और इसमें भी फोकस किया। This is when ICDS was linked to the anganwadis with a focus on girl child by providing girls the same resources as boys. आप इस देश की मानसिकता जानते हैं कि आज से 40-50 साल पहले बच्चे पैदा होते थे, तो गांवों में कितना महत्व रहता था, घरों में खुशियां मनाई जाती थीं और थालियां बजाई जाती थीं। अगर कहीं बेटी पैदा हो गई, तो घर की महिलाओं के जैसे चेहरे उतर जाते थे। उस समय भ्रूण हत्या और जिस तरह का भेद था, उस भेद को दूर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में आया कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों को

उन गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेट करने का काम, उनको स्वस्थ रखने का काम, लड़कों की बराबरी का स्थान देने का काम, उन लड़कियों पर फोकस किया जाए, इसलिए इन आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने का काम किया। इसका वर्ष 2013-14 में 16,312 करोड़ रुपये का बजट था। मैं धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 2020-21 में 20,033 करोड़ रुपये का बजट हुआ है। लगभग 4 हजार करोड़ रुपये बढ़ाये हैं। निश्चित तौर से कितना बड़ा फोकस है कि हमारा हर बच्चा और बच्ची जो पैदा हो, वह कुपोषित न हो, मां भी स्वस्थ हो, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हों।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान के लिए मैंने कहा, सक्षम आंगनवाड़ी वही है, जैसा हमारे टेनी मिश्रा जी और दूसरे सदस्यों ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में जो दूर थे, वहां न पीने के पानी की सुविधा थी, न टॉयलेट की सुविधा थी, न कहीं कुछ सुविधा थी। इसके लिए एक फैसला लिया गया कि Anganwadi Centres will be strengthened with high quality infrastructure, play equipment and would be made well ventilated, well designed and child friendly. मतलब हम उस स्कूल को एक घर जैसा माहौल दें कि बच्चा अपने को जिस तरह मां के साथ फ्रैंडली महसूस कर रहा हो, उसी तरह से आंगनवाड़ी केंद्र में आने के बाद भी वैसा महसूस करे। वह चाइल्ड फ्रेंडली हो, ऐसा आंगनवाड़ी केंद्र बने। काफी अच्छा डिजाइन्ड हो, वेंटिलेटेड हो और सारी सुविधाओं के साथ हो। मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि पहली ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग आंगनवाड़ी महिलाओं को देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है, तो निश्चित तौर से इससे एक क्वॉलिटेटिव चेंज आएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हाई स्कूल पास होंगी, जो एक टीचर के रूप में टेन प्लस टू होंगी, तो उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा। 6 महीने के प्रोग्राम के बाद वे केवल पुष्टाहार नहीं देंगी या न्यूट्रिशन के लिए जो पुष्टाहार है या रेडी टू ईट है, केवल वही खिलाने का काम नहीं करेंगी, बल्कि एक टीचर के रूप में काम करेंगी। तीन साल की उम्र तक तो कोई पढ़ाई नहीं होती है। उन बच्चों के साथ, जब उनका दिमाग तेजी से विकास की ओर रहता है, तो कम से कम वह

किसके साथ है, यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो हाई स्कूल से कम पढ़ी-लिखी होंगी, उनके लिए भी यह तय हुआ कि उनको एक साल का डिप्लोमा करायेंगे, सर्टिफिकेट देंगे, जिससे कि वे कम से कम उन बच्चों के विकास में भागीदार बन सकें। These programmes may be run through digital/distance mode using DTH channel as well as smart phones also. स्मार्टफोन देने की भी कल्पना थी, अब यह भी साकार हो रहा है या जो डीटीएच चैनल के माध्यम से भी हो रहा है। आज हम कितना फोकस्ड हो गए हैं, हम आंगनबाड़ी महिलाओं को टीचर के रूप में बच्चों के साथ फ्रेंडली कर सकें, इस तरीके से किया गया। आज तय हो गया है कि जो आंगनबाड़ी केन्द्र अभी तक स्टैंड अलोन है, अब आंगनबाड़ी को लोकेट करके प्राइमरी स्कूल में बदलेंगे, Specially trained in the curriculum and pedagogy of ECCE यह इस तरीके से होगा। आज आंगनबाड़ी का लाभ भी मिल रहा है, आज हमने आंगनबाड़ी का विस्तार किया है, वह निश्चित रूप से देश के सभी गांवों और मजरे तक में किया है। आज आंगनबाड़ी की देन है कि वर्ष 2020 तक आठ करोड़ पचपन लाख इसके लाभार्थी हो गए हैं। छह महीने से छह साल तक के बच्चों की संख्या छह करोड़ छप्पन लाख तक हो गई है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी मांग लेकर मैं मंत्री जी से भी मिला हूं। अभी खुद बेनीवाल जी ने 2018 का उल्लेख किया कि किस तरह से मानदेय बढ़ाया गया है। वर्ष 2012 में आंगनबाड़ी के लोगों को मात्र तीन हजार रुपये मिलते थे। एकमुश्त मानदेय तीन हजार रुपये से बढ़ाकर पैंतालीस सौ रुपये करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सुदूर अंचल में जो महिलाएं मानदेय पर काम कर रही थीं, आनरेरियम पर काम कर रही थी, सहायिका का मानदेय दो हजार पचास से बढ़ाकर पैंतीस सौ रुपये कर दिया गया, हैल्पर को पन्द्रह सौ रुपये से बढ़ाकर दो हजार दो सौ पचास रुपये कर दिये गये क्योंकि हम लोगों की ऐसी भावना थी। हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी से इसके लिए मिलते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से भी कहते रहे हैं। किसी

सरकार का ध्यान आंगनबाड़ी की तरफ नहीं गया था। आंगनबाड़ी महिलाएं जाड़ा, गर्मी और बरसात में डोर स्टेप पर पुष्टहार की डिलेवरी करती हैं, रेडी टू ईट की डिलेवरी भी करती है, इस लॉकडाउन में भी काम किया, इसका सभी ने उल्लेख किया है।

प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, नर्सों और आशा बहनों को कोरोना वॉरियर्स कहा, उसी तरह से हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कोरोना वॉरियर्स माना था और उन्हें पचास लाख रुपये का इन्श्योरेंस कवरेज दिया था। अगर कोविड-19 के दौरान दुर्भाग्य से किसी की मौत हो गई तो निश्चित रूप से उसके परिवार के आश्रित को पचास लाख रुपये मिलेगा। जहां एक तरफ इनका दायित्व बढ़ रहा है, अब आंगनबाड़ी का काम केवल पुष्टाहार तक सीमित नहीं है, पल्स पोलियो का अभियान होता है तो भी आंगनबाड़ी केन्द्र काम करता है, जब जनगणना का कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में इनको लगाया जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये बातें इसलिए ला रहा हूं क्योंकि वे इसे जानती हैं। किसी राज्य का मानदेय कितना है, किसी राज्य का मानदेय कुछ है, इसमें किस तरह से एकरूपता लाई जा सके, आज इनकी इतनी बड़ी भूमिका है, चाहे प्रेगनेंट महिलाएं हों या लैक्टेटिंग मदर्स हों, वे करीब एक करोड़ अडसठ लाख हैं, इनके बीच वे काम कर रही हैं। इनको किस तरीके से राज्यों के माध्यम से और मजबूत किया जा सके क्योंकि आज इनकी भूमिका कम नहीं हो सकती।

इनकी भूमिका पोषण अभियान-II से भी जुड गयी है। आंगनबाड़ी केन्द्रों को जिस तरह से केन्द्र सरकार मदद कर रही है, देश की एक जेनरेशन को बदलने की बात कर रहे हैं। हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ तुलना नहीं करेंगे। हम बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका के साथ तुलना नहीं कर सकते। आज हमारे बच्चों के न्यूट्रिशन पर सरकार ध्यान दे रही है।

अगर हमें विश्व गुरू बनना है तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन निश्चित रूप से दुनिया में विश्व गुरू बनकर दिखाएगी। आज हम केवल शहरों तक सीमित नहीं

हैं। आज हम देश के लाखों गांवों तक जा रहे हैं, आज देश में तेरह लाख तिरासी हजार आपरेशनल आंगनबाड़ी सेंटर है, जहां पहले पानी उपलब्ध नही था, आज ग्यारह लाख सड़सठ हजार केन्द्रों में ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, दस लाख उन्नीस हजार आंगनबाड़ी केन्द्र आपरेशनल हैं, वह गवर्नमेंट के स्कूल बिल्डिंग में भी आ गए हैं।

टाएलेट फैसिलिटी हर एक गांव में हर घर में देने की बात चल रही थी। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी टाएलेट फैसिलिटी हो, ऐसा हमने किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स देश में भारी संख्या में हैं, 13 लाख 29 हजार हैं और 11 लाख 85 हजार हैल्पर्स हैं। इनका रोल क्या है? इसके बारे में पूरा देश नहीं जानता। जब यूनिसेफ ने कहा, संयुक्त राष्ट्र ने कहा, शास्त्री जी ने कहा कि देश में बच्चों की मृत्यु दर कम होना चाहिए। दुनिया ने इसे गंभीरता से लिया हो या न लिया हो, लेकिन हमारे देश ने लिया। चाहे बच्चों की बढ़ती हुई मृत्यु दर की बात हो या जच्चा की प्रेगनेंसी के समय मृत्यु दर की बात हो, इसे कैसे कम किया जाए, इसे हमारे यहां बहुत गंभीरता से लिया गया। इनके माध्यम से गांवों में काम शुरू हुआ, मॉर्टेलिटी रेट 46 परसेंट था, जो कि घटकर वर्ष 2017 में 33 प्रतिशत रह गया। बच्चों के कुपोषण में इतना रिडक्शन आया है।

यह बहुत गंभीर विषय है और इस दिशा में बहुत प्रयास हुआ है। जहां पहले पुष्ट आहार रैडी टू ईट था और अब पोषण अभियान में इन बच्चों पर खास फोकस किया जा रहा है, चाहे गर्ल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, कुपोषित न हों। वर्ष 2005-06 तक 48 परसेंट यानी देश की लगभग आधी आबादी कुपोषित थी। यह भारत साउथ ईस्ट एशिया का थर्ड वर्ल्ड कहलाता था।

मैं वैक्सीन के विषय पर नहीं आना चाहता हूं, लेकिन दुनिया में कोविड की चुनौतियों का माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सामना किया है। अब तो हमारे यहां वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन आसपास के किसी देश ने नहीं निकाली। हम 22 देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। नेबर फर्स्ट को मुफ्त दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। जिस तरह से संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर

आए, आज वैक्सीन केवल भारत के लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया के लिए संजीवनी बनकर पूरे विश्व के लोगों की रक्षा कर रहा है।

यह सरकार का प्रयास एक द्योतक है, एक प्रतीक है। कोविड की चुनौती पर चीन हैल्पलैस हो गया। कल रात मैं टीवी देख रहा था, जर्मनी में मार्च तक लॉक डाउन हो गया, इंग्लैण्ड में लॉक डाउन है। हम भारत में फिर से सामान्य स्थिति में बैठे हैं। हमने कंट्रोल किया है, 97.54 परसेंट रिकवरी रेट हो गया, 1.4 परसेंट दुनिया का सबसे मिनिमम, सबसे नॉमिनल डैथ रेट है।

मैं वर्ष 2015-16 की बात कर रहा हूं, नेशनल फैमिली हैल्थ–iv की रिपोर्ट है और नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे–v की रिपोर्ट नहीं आई है। 18 राज्यों में इसे लागू कर दिया। वर्ष 2015-16 में हमारी सरकार आई और हमने इस पर फोकस किया जिससे कुपोषित बच्चों की संख्या 48 परसेंट से घटकर 38 परसेंट हो गई। माननीय मंत्री जी नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे–v की रिपोर्ट के बारे में बताएंगी तो मेरे ख्याल से और भी घट गया होगा।

आईसीडीएस इम्युनाइजेशन का काम कर रहा है, न्युट्रिशन का काम कर रहा है, हैल्थ चैकअप का काम कर रहा है, रैफरल सर्विसेज का काम कर रहा है, प्री-स्कूल एजुकेशन का काम कर रहा है। न्युट्रिशन एंड हैल्थ इन्फार्मेशन, 15 से 45 साल तक की महिलाएं के बीच में काम कर रहा है। इस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि कोविड-19 में आशा बहनें, बहुएं गांवों में जा रही थीं, उनको 2000 रुपये अलग से दिए गए थे। इंश्योरेंस कवरेज आंगनवाड़ी के लोगों को दिया गया था लेकिन इनको यह पैसा नहीं मिला। इस बात पर विचार किया जाए। कोविड-19 में आशा बहनें या बहुएं घर-घर में जा रही थीं, उसी तरह से आंगनवाड़ी महिलाओं ने भी काम किया। उनके लिए भी यही सुविधा होनी चाहिए थी।

लॉक डाउन में जो आंगनवाड़ी सैंटर्स ने काम किया है। 'As regards the functioning of Anganwadi Centres during COVID-19, distribution of food items and nutrition was

supported by Anganwadi Workers once in 15 days at the doorstep of beneficiaries.'

21.00hrs

इसका मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही नहीं बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों से बाहर निकलकर हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, हमारी सहायिका लॉकडाउन के दौरान भी उसी तरह से कोरोनो योद्धा की तरह लोगों के घरों पर जाकर, जहां गर्भवती महिलाएं थीं या जहां छोटे बच्चे थे, उनके बीच में जाकर, जिस प्रकार से रेडी टू ईट, पुष्ट आहार या अनाज बांटने का काम किया, मैं निश्चित तौर से इस सदन के माध्यम से अपनी उन आंगनवाड़ी बहनों को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन महिलाओं को देश सलाम कर रहा है। कोरोना में जहां बड़े-बड़े लोग डर गए थे, लोग अपनी दहलीज से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग अपनी जिन्दगी की हिफाजत की दुआ कर रहे थे, वहां हमारी ये बहनें प्रधान मंत्री मंत्री मोदी जी के आह्वान पर अपनी जान को जोखिम में डालकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक दूसरों की जिन्दगी बचाने का काम किया।

आज पोषण अभियान में हमारे मंत्री जी के विभाग ने 10 लाख 22 हजार आईसीडीएस वर्कर्स को दिसम्बर, 2020 तक ट्रेंड कर दिया। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। गांव में इनके केंद्र पर कोई नहीं जाता था। आंगनवाड़ी के नाम पर एक जमाना था कि किस तरीके से वे महिलाएं उसी केंद्र पर रहती थीं। लोगों को लगता था कि पुष्ट आहार नहीं पहुंच रहा है। पुष्ट आहार था भी, तो स्टेट लेवल पर जिस गुणवत्ता का होना चाहिए था, वह नहीं था। आज यहां से यह कोशिश होती। हम फेडरल स्ट्रक्चर में हम रह रहे हैं।

माननीय सभापति: एक सेकेंड जरा रूकिए। नौ बज रहे हैं। सदन की सहमति हो तो अभी दो घंटा समय बढ़ा दिया जाए। बाद में, फिर देखेंगे जैसी आवश्यकता होगी।

श्री जगदम्बिका पाल: बारह बजे तक कर दीजिए।

माननीय सभापति: इनको पूरा कर लेने देते हैं, फिर उसको आगे कर लेंगे। पाल साहब विषय को पूरा कर दीजिए। उसके बाद जीरो ऑवर ले लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल: हमारा कंटिन्यू कर दीजिए।

माननीय सभापति: ठीक है।

श्री जगदम्बिका पाल: धन्यवाद।

माननीय सभापति: आप अगली बार करना चाहते हैं? अभी पूरा नहीं करेंगे?

श्री जगदम्बिका पाल: नहीं सर, अभी तो शुरुआत है। परम्परा यही है कि कंटिन्यू हो जाती है। …(व्यवधान) आप 'जीरो ऑवर' कर दीजिए। अभी बहुत-सी बातें कहनी हैं।

माननीय सभापति: ठीक है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा था कि 'जीरो ऑवर' से पहले मैं अपनी बात रख दूं। एक सांसद के रूप में कल मेरे विशेषाधिकार का और सदन की मर्यादा का जो हनन हुआ है, उसके तहत मैंने नियम संख्या-223 के तहत आपको एक नोटिस दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस नोटिस को स्वीकार करेंगे। पहली बार हम लोगों ने देखा कि एक संसद सदस्य आज्ञा दे रहा है कि आप सब मौन धारण के लिए खड़े हो जाइए और कुछ सदस्य मौन धारण भी कर लेते हैं। इन सबके खिलाफ लोक सभा को कार्रवाई करनी चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए। ये नोटिस पर बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : मैंने 'Kaul and Shakdher' की सारी प्रतियां देखीं, सारी किताबें देखीं, केवल एक जगह मुझे 'The Contempt of Parliament' मिलता है। कान्टेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में - What is there in 'the Contempt of Parliament'? It says: "Speeches or writings reflecting on the House, its Committees or Members." Then, it says: "reflections on the character or impartiality of the Speaker in discharge of his duties." इससे आगे कोई किताब 'Kaul and Shakdher' की सोच भी नहीं पाती है कि इसके अलावा भी कुछ घटना हो सकती है। यह पहली बार हुआ कि एक संसद सदस्य हमें आदेश देता है कि आप मौन धारण करने के लिए खड़े हो जाइए और कुछ संसद सदस्य खड़े भी हो जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार एक सांसद राहुल गांधी ने खड़ा होने का आदेश दिया और जो भी सांसद खड़े हुए, उन सभी पर मेरा विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। उन्होंने इस संसद की गरिमा का अपमान किया है, इस लोक सभा का अपमान किया है। इसलिए, मुझे विश्वास है कि आप इसको विशेषाधिकार समिति में भेजकर उन सभी पर कार्रवाई करने के मेरे अनुरोध को जरूर स्वीकार करेंगे।

माननीय सभापति: और कोई मत बोलिए।

…(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मेरा अपना अनुभव है कि इस सदन में जो सदस्य पहली बार भी चुनकर आता है, वह भी इस बात को जानता है कि यह सदन परम्पराओं और नियमों से चलता है। लेकिन कोई चार बार चुनकर आया हुआ ***…*** [*] सांसद अगर इस बात को नहीं जानता है, तो यह इस सदन की गलती नहीं है। वह नहीं जानता है, चलेगा। हमें इसमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अपनी अनभिज्ञता के कारण वह सदन की परंपराओं को, सदन के नियमों को ठोकर मारे, यह सदन इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा।…(व्यवधान)

महोदय, कल 11 फरवरी को जो घटना घटी है, कांग्रेस पार्टी के नेता और चार बार के सांसद राहुल गांधी जी ने लोक सभा में जो असंसदीय आचरण किया है, उसने इस देश के प्राचीनतम लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है।…(व्यवधान) लोक सभा के अध्यक्ष महोदय चेयर पर थे। उनकी अनुमति लिए बगैर दो मिनट का मौन और सीधे आदेशित करना, यह विचार प्रवाह को…(व्यवधान)

माननीय सभापति : बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : सभापति महोदय, यह संसदीय विचार प्रवाह को स्तब्ध करने वाली घटना है, जो स्वीकार नहीं की जा सकती है। यह सदन को कलंकित करने वाली घटना है। यदि राहुल गांधी जी, कोई मौन चाहते थे, तो उसके लिए उनको अनुमति लेनी चाहिए थी।…(व्यवधान) उनको कार्रवाई का आग्रह करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी के युवराज को प्रक्रिया और नियमों को निभाना

---

[*] Not recorded

उनके वंशानुगत राज के सामने बहुत बौना लगता है। लेकिन यह सदन कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं है, जिसे वह अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे चलाएंगे।...(व्यवधान) यह परंपराओं से चलेगा, यह व्यवस्था से चलेगा, यह नियमों से चलेगा। यह घटना असंवैधानिक है, अनुचित है, विशेषाधिकार और सदन की अवमानना के अंतर्गत आती है। हमने पिछले कई अवसरों पर देखा है कि संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा का ...* करना राहुल गांधी जी का स्वभाव बन गया है। संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में रहकर काम करना उनको ठीक नहीं लगता है। हम देखते हैं कि जब भी वह सदन के भीतर आते हैं, किसी भी विषय पर संवाद करते हैं, तो वह संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं। न तो उनकी बातों का कोई साक्ष्य होता है, न उनकी बातों के पीछे कोई आधार होता है। लेकिन ...* की बुनियाद पर वह अपनी बात को सदन के भीतर रखते हैं और वह चाहते हैं कि उस ...* की बुनियाद को पूरा देश माने। लेकिन देश को भ्रमित करने का, देश को तोड़ने का, देश को कलंकित करने का, देश को नीचा दिखाने का, राहुल गांधी जी कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं।

महोदय, इसीलिए मैं इस सदन में यह मांग करता हूं कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और उसके साथ सदन की अवमानना की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी लोगों को एक प्रेरणा मिले कि सदन के भीतर अगर असंसदीय आचरण होगा, तो वह स्वीकार नहीं होगा, वह बर्दाश्त के बाहर होगा।

माननीय सभापति : श्री पी. पी. चौधरी जी।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। आपने नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। उनको अपनी बात कहने दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : पाल साहब, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : महोदय, किसी मेंबर को सिंगुलर में एड्रेस नहीं करना चाहिए।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश अली जी, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : कोई भी असंसदीय शब्द होगा, तो वह डिलीट कर दिया जाएगा। आप बैठ जाइए। उसकी चिंता आसन से हो जाएगी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : दानिश अली जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : चौधरी साहब, आप बोलिए। केवल आपकी बात रिकार्ड में जाएगी और कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान के तहत जब यह सदन गठित हुआ था, तब पूरे हाउस ने सर्वसम्मति से माननीय अध्यक्ष महोदय को चुना था। उसके बाद सर्वसम्मति से सभी सभापति महोदय चुने गए हैं। लेकिन कल इस सदन के अंदर जो घटना घटी थी, ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय चेयर पर विराजे हुए थे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, जैसा कि अभी मेरे मित्रों ने कहा है कि वह चार बार से लोक सभा के

सांसद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों को खड़ा होने के लिए कहा और उनसे मौन रखवाया। भारत के संविधान के तहत स्पीकर महोदय और सभापति महोदय को ही यह अधिकार है। उनको यह अधिकार नहीं था।

यह इतना ग्रॉस मिसकंडक्ट है, यह सीरियस कंटेम्प्ट है। यह हाउस का सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उनका हाउस के प्रति डेरोगेटरी एटिट्यूड था। यही नहीं, हाउस के जो प्रिसिंपल्स हैं, हाउस को चलाने की जो प्रैक्टिस है, उन स्टैण्डर्ड्स के साथ इनकंसिस्टेंट था, जो हम हर मैम्बर से एक्सपेक्ट करते हैं। यह हाउस की प्रोसिडिंग को रोकने का काम था। उनका इस तरह का कंडक्ट था कि उन्होंने हाउस की प्रोसिडिंग को रोका, उसे इम्पीड किया। यह डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा अटैक है। उन्होंने पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशन को अडंरमाइन करने का कृत्य किया है। पॉर्लियामेंट की अथॉरिटी को इग्नोर करने का काम किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो चार बार के सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्हें भारत के संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के तहत स्पीकर चुने जाते हैं और यह उनका काम होता है, लेकिन उन्होंने स्पीकर का काम करने का बिहेव किया इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह हाउस का सीरियस कंटेम्प्ट है। यह सीरियस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, कैंसर एक ऐसा शब्द है, जिसका नाम सुनते ही लोगों को मन में एक ऐसे मरीज की तस्वीर सामने आ जाती है, जो मौत के करीब होता है। वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2018 में कैंसर के करीब 11 लाख 60 हजार मामले सामने आए थे, जिनमें करीब 8 लाख लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय रोग सूचना एवं अनुसंधान केन्द्र द्वारा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 तक देश में साढ़े पंद्रह लाख से भी अधिक लोग कैंसर का शिकार बन सकते हैं। बिहार सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खासकर बच्चों में कैंसर मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश लोगों में बहुत देरी से कैंसर के बारे में पता चलता है और उस स्थिति में उनके जीवित बचने की सम्भावनाएं न के बराबर रह जाती हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बेहतर ईलाज के अभाव में देश में हर 10 में से 7 कैंसर मरीजों की मौत हो जाती है। विश्व के कई देशों से तुलना में भारत में दो हजार कैंसर मरीजों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जो चिंता की बात है।

महोदय, आज कोरोना वैश्विक महामारी के इस मुश्किल दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत दवा आपूर्ति से लेकर वैक्सीन बनाने तक सम्पूर्ण विश्व को नई उम्मीद, नई राह दिखाने का काम किया है। ऐसे में लोगों की अपेक्षा है कि कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में भी सरकार को और प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। देश में कैंसर के बेहतर उपचार की सुविधाओं को विकसित करने के साथ-साथ लोगों को कैंसर के कारणों एंव इसके रोकथाम के लिए जागरुक करना होगा। जिससे आत्मनिर्भर भारत मुहिम में देश एक कदम और आगे बढ़ सके। अतः सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि कैंसर जैसे गम्भीर रोग की रोकथाम एवं निदान हेतु कारगर उपाय किए जाएं।

माननीय सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि दो मिनट से अधिक समय बिल्कुल भी न लें। आप कोशिश करें कि डेढ़ मिनट में बात पूरी हो जाए। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि शून्य काल में सभी को अवसर मिल जाएगा।

…(व्यवधान)

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): सभापति महोदय, धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य के मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी तथा नासिक जिले में बड़ी मात्रा में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। लगभग 75 प्रतिशत अंगूर दुनिया के कई देशों में जैसे नीदरलैंड, रूस, बांग्लादेश, जमर्नी, यूके और अन्य देशों में निर्यात किए जाते हैं। हमारे द्वारा निर्यात किए जाने वाले अंगूरों की गुणवत्ता दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे अच्छी है और फलों में सबसे ज्यादा निर्यात भी अंगूर का होता है। मैं आभार व्यक्त करती हूं कि हमारी सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एमईआईएस योजना के तहत ताजे फल और सब्जियों के एक्सपोर्ट पर सब्सिडी प्रदान की, जो एफओबी मूल्यों पर पांच से सात प्रतिशत थी। यह योजना 31 दिसम्बर, 2020 तक लागू थी। केन्द्र सरकार ने आरओडीटीईपी नामक एक नई योजना लागू की है, लेकिन इस योजना के तहत कितनी सहायता या कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, यह अभी तय नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि बड़ी मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण अंगूर का भारत से जो एक्सपोर्ट शुरू हुआ है और जिस तरह रेल द्वारा कृषि उपज पर सब्सिडी दी जा रही है, उसी तरह अंगूर आदि के एक्सपोर्ट पर जल्द से जल्द यह सब्सिडी दी जाए और किसानों को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद।

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): सभापति महोदय, आज शून्य काल के माध्यम से मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी।

पिछले चालीस-पैंतालीस वर्षों में मेरे संसदीय क्षेत्र में ईचा-खरकई डैम परियोजना चल रही है और 1981 से लेकर अब तक लगातार इसका विरोध होता रहा है। इस विरोध आंदोलन में शहीद गंगाराम कालुंडिया, जिन्होंने 1971 के युद्ध में भाग लिया था और तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। इस ईचा-खरकई डैम परियोजना से हजारों-लाखों आदिवासी परिवार विस्थापित हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि इस परियोजना को तत्काल रद्द किया जाए, क्योंकि झारखण्ड सरकार ने इसे रद्द कर दिया है।

मैं आपके माध्यम से, सरकार से फिर एक बार निवेदन करूंगी कि इसे रद्द किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : सुश्री एस. जोतिमणि – उपस्थित नहीं ।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ ।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, my issue is with regard to enhancing the wage employment under MGNREGA from 100 days per household employment ceiling to 150 days during the financial year, 2020-21.

Our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy *Garu* is committed to construct about 30 lakh houses in the coming three years towards fulfilling the Government of India's objective of providing 'Housing for All' by 2022.

All the housing beneficiaries covered under the State Government programme are from the BPL families. If on exhaust of 90-person days for the construction of rural houses within the 100 days wage employment guaranteed by

the NREGA. They are unable to get further employment during the lean season, such situation may compel these BPL families to go on migration.

In view of the above circumstances, I request the Government to consider the following for the benefit of the rural people: -

1. There should be early release of pending amount of Rs.3,707.77 crore under the MGNREGS material and administrative component to Andhra Pradesh.
2. And, the Government should enhance the wage employment under MGNREGA from 100 days per household employment ceiling to 150 days during the financial year 2020-21.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, माननीय सांसदों के लिए रूम नम्बर 70 में डिनर की व्यवस्था की गई है और जो लोग आज इस परिसर में ड्यूटी पर हैं, चाहे सिक्योरिटी, प्रेस पर्सनल, हमारे कर्मचारी-अधिकारी हों, वे सभी रूम नम्बर 73 में डिनर ले सकते हैं और डिनर चालू है।

माननीय सभापति: श्रीमती रंजीता कोली – उपस्थित नहीं।

श्रीमती भावना गवली (पाटील)।

श्रीमती भावना गवली (पाटील) (यवतमाल-वाशिम): सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्व का, किसानों का विषय यहां रख रही हूं। हमारे सभी एमपीज के अपने-अपने राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन होता है।

हमने देखा है कि आजकल जो कंपनियां उस पर काम कर रही हैं, वे प्राइवेट कंपनीज हैं। मेरे यहां जो कंपनी है, मैं अपने पर्टिकुलर क्षेत्र की भी बात करना चाहूंगी, उसमें रिलायंस और इफको-

टोकियो कंपनी हैं। किसानों का सर्वे होता है, वे बिल्कुल भी किसानों का सर्वे नहीं करती हैं। इन कंपनियों के आने के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ईस्ट इण्डिया कंपनी हमारे भारत में फिर से आई है।

किसान फसल बीमा योजना, आपत्ति के वक्त किसानों की मदद करने के लिए योजना है। हमने जो देखा है और मेरे वक्तव्य से मेरे सारे सांसद भाई भी समर्थन करेंगे, सभी के क्षेत्रों में, जिन्होंने इसका जायजा लिया है, उसमें यही देखने को मिला होगा कि किसानों को बहुत ही कम मुआवजा मिलता है। मैं यहां पर बताना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में ये दो कंपनियां काम करती हैं। महाराष्ट्र में भी जो कंपनियां काम करती हैं, उनके सर्वे वाले जो लोग होते हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 16 तालुकाज हैं, तो वहां पर उनके 100 सर्वेयर होते हैं तो मुझे बताइए कि किसानों की इतनी फसल का सर्वे कैसे होगा? ये सारे फेक सर्वे होते हैं। मेरे कहने का मतलब है और मेरी यह मांग भी है कि जो सर्वे इन्होंने किया है, वह ठीक से नहीं किया है। ऐसी कंपनियों के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और उनको ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए।

महोदय, मैंने वहां पर राज्य सरकार से विनती की है। हमारी राज्य सरकार ने यहां पर एक प्रपोजल भेजा है कि यह जो योजना है, इसको भारतीय कृषि बीमा कंपनी चलाए या इसे स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दें। जब वह सर्वे होगा तो वह सही तरीके से आएगा। अगर सर्वे सही होगा तो किसानों को वहां पर मुआवज़ा मिलेगा। मैं आज देख रही हूं कि किसानों को कोई मुआवज़ा नहीं मिल रहा है। वहां सारे पैसे हड़पने का षडयंत्र चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर किसान को कोई मदद ही नहीं मिल रही है तो कैसे चलेगा? मेरी मांग है कि इस योजना को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार चलाए और किसानों को राहत दे।

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र बदायूं के बहुत बड़े हिस्से से माँ गंगा होकर गुजरती है। मैं आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री और

माननीय पर्यटन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। मैं गढ़मुक्तेश्वर से कछला घाट तक कॉरीडोर की स्थापना हेतु अपनी बात रखना चाहती हूं।

महोदय, 130 किलोमीटर की दूरी का कॉरीडोर मूल रूप से गंगा के किनारे के गांवों के विकास से सीधे-सीधे जुड़ेगा, वहीं उत्तर प्रदेश के दो भाग, पश्चिम और ब्रज के हिस्से में जलमार्ग द्वारा यातायात से नए आयाम भी स्थापित होंगे। माननीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी का भी यह सपना है कि सड़क पर ट्रैफिक कम हो, अगर हम सड़क का ट्रैफिक जलमार्ग से शुरू करेंगे तो सड़क पर ट्रैफिक भी कम होगा और कम समय में हम लम्बा सफर भी तय कर सकेंगे। इसके साथ ही गंगा से लगे हुए गांवों का समग्र विकास भी होगा। जलमार्ग के प्रयोग से सड़कों पर भारी यातायात से निजात के साथ-साथ कॉरीडोर के बनने से नए रोजगार भी मिलेंगे। नए जलमार्ग से कम समय में ज्यादा काम कर सकेंगे। जो गांव सदियों से गुमनाम होते जा रहे थे, इस कॉरीडोर के बनने से उन्हें नई पहचान मिलेगी। 'नमामि गंगे' की इस परियोजना को मेरे क्षेत्र में लागू कर माननीय प्रधान मंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने का अवसर भी मिलेगा।

महोदय, यह कॉरीडोर आध्यात्मिक व भक्ति से परिपूर्ण मार्ग है। जहां गढ़मुक्तेश्वर में शिव भगवान का धाम है, वहीं बुलंदशहर के घाट पर मां गंगा की महिमा है और उसके आगे हरिबाबा बांध, जो हमारे क्षेत्र गुन्नौर में आता है।

माननीय सभापति: आप विषय पर आइए।

डॉ. संघमित्रा मौर्य: महोदय, हरिबाबा बांध, एक एमबीबीएस के छात्र थे, उन्होंने आखिरी सेमेस्टर छोड़कर मानवता के लिए काम किया और काफी लोगों को बचाने के लिए मिट्टी के बांध का हरे राम, हरे कृष्ण के मंत्र से अभिमंत्रित कर लाखों लोगों का जीवन बचाया। उसके आगे राजघाट, माँ गंगा की अनूठी गाथा कहता है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं। उसी के आगे नरौरा और कछला घाट आता है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार

और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी की राजमार्ग और पर्यटन दोनों की दृष्टि से हमारे क्षेत्र को जोड़ें, ताकि हमारे क्षेत्र में विकास हो सके।

माननीय सभापति : सूची बहुत बड़ी है। शून्य प्रहर लगभग नहीं हो पाया है। कृपया, आप सभी समय का ध्यान रखें, डेढ़ मिनट समय पर्याप्त होता है, मुझे भाषण के बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो मैं घंटी बजाऊंगा।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान सन् 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली शहीद वीरांगना ऊदा पासी की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं, जिन्होंने लखनऊ के छठे नवाब वाजिद अली शाह की सेना में शामिल हो कर, उनकी महिला दस्ते में महिला लड़ाकों की बटालियन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जब लखनऊ के सिकंदर बाग में अंग्रेज सैनिकों ने धावा बोला था, तब वीरांगना ऊदा पासी ने पुरुष की वेश-भूषा धारण करके, पेड़ पर चढ़ कर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 30 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। उनकी इस बहादुरी की चर्चा उस वक्त लंदन के प्रमुख अखबारों में भी की गई थी। आपके माध्यम से मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि स्कूली पाठ्यक्रम में इतिहास की किताबों में शहीद वीरांगना ऊदा पासी जी के चरित्र, पराक्रम और शौर्य गाथा के वर्णन को सम्मिलित किया जाए, जिससे भारत की आने वाली पीढ़ियां उनके बहादुरी और उनकी बलिदान के बारे में जान सके।

DR. T. SUMATHY (*A)* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, I thank you very much for having allowed me to raise a matter of urgent public importance.

Corridor-3 of Chennai Metro Rail has been divided into three segments and the crucial link from Tharamani Road to Shollinganalur, which is a part of my constituency, has not yet been initiated to tenders.

Sir, the IT expressway, spanning 45 kilometres, is a crucial limb of the Chennai City which is home to almost all modern IT companies. It was during the regime of our greatest visionary leader, Dr. Kalaignar, that the Metro Rail and the IT expressway were kickstarted. A further facelift to all these projects was given when our party leader, *Thalapati* M.K. Stalin was the local administration Minister. But what has happened now is that, as it is the wont slackening attitude of the present AIADMK Government, proper thrust has not been given to speed up this project.

Sir, through you, I would like to ask the Central Government, which co-owns the CMRL, to speed up the process and to set open the road which is a very crucial stretch because everyday more than one lakh vehicles ply through that stretch. So, it will definitely ease up the lives, particularly of the South Chennai people, of my constituency by giving them a traffic-jam free road.

Thank you.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Sir, I wish to bring to your notice a matter relating to the coastline of Andhra Pradesh.

The coastline of AP is the second largest in India and is dissected by two major rivers – the Krishna and the Godavari – two smaller streams – Penna and Vamsadhara – and also 35 smaller streams. The long coastline of Andhra Pradesh is one of the most cyclone prone areas in India with frequent occurrence of severe cyclone storms in a less span and heavy rainfalls.

Besides raising questions about the future of millions living on or near our coasts, the climate change also places in danger the economic activities - such as agriculture, industry and tourism – impairing the economy. It could also deal a blow to vital infrastructure such as ports and affect fresh water resources at a time of growing water scarcity.

The Climate Central study published in the journal *Nature Communications* expects areas inhabited by 36 million Indians now to be at the risk of chronic flooding by 2050, much higher than the five millions expected previously. Globally, the figure could be as high as 300 million people, nearly four times the past estimations.

I, therefore, request the Central Government, through you, to scrutinize the subject and provide financial assistance to protect the most vulnerable points on different flood banks by providing rough stone revetment and forming groynes or repairs to the existing outfall sluices, depending upon the site conditions, under the Centrally-sponsored scheme ‘Critical Anti-Erosion Works’ in coastal Andhra Pradesh.

Thank you.

DR. RAJASHREE MALLICK (JAGATSINGHPUR): Thank you, Chairman Sir.

The famous temples of Lord Jagannath, Puri and the Sun Temple, Konark are situated in coastal areas of Odisha. Both the temples are 800 to 900 years old. There are beautiful sculptures and fine stone carving images. Due to the

effect of saline climate and frequent occurrence of cyclones, the super sculptures and images are being destroyed day by day. The restoration work has been assigned to ASI. It is observed that the beautiful stone craft, sculptures and images are being replaced with plain stones.

Sir, though there are lots of stone craftsmen available in Odisha who can replicate such images, no steps are being taken to utilise the stone craftsmen for the purpose. Since these monuments are the destiny of lakhs of tourists, I would strongly recommend for their sustainable restoration. Thank you, Sir.

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): Sir, I would like to draw the kind attention of the House to a very sensitive issue relating to my parliamentary constituency.

Shri Anand Patri of Village Kalyani, Police Station Dhamnagar, District Bhadrak of Odisha was recruited in the Indian Army in the year 1955-56. Shri Patri participated in the Indo-China War in 1962 and in the Indo-Pak War in 1965. However, Shri Patri became a Prisoner of War in 1965 war and is languishing in Kot-Lakphat Central Jail, Lahore, Pakistan.

Sir, the Government of Pakistan was ready to release him in the past as a civilian prisoner whereas he is acceptable only as a Prisoner of War as per International Conventions. Further, as per Geneva Convention, a Prisoner of War cannot be detained for more than 12 years. The family members of Shri Patri are still hopeful to get him back.

The hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik had requested the hon. Minster of External Affairs, Government of India in 2008 for taking early steps for release of Jawan Shri Patri. I have also requested the hon. Minister of External Affairs, Government of India through a letter dated 12.12.2020 for initiating talks with his counterpart in Pakistan for the early release of Shri Patri. There is no visible progress in the matter.

I would like to request the hon. Minister, through you, to realize the gravity of the plight of the family and take essential steps for release of Jawan Shri Anand Patri.

Thank you, Sir.

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, Chairman Sir.

As the recent pandemic has taught us the value of healthcare in the governance, there is a need for the Union Government to support Andhra Pradesh in the establishment of 13 medical colleges that will help the State to comply with the World Health Organization healthcare standards and equalize the ratio between parliamentary constituencies and the Government medical colleges within a State like Tamil Nadu.

Post bifurcation of Andhra Pradesh and with the absence of special category status, private investments in healthcare sector is not forthcoming. The Andhra Pradesh Government under the visionary leadership of Shri YS Jagan

Mohan Reddy Garu has been doing everything possible to revolutionize the healthcare sector in the State.

I request, through you, Chairman Sir, the Central Government to sanction 13 Government medical colleges to Andhra Pradesh and support the State Government in providing healthcare facilities to our State of Andhra Pradesh.

Thank you, Sir.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम लॉट्री में था। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : पाल साहब, आप प्लीज अपने विषय के बारे में बोलिए। आपके 15 सेकेंड्स निकल चुके हैं।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सौभाग्य से हमारी पूर्व एचआरडी मंत्री भी यहां बैठी हैं, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की शुरूआत की थी। इन्होंने इसे पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक डोमेन में परिचालित किया।

महोदय, मैं आज यह कह सकता हूं कि आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वह शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी है, जो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है। निश्चित रूप से लॉर्ड मैकॉले ने इस देश की शिक्षा को खराब किया था। लॉर्ड मैकॉले से पहले हमारी 97 परसेंट साक्षरता थी, ऐसी परिस्थितियों में कहीं न कहीं आज जब केन्द्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, शिक्षा ही संस्कार और क्वालिटी ऑफ लाइफ या किसी देश की नेशन बिल्डिंग में एक सबसे बड़ी बुनियाद है।

इस दिशा में इस बार के बजट में भी आपने देखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के लिए डिस्प्लिन्ड लाइफ के बारे में उल्लेख किया गया था। इस दिशा में 100 सैनिक स्कूल्स की घोषणा हुई है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप क्या चाह रहे है, यह बता दीजिए।

…(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं केवल भूमिका सी बता रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ये सैनिक स्कूल्स देश के हर राज्य में एक नई कार्य संस्कृति, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक नई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों के भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।

मेरा जिला सिद्धार्थनगर, 112 आकांक्षा जनपदों में से एक है। हम नेपाल की सरहद पर हैं और हमारे चार जनपद, जो तराई फुटहिल्स पर हैं, वे आकांक्षा जनपद हैं।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के उस पूर्वांचल में, नेपाल की तलहटी में, सिद्धार्थनगर में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

धन्यवाद।

*__SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR):__ Hon. Chairman Sir, Vanakkam. There are two terminals at the Chennai Airport. One is the International terminal and the other one is the domestic terminal.

At the domestic airport, at the time of landing of any flights, we have heard the welcome announcement saying “Welcome to Kamarajar Domestic Airport”. Similarly, when you arrive at the international airport, we have heard the welcome

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

announcement saying “Welcome to Arignar Anna International Airport”. Similarly, the name boards and hoardings carrying the names of Perunthalaivar Kamarajar and Perarignar Anna were displayed at the arrival point of the respective airport terminals. Now the announcements have been stopped. Moreover, the name boards do not exist. I don’t know what is the reason for this anger of the Modi Government.

Great leaders like Perunthalaivar Kamarajar and Perarignar Anna are the pride of Tamils and Tamil Nadu. This shameful act is hurting the sentiments of each and every Tamil of our country. If there is any disgrace that is shown towards these two leaders, it is the disgrace shown on every Tamil. In Mangalore, the airport has been named as Adani Airport.

I seek you help in this August House. I want that there should be announcements and name boards in the names of Perunthalaivar Kamarajar and Perarignar Anna as it was earlier. I urge the Union Minister of Civil Aviation, through you, to take necessary action in this regard.

Thank you.

*__SHRI SURESH PUJARI (BARGARH):__ Hon. Chairman, Sir, I beg to raise the issue of serious dislocation in the process of paddy procurement in the State of Odisha which has been haunting the society at large since two and half months.

The token system introduced by the State Government has derailed the paddy procurement process to such an extent that farmers who have already harvested their crop are awaiting for their token to sell their paddy where as those who harvest paddy at a later stage are issued with token which lapses before their crop are harvested as a result of which lacs of quintal of paddy are in the market yard and farmers are awaiting for the renewal of their Token to ell their crop, get their prise, repay their loan, obtain new loan from the Cooperative societies, purchase seeds, and start cultivation of the *rabi* crop.

The farmers who are supposed to be in their field are now in the market yards which will adversely affect the Rabi Production.

The tension in such situation led to heart attack to one of farmer of my Constituency at Paikmal Block of Bargarh.

Therefore, I request the Hon'ble Minister of Agriculture through You, Sir to intervene in the matter, give advisories to the Govt. of Odisha to lift all paddy lying in different market yards of Odisha and save the farmers from such ugly situation cared by lack of farsightedness of the Government and direct them to do away with the Token system. Thank you, Sir.

---

* English translation of the speech originally delivered in Odiya.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे जीरो ऑवर के अंदर बोलने का मौका दिया।

महोदय, यहाँ हमारे उद्योग मंत्री जी विराजमान हैं। मैंने पर्यावरण मंत्री जी को एक पत्र लिखा था। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के मुण्डवा में निर्माणाधीन अम्बुजा सीमेंट कंपनी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर EC ली गई। उसके संबंध मैंने पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया और इन्होंने जाँच के आदेश भी दिए।

महोदय, 28-09-2020 को जावड़ेकर जी ने मुझे पत्र लिखा कि आपकी शिकायत पर जाँच कमेटी बना दी गई है और इस मामले में जाँच करवा रहे हैं। मैं एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। इस मामले में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। कंपनी ने वहाँ तालाब पशु-पक्षियों, शहर से 500 मीटर की दूरी सहित कई तथ्यों को छिपाकर पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत गलत तथ्य पेश करके EC ली। मंत्री जी द्वारा जाँच के आदेश दिए जाने के बाद वहाँ कंपनी ने रातों-रात तेजी से काम शुरू कर दिया, अभी निर्माण चल रहा है।

वर्ष 1981 से यहाँ सीमेंट प्लांट बनाने के नाम पर लैंड बैंक बनाई गई और तीन-चार बार दूसरी कंपनियों को धीरे-धीरे बेचते गए। उस समय वहाँ किसानों को मात्र 10 हजार रुपये मुआवजा दिया था। वहाँ आज जमीन के भाव 30 लाख रुपया बीघा हैं। वहाँ अभी तक प्लांट नहीं बना है। EIA की रिपोर्ट में भी कंपनी ने बंजर भूमि दर्शायी, जो सरासर गलत है। रेलवे लाइन, मुख्य तालाब वे एन.एच. के बिल्कुल पास निर्माणाधीन प्लांट की EC निरस्त कर अम्बुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें।

माननीय सभापति : डॉ. एस. टी. हसन।

…(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : मंत्री जी, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि एक मिनट इस मामले में अगर आप इतना सा बता दें कि आपका पत्र मेरे पास आ गया था।…(व्यवधान) आपने यह कहा कि कमेटी

आपने बना दी है।…(व्यवधान) जब तक जाँच होगी, उससे पूर्व वह बन जाएगा।…(व्यवधान) फिर जाँच का क्या फायदा है?…(व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): सर**,** बहुत**-**बहुत शुक्रिया**।**…(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : यह आप इसमें बोल देना।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप ऐसा न करें। आप बाद में बात कर लीजिएगा। हसन साहब, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

डॉ. एस. टी. हसन: सर**,** मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बहुत गंभीर समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।…(व्यवधान) यह समस्या गरीब और अति गरीब के न्याय से जुड़ी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत पुरानी माँग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं हाई कोर्ट की बेंच बनाई जाए।

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सहारनपुर से जब गरीब इलाहाबाद जाता है तो वह 900 किलोमीटर का सफर तय करता है, जबकि सहारनपुर से लाहौर 350 किलोमीटर है। मुरादाबाद सेंटर में आता है, जो सहारनपुर से भी 200 किलोमीटर है और शाहजहाँपुर से भी 200 किलोमीटर है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के अंदर एक हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करें ताकि गरीब और अति गरीबों को न्याय मिल सके।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, due to an increase in COVID-19 cases, the Governments of GCC countries -- primarily Saudi Arabia and Kuwait -- have imposed a travel ban leading to tens of thousands of NRIs including Malayalis to remain stranded. A majority of them, from poor labourers to professionals, are stranded in the UAE due to this situation.

The sudden travel ban has put them in a crisis situation as many of them have spent upwards of Rs. 1 lakh towards all charges including boarding, air fare and tests for COVID-19. Many of them are on the verge of expiring their employment visa and face unemployment if they are unable to reach their destinations on time.

The Members of Parliament, especially, from Kerala are receiving a number of calls from our people in Dubai.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, it is a very serious matter. We associate with this issue.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): I am also associating.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I would urge upon the Government to instruct the Indian Embassies to extend all possible help to the stranded expatriates. This matter needs urgent attention. We have met the hon. External Affairs Minister and MoS in the Ministry of External Affairs to intervene in this matter and take necessary steps. Thank you, Sir.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, we fully associate with this issue.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN: I am also associating.

HON. CHAIRPERSON: Okay, please send slips to the Table.

… (*Interruptions*)

*__SHRI Y. DEVENDRAPPA (BELLARY):__ Hon. Chairman, Sir, thank you very much for allowing me to raise some issues pertaining to the important public works of my Lok Sabha constituency Bellary in Karnataka state.

Sir, Hubballi Railway station in Karnataka state, was named after Pujya Siddaroodha Swamiji. So, I request the government that the railway station of Bellari should be upgraded and named after Shri Sharana Sakkare Karadisha.

Sir, there is an urgent need to build an airport in Bellary to cater to the needs of the people of neighboring six districts namely, Raichuru, Koppala, Kurnool, Kadapa, Anantapura and Bellary. The required land has been already allotted for the airport.

Sir, the work on the N.H.63 connecting Gutti, Ankola via Bellary is going at snail's pace. So, it should be looked into to expedite the completion of national highway projects. Necessary instructions must be issued to the authority concerned.

Sir, Bellary Radio station was the contribution of the late Sushma Swaraj ji and the radio station should be upgraded as it would help to communicate to the people about agriculture crops, fertilizers, especially weather-related information to our farmers.

Bellary is one of the fastest growing cities in Karnataka. There is an urgent need for a railway line between Bellary and Bengaluru via Raidurga.

---

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

This railway line would meet the demands of the general public, farmers and traders.

माननीय सभापति: निम्बालकर जी, एक मिनट रुकिए। आप अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए।

…(व्यवधान)

***SHRI Y. DEVENDRAPPA :** As far as steel production is concerned, Bellary stands first in the country. In order to meet the healthcare needs of the workers of the steel industries, I request that an ESI hospital with better quality infrastructure should be sanctioned.

I would like to request to set up a Solar Park in Kudligi taluk of Bellari district. I would also request the government to sanction a hospital near Highway to be built at Mariyammanahalli and Hosapet.

Sir, the hon'ble minister for Environment and forest is present here. Through you I would like to bring to his notice that there are a huge number of factories mushrooming everywhere. I request him to ensure that the factory workers are provided with all the facilities as per the provisions made in the law.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

*SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon. Chairman Sir, thank you very much for allowing me to raise an important issue regarding my constituency in this 'Zero Hour'. In last October, my constituency was badly impacted by heavy rains. In Osmanabad 4,16,000 farmers and their 2,62,000 hectares of land, in Barshi Tehsil of Solarpur district, 75,781 farmers and their 68,768 hectares of land, and in Ausa and Nilanga Tehsils of Latur district, 1,52,417 farmers and their 95,777 hectares of land got so badly affected due to the torrential rain. On account of this heavy downpour, farm land got eroded on the river banks.

After witnessing these heavy losses, the State Government on 6th December, 2020 had sent a proposal to the Central Government for granting an immediate aid of Rs.3421 crore for relief. But the Central Government had not come forward to help out these poor farmers till date.

Our state has given a financial assistance of around Rs. 6000 crore to the distressed farmers. In my constituency 6,43,998 farmers have received State Government aid of Rs. 468 crore where around 4,26,643 hectares of land had got affected.

Lastly, Chairman Sir, I would like to request Central Government to come forward to help our distressed farmers.

---

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

*[*] **SHRI DNV. SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. In Tamil Nadu people belonging to Reddy community are considered as forward community. This is a minority group who have time and gain demanded for inclusion of their caste in the list of Backward Classes. In the neighboring State of Karnataka, the Reddy caste is a Backward caste. I request that Reddy caste should be included in the list of Backward classes.

Similarly, the Union Government should also consider the demand of Kurumbars for inclusion in the list of Schedule Tribes. The percentage of reservation for SCs and STs was increased from 16 percent to 18 per cent by the great leader and champion of Social Justice Dr. Kalaignar M. Karunanidhi. The sub-quota of reservation of three per cent for Arunthathiyars and three per cent for Muslims was also provided by Dr. Kalaignar M. Karunanidhi.

As many as 108 castes have been included in the list of most backward classes by Dr. Kalaignar M. Karunanidhi. As a result, the people belonging to these communities got a transformation in their lives with lots of educational and employment opportunities. Social Justice has been protected in Tamil Nadu because of the unmatchable efforts of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi.

During MGR's rule in Tamil Nadu, 21 persons belonging to Vanniars have been shot dead. DMK is the only party which treated them as martyrs and

---

[*] English translation of the speech originally delivered in Tamil

provided a compensation of Rs 3 lakh each to the affected families. Till now those affected families are being paid a pension of Rs 3000 each by DMK.

Our revered leader Thalapathi M.K. Stalin has given an assurance during the Vikravandi Election campaign that the demand for sub-quota under reservation will be fulfilled. The people belonging the several castes and communities were getting educational, employment and other opportunities in Tamil Nadu because of the unparalleled efforts of DMK leader Dr. Kalaignar M. Karunanidhi and during the rule of DMK in Tamil Nadu. In future too, only our revered leader Thalapathi M.K. Stalin can fulfil the demands and aspirations of the people. Thank you for this opportunity.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, my `Zero Hour' submission is in respect of 10 per cent of the reservation to the economically weaker sections of society. The stringent and the rigid conditions formulated by the Government of India in determining the economically weaker section is not suitable to the State of Kerala as it is not in sui with the economic conditions of the State of Kerala. The deserving poor candidates belonging to the economically weaker sections of Kerala have been ousted from the purview of reservation. The norms fixed without consulting the socio-economic and agricultural background of Kerala is totally unscientific. The most adverse criteria are the exclusion on the basis of extent of residential land and area of residence without taking into consideration the special circumstances prevailing in the State of Kerala. For example, in the adverse

criteria, if you examine, a family-owned or possessed a flat of 1,000 sq. ft. and above, and residential plot of 100 sq. yards and above in municipality and residential plot of 200 sq. yards and above in the areas other than a municipality, they are not eligible for reservation, though they belong to economically weaker sections. This is not fair for Kerala because more than 100 per cent of the people belonging to the State who are in the economically weaker sections are not entitled to get reservation though the constitutional amendment has been made by the Government of India.

So, I urge upon the Government of India, especially the Ministry of Social Justice to review the norms and criteria for the economically weaker sections of the society. This matter requires Government's urgent intervention.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, आपने मुझे दिल्ली के एक बड़े सेन्सिटिव विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर, देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी के द्वारा सड़कों जाल बिछा दिया गया है। विकास और प्रगति का द्योतक केवल सड़क मार्ग होते हैं। हमारे यहां दिल्ली में छतरपुर से गुरुग्राम रोड को कनेक्ट करने के लिए जोनापुर, मांडी, चवाया, ग्वालपहाड़ी एक सड़का सन् 2012 में सैंक्शन हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी। यूटीपैक ने क्लियरेंस दे दी। 596 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए थे। पीडब्ल्यूडी बनाने के लिए तैयार हो गई। कुछ रसूखदार लोगों के फार्महाऊस के कारण से उस समय की मुख्य मंत्री ने उनसे सांठ-गांठ कर के वह लैण्ड एक्वायर नहीं की। अब जो महानुभाव जी, विशेष महाप्राणी दिल्ली के मुख्य मंत्री बन गए। वे भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। नौ वर्ष हो गए हैं, उस सड़क को केवल नौ किलोमीटर लंबी सड़क है। और छतरपुर से उसको वहां जोड़ दिया जाए तो महरौली गुरुग्राम से अगर हम रोड़ पर

आते हैं तो आधे-एक घंटे का जो जाम लगता है। जो तीस लाख लोग वहां से निकलते हैं। गुरुग्राम जाने के लिए केवल 15-20 मिनट में लोग पहुंच जाएंगे। सर, चूंकि दिल्ली एनसीटी है, इसके कारण राज्य का विषय, लेकिन आप कहेंगे कि यह मुद्दा मैं यहां क्यों उठा रहा हूँ। सर, चूंकि एनसीटी होने के नाते यूडी मिनिस्ट्री से मेरा निवेदन है कि पहले भी रेड्डी जी जब थे, 597 करोड़ रुपये यूडीपैक की कमेटी के अप्रैल के बाद सैंक्शन हुए थे। यूडी मिनिस्ट्री इसका इनिशिएटिव ले और इस सड़क को तुरंत बनाया जाए - छतरपुर से जौनापुर मांडी होते हुए, ग्वालपहाड़ी से गुरुग्राम रोड़ तक। धन्यवाद।

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, भारत-नेट सैकेंड फेज़ का जो आउटस्टेंडिंग अमाउंट है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के पास जो प्रपोजल आए हैं, उसकी तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत-नेट एक अत्यावश्यक सेवा बन चुकी है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनकी सारी योजना भारत-नेट के माध्यम से ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों, वहां प्रोवाइड की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत नेट का सही तरीके से अमल करने के लिए जो फंडिंग केंद्र सरकार के माध्यम से होनी चाहिए, वह आज तक महाराष्ट्र राज्य को नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य की तरफ से जनवरी, 2019 से 31 अगस्त, 2019 तक करीब पांच बार खत लिख कर एक हजार नौ सौ करोड़ का जो आउटस्टेंडिंग अमाउंट केंद्र सरकार से मिलना चाहिए, उसकी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने ध्यान आकर्षित किया है, बार-बार केंद्र सरकार को विनती की है।

सभापति महोदय, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि यह लोगों के आवश्यक काम को करने के लिए महा-नेट की जितनी भी फंडिंग है, वह जल्द से जल्द महाराष्ट्र सरकार को देने की कृपा करें।

श्री बालक नाथ (अलवर): सर, मैं माननीय प्रधान मंत्री और जल शक्ति मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। लोक सभा चुनाव के पूर्व माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि जल-जीवन मिशन

के तहत सन् 2024 तक हर घर में नल से जल की योजना के माध्यम से हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत सबसे पहली जो इस योजना का इम्पिलिमेंट हुआ और उसमें राजस्थान के सभी जिलों के अंदर अलवर में सबसे ज्यादा गांवों को उनका बजट सैंक्शन करने कार्य माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया है, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। उसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और राजस्थान सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी केंद्र सरकार ने जल-जीवन मिशन के अंदर जो बजट दिया, उस बजट का अभी तक राजस्थान सरकार ने केवल 25-30 पर्सेंट पैसा ही खर्च किया है। मैं इस सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार को भी कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी क्योंकि जल जीवन का सबसे महत्वूपर्ण होता है और पानी की समस्या, प्रत्येक सदन में, हम जब से आए हैं कि देखते हैं कि हरेक सांसद की मांग है कि हरेक के क्षेत्र में पानी की समस्या है। सबका उद्देश्य है कि पानी की इस समस्या का निवारण है।

मैं दूसरी छोटी सी बात यह कहना चाहूंगा कि अलवर एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक विषय का शहर है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, शून्य काल में एक ही विषय आता है।

<u>22.00hrs</u>

श्री बालक नाथ : सर, अलवर बहुत ही पौराणिक शहर है। राजस्थान के 45 प्रतिशत उद्योग अलवर में हैं, जो कि नीमराना, भिवाड़ी, एम.आई.ए., इन सभी क्षेत्रों का नाम एशिया में है। वहां भूजल का बहुत ही व्यापक स्तर पर दोहन हो रहा है।

माननीय सभापति: शून्य प्रहर में एक ही विषय रखा जाता है।

श्री बालक नाथ: माननीय सभापति जी, मैं जल के विषय पर ही बोल रहा हूं। अलवर के अन्दर भूजल लगातार गिरता जा रहा है। अभी 1200-1300 फीट पर भूजल है।

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): सभापति महोदय, बहुत ही दुख के साथ कहना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीटुएंसी अंडमान और निकोबार आइलैण्ड में पिछले 86 दिनों से हमारे जो तमिल भाई हैं, जो सेटलमेंट के लिए वहां गए थे। भारत सरकार और श्री लंका सरकार के बीच वर्ष 1984 में शास्त्री जी और भंडारनायके जी के बीच पैक्ट हुआ था, जिसमें 8,75,000 हिन्दुस्तान के लोगों को वापस लाया गया था। उनमें से 78 परिवारों को अंडमान और निकोबार में सेटल किया गया था। उसमें से 30 परिवारों को अच्छे से सेटल किया गया और बाकी 48 परिवारों को ट्राइबल एरिया में सेटल किया गया। दुख की बात यह है कि भारत सरकार के साथ जो पैक्ट हुआ था, जिसमें उन्हें जमीन देने की बात थी तो उन्हें आज तक कुछ भी जमीन नहीं मिली है। उनका आज यह बुरा हाल है कि उनके पास रहने को छत नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है और जो ट्राइबल एरिया है, वहां कोई काम नहीं है। वे 86 दिनों से, 18 नवम्बर से हमारे तमिल सेटलर भाई हैं। उनकी रिले हंगर स्ट्राइक में छोटे-छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़ी मां सभी तकलीफ के साथ बैठे हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि उन्हें जो डेढ़ एकड़ जमीन देने की बात थी, वह उन्हें दी जाए और उन्हें री-सेटल किया जाए। वर्ष 2003 में वाजपेयी जी ने उनके सेटलमेंट के लिए कहा था। वर्ष 2012 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी उन्हें सेटल करने के लिए कहा था।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से और अंडमान-निकोबार प्रशासन से यह मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द सेटल किया जाए क्योंकि उनका बहुत बुरा हाल है।

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में जहां भी मेडिकल कॉलेजेज हैं, वहां जो ओपीडी रहती है, वह सुबह नौ बजे से एक बजे तक चालू रहती है। मेडिकल कॉलेज होने के नाते ग्रामीण इलाके से भी बहुत रोगी वहां आते हैं और एक-दो बजे के बाद वहां ओपीडी बंद हो जाती है। वहां ग्रामीण इलाके से बहुत लोग आते हैं और उनका नम्बर नहीं लगता। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि वह नौ से एक बजे तक और बाद में

दो से छ: बजे तक ओपीडी को खुला रखे तो गांव से आकर इलाज कराने वाले लोगों को सुविधा होगी। सरकार उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराए। इससे बहुत मरीजों का फायदा होगा।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, मैं अविलम्ब लोक महत्व के विषय पर अपने क्षेत्र की समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

कोशी एवं पूर्णिया प्रमंडल की आबादी को राजधानी पटना के लिए पूर्वी-पश्चिमी कोरिडोर के माध्यम से जाना पड़ता है, जिसका एलाइनमेंट सीधा नहीं होने के कारण काफी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। बिहार राज्य में कोशी में सड़क एवं पुलों के आधारभूत ढांचे के विकास में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत जी.टी. रोड से पूर्वी-पश्चिमी कोरिडार को जोड़ने के लिए प्रस्तावित आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए भू-अर्जन का कार्य चल रहा है। प्रस्तावित आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे पर अवस्थित बिदुपुर से दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर-उदाकिशुनगंज होकर पूर्णिया तक नया पथ बनाए जाने से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार किशनगंज एवं अररिया जिलों के सम्पर्क सुविधा में व्यापक सुधार होगा। अभी पूर्णिया से फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से पटना के बीच की दूरी 368 किमी है। उस सड़क के बन जाने से 133 किमी कम दूरी तय करनी पड़ेगी। ये जिले पूर्वी बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित हैं, जिनका राजधानी पटना से सुगम सम्पर्क होने से विकास के आयाम को नयी दिशा मिलेगी।

<u>22.05 hrs</u> (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध है कि जनहित में बिदुपुर से दलसिंहसराय-सिमरी बख्तियारपुर-उदाकिशुनगंज होकर पूर्णिया तक नए पथ का निर्माण ग्रीन फील्ड फोर लेन पथ योना से कराने की कृपा करें।

SHRI TOKHEHO YEPTHOMI (NAGALAND): Hon. Chairperson, I thank you for giving me time to raise an important issue about the political negotiation going on between Naga militants and the Government of India for the last twenty-three and a half years. The framework was signed in March 2015 with NSCN and another agreement was signed in July 2017. Interlocutors between Naga militants and the Government of India say that talks have been concluded on 31st October 2019. People from different organizations of Nagaland have given the representation to the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister to come to a logical conclusion, because it has taken twenty-three and a half years. In my Unstarred Question No. 1330, I asked about the progress of the negotiation and the answer given was that the talks are in progress, whereas interlocutors say that talks have been completed. The hon. Governor, who is also an interlocutor, while addressing the Nagaland Legislative Assembly, said that talks have been concluded. If that is the case, I would like to draw your attention that the agreement should be made without further delay. This is not a State issue only; it is a national issue and it has taken twenty-three and a half years. So, kindly take note of this. Thank you.

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जनपद प्रतापगढ़ के मध्य भाग से होकर बहने वाली सई नदी एक जीवनदायिनी नदी है। उसे भारत सरकार की परियोजना नमामि गंगे में सम्मिलित भी कर लिया गया है।

मान्यवर, एक तरफ जहां सई नदी वरदान है, वहीं दूसरी तरफ सई नदी के तमाम किनारों पर बसे तमाम गाँवों के लोग विकास की किरणों से अभी भी अछूते हैं। उन्हें न तो कोई सुलभ मार्ग है, और ना ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधाएं हैं। कई दर्जन गांव ऐसे हैं जहां लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सई नदी पार करना, नाव का सहारा लेना, या बीमार होने पर किसी तरह चारपाई आदि पर लादकर पगडंडियों के सहारे चिकित्सालयों में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज, सदर व तहसील पट्टी होते हुए गुजरने वाली सई नदी के किनारों पर बाँध का निर्माण कराकर जल संचयन और सुलभ मार्ग भी उपलब्ध कराए जाए। बाँधों पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बांस या अन्य जल संचयन करने वाले वृक्षों का रोपण कराए जाने की भी कृपा करें।

इसी के साथ ही मैं आपके माध्यम से नीति आयोग से मांग करता हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, पावन धाम चित्रकूट, तीर्थराज प्रयाग और तीनो लोकों से न्यारी मोक्षदायनी काशी के मध्य में स्थित क्षेत्र है, जहां से होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने अपनी वन गमन की यात्रा की थी। श्री राम वन गमन मार्ग के मध्य में स्थित मेरा संसदीय क्षेत्र भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना रामायण सर्किट के मध्य में आता है। जहां मां बेल्हा देवी के तट पर भगवान राम के ठहरने का जिक्र श्री रामचरितमानस में आता है। इसलिए, प्रतापगढ़ को रामायण सर्किट से जोड़ते हुए मां बेल्हा देवी पर सई नदी के किनारे चेक डैम व रिवर फ्रंट तथा श्री राम वन गमन मार्ग को विशेष सड़क मार्ग से जोड़ने के साथ साथ अयोध्या से प्रतापगढ़ होकर चित्रकूट जाने के लिए रेल गाड़ी चलाए जाने हेतु योजना नीति आयोग द्वारा बनाकर उसे कार्यान्वित कराने की मांग करता हूँ।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity. I am extremely happy to see the Minister of Environment here because the issue that I am raising over here pertains to his Ministry. A

monstrous harbour is coming up adjoining Chennai being set up by a group and it is going to invest about Rs. 52,400 crore to cover an area of 6,111 acres of which 200 acres would be taken from the sea by filling that place with sand taken from Palar river over a distance of 60 to 80 kilometres.

The entire stretch of 60 to 80 kilometres will be destroyed. Apart from that, this project is harming and violating all norms of ecological system and all pollution control systems. For example, a port cannot come if, within one metre, erosion is there. There, the erosion is five to six metres. But this port is coming up. And a port cannot come up within 10 kilometres of an ecological park or a bird sanctuary, but this project is coming over there. I am agitated because the Collector has been asked to go for a public hearing but I intervened. All the political parties opposed this project. As a Member of Parliament representing that constituency, I requested the Collector not to go ahead with the public hearing, not to hold it.

I request the hon. Minister of Environment to look into this and note that if this project comes up, then North Madras will be destroyed. I would like to bring this to the knowledge of the hon. Minister.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खेलकूद संबंधी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। मेरठ सहित सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकले हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, शूटिंग व तीरंदाजी के अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खेलते समय खिलाड़ी अनेक प्रकार

की चोटों के शिकार होते हैं। उनके इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की चिकित्सा प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर नहीं है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देने वाले, इस क्षेत्र से निकलने वाली खेल प्रतिभाओं का समय से उचित इलाज प्रदान करने हेतु मेरठ में इस प्रकार के सेंटर की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए मेरठ के प्रतिष्ठित लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का परिसर सर्वथा उपयुक्त है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलने वाली खेल प्रतिभाओं के यथोचित इलाज हेतु मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की स्थापना करने की कृपा करें।

22.12 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Recognizing Chhattisgarhi language and to start radio in Chhattisgarhi language

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। "अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रा नदी है पखारे तोरे पैंया, जय हो जय हो छत्तीसगढ़ मैय्या।" जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत को माता का दर्जा दिया गया है, माता से संबोधित करते हैं, उसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में, देश में यदि कोई महतारी, कोई माता का दर्जा किसी प्रदेश को है, तो छत्तीसगढ़ को माता का दर्जा है।

महोदय, जिस प्रकार से अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, उसी प्रकार से कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। वे छत्तीसगढ़ की हैं। छत्तीसगढ़ को, कौशल्या की भूमि को उनकी भाषा चाहिए। आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सदन में इससे संबंधित प्रसारण मंत्री सम्माननीय जावड़ेकर जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर बस्तर तक, छत्तीसगढ़ी भाषा 2 करोड़ लोग बोलते हैं। टेलीविजन में समाचार छत्तीसगढ़ी में प्रसारित किया जाए। सम्माननीय जावड़ेकर जी यहां बैठे हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। माननीय जावड़ेकर जी से निवेदन है कि इसको आप अवश्य प्रसारित करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इसके लिए आदेश देंगे।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): भारतीय भाषाओं का सम्मान इस सरकार की नीति है। इसके बारे में विचार करके, क्या तुरन्त किया जा सकता है, वह करेंगे।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I wish to draw the kind attention of this House towards a shocking incident that took place on the border areas of Assam and Mizoram at the Barak Valley region recently. More than 50 houses have been completely burnt and a large number of people are badly injured in this area.

This was organised and well-planned by the Mizoram miscreants. Most of the injured persons are now admitted in the Silchar Medical Hospital. Hundreds of people have been rendered homeless and are forced to live under open sky with no shelter over their heads. Religious buildings like mosques, temples, and Government primary schools were also demolished using crude bombs. This was done by the Mizoram miscreants. The local police was looking like the silent spectator. Assam Government has miserably failed in controlling the situation. You should not say that it is a State affair, let them take care of it. You should not say like this.

We apprehend that this kind of incident may flare up in different places. I would humbly appeal to the Government to urgently interfere in the matter and control the situation. With these words, I conclude. Thank you very much.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में मुख्य रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, जिसके कारण कटेहरी ब्लॉक से अकबरपुर-फैजाबाद मार्ग से अर्शकपुर, बरवा मार्ग और अखबरपुर अमसीम मार्ग को मिलाने वाले रास्ते को बीच में अवरोधित कर

दिया गया है, जिसकी वजह से निनाओपुर, प्रतापपुर, चमुरखा, जरोखा, यरकी, ददवा और तमाम अन्य गांव के लोगों के आवागमन के रास्ते को बाधित कर दिया गया है।

इस रास्ते के बाधित होने की वजह से लोग अपने जीवन को जोखिम में डालकर रेलवे लाइन क्रास करते हैं। इससे पहले मैंने रेलवे विभाग के सबसे उच्चतम अधिकारियों और रेल मंत्री जी से भी मिलकर बात की है। इस रास्ते पर एक संपर्क मार्ग बनाया जाए या अंडरपास बनाने की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों के दैनिक जीवन में आसानी हो सके और उनके व्यावसायिक कार्य में कोई बाधा न आ सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Sir, with your kind permission, I would like to raise an important issue pertaining to the interstate border disputes. Since long there has been unsettled boundary disputes along the border of Manipur-Nagaland and Manipur-Assam. The boundary of Manipur was safeguarded by various international treaties and agreements and was also endorsed by the comity of nations for the past many years, before Manipur was merged into India. The States Reorganisation Act, 1971, clearly says that Manipur is an established State and not a newly formed State, unlike neighbouring States like Nagaland. It also indicates that the boundary of Manipur has been maintained as in the Manipur Merger Agreement, 1949, and cannot be disturbed.

The disputed areas are in the districts of Senapati, Ukhrul and Jiribam. Few controversial sites are, namely Dzuko Valley, Tungjoy, Wahong, Jiri river area, etc. These disputes quite often trigger squabbling and enmity between the

ethnic people settled in and around the disputed areas and thereby affect the interstate relations.

Therefore, I would urge upon the Ministry of Home Affairs to kindly look into such a sensitive matter and help the concerned State in finding an amicable solution. Thank you very much.

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Thank you Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

Sir, India suffered the biggest economic impact in the world in 2020 due to Internet shutdowns, and lost USD 2.8 billion. As per the report of the United Kingdom-based digital privacy and security research firm, Top10VPN, of the 21 countries that restricted their citizens' access to Internet last year, the economic impact seen in India was more than double the combined cost for the next 20 countries in the list. The report added that the actual economic impact for India may be even higher than USD 2.8 billion figure, which itself is double the losses on account of Internet shutdowns in 2019. India tops the list with 121 shutdowns in 2020 and Venezuela stands a distant second with 21 shutdowns.

The report made a separate mention of the extended curbs on internet use in Kashmir with suspension of services lasting from August, 2019 -- when the special status of Jammu and Kashmir was scrapped -- to March, 2020, and still it is remaining severely throttled with only 2G access available. Calling it the longest

internet shutdown in a democracy, the report says that the restrictions have negatively impacted the distribution of medicines, businesses, and schools.

The arbitrary internet shutdowns are naked violation of the freedom of speech and expression and the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business under Article 19 of the Constitution.

Hence, a comprehensive legislation or protocol may be made to regulate internet shutdowns to ensure the constitutional freedom. Thank you very much.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, पिछले सात वर्षों में 100 नए मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से खोले गए हैं। 21 दिसम्बर को माननीय हर्षवर्धन जी कहते हैं कि हम वर्ष 2021 में 80,000 छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि हम 602 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना करेंगे, परंतु यह भी एक सच्चाई है कि हर्षवर्धन जी राज्य सभा में यह बताते हैं कि वर्ष 2019 में 4,500 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन की खाली रह गईं, वर्ष 2020 में भी 4,500 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन की खाली रह गईं। अगर हम ये सीटें नहीं भरेंगे, चूंकि मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट सीटें एनॉटमी और फिजियोलॉजी में खाली रहती हैं, सर्जरी और मेडिसिन में सीटें खाली नहीं रहती हैं, तो हम मेडिकल कॉलेज कैसे तैयार कर पाएंगे?

दूसरी बात है, जो डीएम और एमसीएच की पढ़ाई होती है, उसका एग्जाम भी इसी से होता है। इन सब के लिए जिम्मेदार हमारे सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय है, जो कहता है कि 50 परसेंटाइल पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अंडर ग्रेजुएशन में 12 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, 6 लाख बच्चों का सेलेक्शन होता है और 60 हजार बच्चे मेडिकल में जाते हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीबीएस डॉक्टर, जो यूनिवर्सिटी से पास करते हैं, केवल वही वह परीक्षा देते हैं और उसमें से केवल 50

प्रतिशत बच्चों को चुनना, बाकी 50 हजार डॉक्टर्स के साथ अन्याय है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में और सुपर स्पेशिएलिटी में 50 परसेंटाइल नियम को तिलांजलि देकर पूरे डॉक्टर्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाए। जो डॉक्टर, जिस लेवल पर उस सीट को फिल करता है, एक एमएस, ई एंड टी डॉक्टर से यह उम्मीद करना कि वह पीजी में एमबीबीएस के बच्चों के साथ 50 परसेंटाइल मार्क्स लाएगा, कहीं न कही ज्यादती है। इसलिए, सभी एक लाख डॉक्टर्स की एक मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। जिसको, जो सब्जेक्ट मिले, वह सब्जेक्ट देकर पोस्ट ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे हम नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्री और पैरा मेडिकल टीचर्स को और इंडिया की एमसीएच तथा डीएम की सभी सीटों को भर सकें। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Thank you. It is a very good submission. I think that the Government will take care of it.

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak in Zero Hour.

I would like to bring this to the kind notice of the Central Government. Our hon. Chief Minister of Andhra Pradesh has met our hon. Prime Minister six times and the hon. Home Minister ten times since 2019 requesting that a Special Category Status be accorded to the State. In the Rajya Sabha, the former Prime Minister had told us that a Special Category Status would be extended to Andhra Pradesh since the State was at disadvantage. However, the people of Andhra Pradesh have been betrayed by the Central Government.

I request for expediting the CBI inquiry into the incident of burning of a chariot of Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple at Antarvedi Town in Andhra

Pradesh by anti-social elements. The abovementioned incident took place on the nights of 5th and 6th September, 2020. Accordingly, on 11th September, 2020, the Andhra Pradesh Government vide order G.O. MS No. 105 had decided to handover the investigation of this unfortunate incident to the Central Bureau of Investigation. But, still, there has not been any progress in this case and the process of investigation is slow.

Through you, I would like to request the hon. Home Minister to direct the CBI to expedite the investigation and bring closure to the case so that the true culprits can be traced.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का ध्यान जम्मू शहर की ओर दिलाना चाहता हूं। जम्मू शहर के आस-पास आईआईटी, आईआईएम, एम्स और एयरपोर्ट का भी विस्तार हो रहा है तथा वहां ऐसे बड़े-बड़े संस्थान कार्यरत हैं। जम्मू के लोग इससे खुश हैं, लेकिन जम्मू शहर में गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है। इन गाड़ियों की तादाद बढ़ने से जम्मू के जो दो मेन चौक हैं, एक कुंजवानी चौक है और दूसरा सतवारी चौक है, जो कि एयरपोर्ट के लिए जाता है और कुंजवानी चौक एम्स के लिए जाता है। वहां पर जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से देर-देर तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं। उन दो रोडों पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाए।

महोदय, मेरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से प्रार्थना है कि वह नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आदेश दे, ताकि ये दोनों चौक नए बनाए जाएं। वहां पर फ्लाईओवर ब्रिज भी बनाया जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देश में पत्रकारों एवं हास्य कलाकारों की आज़ादी छीनी जा रही है। उन्हें ईमानदारी से कार्य करने एवं देश में हो रही घटनाओं की सच्चाई देश एवं दुनिया के सामने लाने पर जेल भेजा जा रहा है। आज़ाद देश में यह क्या देखने को मिल रहा है**?**

सभापति जी, दिल्ली विधान सभा चुनाव के समय कितने तथाकथित बुद्धिजीविओं के साथ देश के कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण व वक्तव्य दिए थे, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है, उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। एक बार फिर देश में इमरजेन्सी जैसी स्थिति नज़र आ रही है। हाल ही में स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जेल भेजा गया है। सिंधु बार्डर से स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में दलित महिला के साथ हुए बलात्कार को कवर करने जा रहे सिद्दीक कप्पन को जेल में रखा जा रहा है। आज़मगढ़ में सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों के झाड़ू लगाने के वीडियो बनाने वाले एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

कुंवर दानिश अली : सभापति महोदय, कई ऐसे बड़े पत्रकारों के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमें दर्ज़ किए जा रहे हैं। इस देश में आज़ाद पत्रकारिता की आवाज को दबाने का काम हो रहा है।

माननीय सभापति जी, ऐसी सैकड़ों घटनाएं सामने आई हैं। अपराध करने वाले व अन्य बदमाश सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन पत्रकार और कॉमेडियनों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है।…(व्यवधान) माननीय सभापति जी, मैं आपके के माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि**…(व्यवधान)**

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में गुना, शिवपुरी और अशोक नगर तीन जिलें आते हैं, जहां कृषि पर निर्भरता और कृषि की संभावना है, वहां दोनों ही प्रमुखता पर हैं। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है, किसानों की आय को दोगुनी करना जिसके

लिए अवसंरचना व मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति भी आवश्यक है। लोक सभा क्षेत्र में छोटी-बड़ी कई नदियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन उन पर पर्याप्त सिंचाई परियोजना नहीं होने की वजह से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यदि मेरे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और वर्तमान तकनीकों में सुधार किया जाए, तो किसानों को उनकी उपज और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग मिलेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी एवं मेरी सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई हेतु किसी परियोजना की शुरुआत की जाए, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान पठानकोट, बैजनाथ और जोगिंद्रनगर की रेल सेवा की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, गत एक वर्ष से पठानकोट, बैजनाथ और जोगिंद्रनगर की सभी रेल सेवाएं कोविड-19 के कारण बंद कर दी गई थीं, जिसके कारण बहुत से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। इस रेल सेवा से भारतीय सेना के सैनिक और बाहरी प्रदेशों के बहुत से पर्यटक सफर करते हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह आग्रह है कि पठानकोट, बैजनाथ और जोगिंद्रनगर की रेल सेवाओं को पुनः शुरू करने की कृपा करें।

श्री दुर्गा दास उइके (बैतूल) : माननीय सभापति जी, मुझे आपने लोक हित के मुद्दे पर अपने विषय की प्रस्तुति करने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। महोदय, मेरे बैतूल-हरदा-हरसूद लोक सभा क्षेत्र में रेल स्टॉपेज़ हेतु अनेक जन आंदोलन हुए हैं। मुलताई सूर्यपुत्री ताप्ती नदी की उद्गम स्थली है। वहां देश भर के श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ गया है। ट्रेन स्टॉपेज़ पर्याप्त मात्रा में न होने से यात्रियों को विविध प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मुलताई रेलवे स्टेशन पर स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 12803-12804, जबलपुर-नागपुर अमरावती एक्सप्रेस 12159-12160, जी.टी. एक्सप्रेस 12615-12616, जयपुर-चैन्नई एक्सप्रेस 12968-12969, रेलवे स्टेशन बरबटपुर अण्डमान एक्सप्रेस 16031-16032, आमला रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम स्वर्ण जयंती 12803-12804, निजामुद्दीन-त्रिवेन्द्रम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 12643-12684, इसी तरीक से रेलवे स्टेशन घोड़ाडोंगरी अमरावती-जबलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12159-12160, इसी तरीके से रेलवे स्टेशन अमला के लिए निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम स्वर्ण जयंती 12803-12804, बैतूल रेलवे स्टेशन के लिए यशवतंपुर-लखनऊ एक्सप्रेस, चैन्नई-देहरादून एक्सप्रेस, इसी तरह से बिलासपुर-बिकानेर एक्सप्रेस को आप हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें।

श्री पकौड़ी लाल कोल (राबर्ट्सगंज): माननीय सभापति जी, मैं संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से आता हूँ। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज जनपद, सोनभद्र एक अनुसूचित जाति क्षेत्र है, जो आजादी के बाद से ही आज तक अनुसूचित जाति क्षेत्र कहलाता है।

महोदय, वहाँ पर काफी समस्याएं थीं, लेकिन मुझे अभी सांसद बने डेढ़ साल ही हुआ है और वहाँ पर इतना विकास हो गया है कि मैं उसे कैसे गिनाऊ? आपने मुझे आधे मिनट का समय दिया है। आप मुझे थोड़ा समय और दे दें। मेरे संसदीय क्षेत्र में 100-100 किलोमीटर पर विकास खण्ड था। अब वहाँ दो विकास खण्ड हो गए हैं। वहाँ पर तहसील का निर्माण हो गया है। वहाँ पर एकलव्य विद्यालय, अटल विद्यालय, मेडिकल कॉलेज और जल जीवन मिशन के तहत बहुत विकास हो रहा है। हम पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की कृपा बरसी है। मैं चाहूँगा कि यह कृपा ऐसे ही बरसती रहे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूँगा कि थोड़ी सी कृपा और बरस जाए। मेरे यहाँ रिहंद जिले से 106 गाँव विस्थापित हो गए। हमारे यहाँ पर दर्जनों कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन वे उन

विस्थापितों को, गरीबों को रोजगार नहीं दे रही है। अगर वहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े लोगों को किसी तरह की नीति बनाकर रोजगार दे दिया जाए तो बहुत कृपा होगी।

***SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. In my Tenkasi constituency, even though there was not much impact due to Nivar and Uvari cyclones which caused devastation in Tamil Nadu, the unseasonal heavy rains, for 20 days, which followed the cyclones, have caused severe damage to crops in thousands of acres of cultivable land and more than 50 thousand acres of uncultivable land. The State Government although gave assurance for adequate compensation. There was no survey done to assess the damage caused by heavy rains. Moreover the relief assistance is also very less. Thousands of farmers, for generations together, have been engaged in farming activities in the cultivable lands attached to the Temples in Tamil Nadu. The Government has refused to provide relief assistance to such farmers as well. I urge through you, seeking the intervention of the Union Government in this matter and as demanded by our revered leader Thalapathi M.K. Stalin, Rs 50000 per acre should be provided as relief assistance to the affected farmers at the earliest. Thank you for this opportunity.

---

* English translation of the speech originally deliered in Tamil.

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र कटिहार जिला के अंतर्गत बरारी प्रखण्ड में काढ़ागोला गंगाघाट एक पौराणिक स्थल है तथा एक ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व का भी है। महोदय, सन् 1962 में चाइना वॉर के दौरान काढ़ागोला गंगाघाट, दार्जिलिंग सरहद के रास्ते से बिहार के रेजीडेंट सेन्टर पटना के दानापुर छावनी से जवानों ने बर्मा बार्डर तक कूच किया था।

यह सड़क मीर कासिम और शेरशाह सूरी के शासन काल से निर्माण होती आ रही है और इसको उपयोग में लाया जा रहा है। उस समय का कारागोला घाट एक व्यापारिक केन्द्र था और आज भी है। कारागोला गंगा घाट से दार्जिलिंग होते हुए चीन सीमा तक पहुंचने का एक सुगम रास्ता भी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा और सरकार से आग्रह करूंगा कि पीरपैंती और कारागोला घाट के बीच, कारागोला गंगा घाट पर ब्रिज का निर्माण हो जाने से बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल के साथ-साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी हिन्दुस्तान का संबंध जुड़ जाएगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

*__SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM):__Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Dr. Kalaignar M. Karunanidhi upheld social justice by providing 18 percent reservation to people belong to SCs and STs. Dr. Kalaignar M. Karunanidhi also provided 20 per cent reservation as well as sub-quota to the Vanniyars and other castes in Tamil Nadu. Following the footsteps of the savior of social justice Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, I urge that the Union Government should provide a sub-quota reservation of 2 per cent for Vanniyar community. In the southern districts of Tamil

* English translation of the speech originally deliered in Tamil.

Nadu, the people belonging to Devendra Kula Vellalar community have been demanding for long for inclusion of seven sub-sects namely Kudumbar, Pannadi, Kaaladi, Kadaiyar, Devendrakulathar, Pallar, Vadhiriyar under Devedra Kula Vellalar community. At present through the Govt. Orders the names of these sub-sects are listed separately. The demand put forth by the people belonging to this community for inclusion as one name is a genuine one. There have been agitations held for long in the southern districts of Tamil Nadu to fulfill this demand. I urge the Union Government to issue a Gazette notification for inclusion of all these sub-sects as one in the name of Devendra Kula Vellalar for the benefit of the people of this community.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में सीजीएचएस संबंधी सुविधा न होने से मेरे संसदीय क्षेत्र के केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मियों और केन्द्रीय कर्मचारी पेंशनरों के परिवारों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों के लिए भरतपुर से 200 किलोमीटर दूर जयपुर तक जाना पड़ता है, जो न्यायोचित नहीं है। यह उनके लिए काफी महंगा है और इससे उनको कष्ट का अनुभव करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में सैनिक, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों की विधवाएं एवं शहीद परिवार काफी संख्या में निवास करते हैं और सीजीएचएस की सुविधा से वंचित हैं। उपरोक्त परिस्थितियों के चलते मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर में सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश में वर्ष 2021 में शुरू हो रही जनगणना में कुड़मियों की मातृभाषा कुड़माली भाषा को भाषा कोड में शामिल किया जाए। यह ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण छोटा नागपुर

पठार अंतर्गत झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अलावा असम राज्य के विभिन्न जिलों में लगभग 2 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के साथ कुड़मी जनजाति समुदाय की मातृभाषा कुड़माली है। भारत की जनगणना की भाषा सूची में कुड़माली भाषा का कोड नहीं दिया गया है, जिसमें एक आदिम विशिष्टता से परिपूर्ण भाषा और संस्कृति कि विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।

अत:, सभापति महोदय, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कुड़मियों की मातृभाषा कुड़माली को भाषा कोड में शामिल करने की कृपा की जाए। धन्यवाद।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak in the House today.

I would like to draw the kind attention of the hon. Minister of Road Transport and Highways and would like to state that in the year, 2016, the Government of India gave approval, in principle, to National Highways in Telangana State to an extent of 1951 kilometres and among these approved National Highways, five roads came under my Lok Sabha Parliamentary constituency, Zahirabad but unfortunately, the current progress of work in these roads is almost nil.

The names of the roads are:

1. Nizampet-Narayankhed-Bidar declared as NH 161.
2. Madnoor -Bodhan-Nizamabad declared as NH 161BB.
3. Medak-Yellareddy-Banswada-Rudrur-Badhan.
4. Karimnagar-Sircilla-Kamareddy-Yellareddy-Pitlam.
5. Zaheerabad-Bidar-Degloor.

The above roads were approved in principle during the year, 2016, that is, five years back.

Through the Chair, I request the hon. Minister to kindly include the first two declared National Highways under Bharatmala Pariyojana or NH(O) programme, and the remaining roads which have still not been declared as National Highways may kindly be given NH numbers and be included in the same programme as requested above.

श्री हँसमुखभाई एस. पटेल (अहमदाबाद पूर्व): सभापति महोदय, धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद ईस्ट में रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाइवे मंत्रालय के माध्यम से अहमदाबाद-हिम्मतनगर एनएच-45 का छ: मार्गीय काम निर्माणाधीन है। इस हाइवे के किनारे पर लिंबड़िया नाम का एक बहुत बड़ी आबादी वाला गांव स्थित है।

महोदय, दिक्कत यह है कि इस गांव के पास हाइवे के पैरलल सर्विस रोड का प्रावधान नहीं किया गया है। सर्विस रोड न होने की वजह से गांव वालों को आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है और अकस्मात् होने की भी बहुत बड़ी सम्भावना रहती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि लिंबड़िया गांव के पास समांतर सर्विस रोड बनाने के लिए उचित आदेश करें।

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I would like to bring to your kind notice that the Ministry of Road Transport and Highways has developed the Hyderabad-Srisailam section of NH 765 from km 23/00 to 108/800 to two lanes with paved shoulders during the year 2016 for which DLP and maintenance period was completed in 2018. It is to

inform that the NH 765 leads to the famous Jyothirlinga Sri Mallikarajuna Swamy Temple at Srisailam in Andhra Pradesh. It is to inform that the newly declared NH 167K starts from km 67/0 of NH 765 at Kalwakurthy. It is also to inform that the present traffic up to Kalwakurthy on NH 765 is about 14000 PCUs (As per Toll plaza at km 41/00 records) and the traffic will be further increased manifold if the NH 167K is developed to NH standards as it will be the shortest route to Tirupathi and Chennai. Keeping in view the present traffic and also the traffic in future, it is very essential to develop the existing two-lane paved shoulder highway from Hyderabad to Kalwakurthy (NH 765) to four lane standards.

It is requested to kindly sanction four lane project for Hyderabad-Kalwakurthy section of NH 765 in the Annual Plan 2021-22.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति महोदय, मुझे इस क्षण का विगत एक सप्ताह से इंतजार था। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं जिस विषय-वस्तु को आपकी अनुमति से सदन में उठाना चाहता हूं, उसका संबंध न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र से है, बल्कि देश की नौसेना से भी है। मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के पूरबडीहा गांव का सपूत सूरज कुमार दुबे आईएनएस अग्रणी में सेलर के पद पर पदस्थापित था। वह छुट्टी पर घर गया था और छुट्टी बिताने के बाद ड्यूटी ज्वॉइन करने के लिए जा रहा था। दिनांक 30.01.2021 को चेन्नई एयरपोर्ट से तीन अपहरणकर्ताओं ने उसका अपहरण कर लिया। उन लोगों ने उसको तीन दिन तक चेन्नई में बंधक बनाकर रखा। उसके बाद वहां से 1500 किलोमीटर दूर पालघर मुंबई में ले जाकर जलाया और मरी हुई स्थिति में पालघर के जंगल में छोड़ दिया। प्रश्न यह उठता है कि उसको इतनी दूर ले जाकर मर्डर की क्या आवश्यकता थी?

उसका मर्डर क्यों किया गया?…(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी डिमांड क्या है?

श्री विष्णु दयाल राम : सभापति जी, मेरी यह डिमांड है कि इस कांड की जांच सीबीआई से कराने की कृपा की जाए, इस प्रकार का आदेश देने की कृपा की जाए। मेरा आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि जो भी प्रक्रियाएं हैं, उसे पूरी करके इस कांड का जांच सीबीआई से कराएं। मैंने इस संबंध में रक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की है, उन्होंने सेना के दृष्टिकोण से एक हाई लेवल इंक्वायरी सेट-अप की है। इस नृशंस कांड को देखते हुए और हमारी जनता इस कांड की कारण बहुत उद्वलित है, बहुत आक्रोषित है, तो निश्चित रूप से इस कांड का सीबीआई के द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए।

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पहले रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने दिल्ली से अलवर और दिल्ली से मेरठ के लिए रैपिड रेल चलाने की घोषणा की थी। उसे बढ़ा कर मेरठ से मुजफ्फरनगर कर दिया गया, लेकिन मेरी यह मांग है कि उसे मुजफ्फरनगर से बढ़ा कर सहारनपुर तक कर दिया जाए। हालांकि मैंने इस सिलसिले में एक लैटर मंत्री जी को लिखा था, लेकिन सहारनपुर एनसीआर में शामिल नहीं है, इसलिए वह उसका विस्तार नहीं कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा यह कहना है कि सहारनपुर जंक्शन ही एक वाहिद जंक्शन है, जो उत्तराखंड को जोड़ता है। इसी रेलवे के जरिए ही हरिद्वार, मसूरी और देहरादून जाया जा सकता है। इसके अलावा यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि मुल्क की सुरक्षा दृष्टि के लिहाज से सहारनपुर में सरसावा एयरबेस है, जिसको एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा सहारनपुर में ही मिलिट्री रिमाउंट डिपो भी है एवं वहां रूड़की और देहरादून कैंट भी हैं। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में यह जरूरी है कि इसे बढ़ा कर सहारनपुर तक कर दिया जाए। इसके अलावा एक इंटरनेशनल वूडन हैंडी क्राफ्ट का हब है। वह पूरी दुनिया में मशहूर है। वहां बॉयर्स को आने-जाने की सहूलियत मिलनी चाहिए, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़े और हमारा बिजनेस भी बढ़े।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र जलगाँव में लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। नेशनल ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने 2016 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत फोरलेनिंग - टरसोड फागने के निर्माण के लिए बिडिंग की और टेंडर फ्लोट किया। उस परियोजना की एस्टिमेटेड कॉस्ट 197 करोड़ रुपए थी। नवम्बर, 2016 में इस परियोजना का टेंडर एम्बियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगुवाई वाले कन्सोर्टियम दिया गया। परंतु इस राजमार्ग के निर्माण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और वर्ष 2020 तक केवल 14 प्रतिशत कार्य हुआ है। यह निर्माणाधीन होने के कारण 200 से ज्यादा लोगों की राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई है। इसके कारण स्थानीय लोगों में बहुत असंतोष व्याप्त है। नेशनल हाईवे ऑथरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, कंसेसनेयर को चार करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। माइल स्टोन-वन और माइल स्टोन-टू का काम पूरा नहीं किया गया है। मेरी यह मांग है कि परियोजना के लिए दिए गए टेंडर को खारिज किया जाए और ईपीसी मोड पर इसके निर्माण के लिए तत्काल टेंडर किए जाएं और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, थर्ड पार्टी क्वालिटी एजेंसी है और काँट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सभापति महोदय, रेलवे की देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में घनी आबादी है, जिसकी जनसंख्या लगभग 28 लाख है, वहां एक महत्वपूर्ण थावे जंक्शन है, जहां से दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए कोई भी मेल, एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है। थावे जंक्शन वाराणसी डिवीजन में आता है, लेकिन पूरे बिहार में इस डिवीजन में केवल छपरा जंक्शन पर रेलवे पीठ है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में मात्र 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे पीठ दी गई है। जिसके कारण थावे से लंबी दूरी की ट्रेन नहीं चल पाती है। वहां के लोगों को दूसरे जिले में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। थावे जंक्शन पर कॉमर्शियल

फिजिबिलिटी के साथ-साथ यात्रियों की काफी संख्या है। वहां के लाखों लोग विदेशों में रहते हैं और वहां से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा सरकार को मिलती है।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि थावे जंक्शन में रेलवे पीठ दी जाए। इसके साथ-साथ गोरखधाम एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस को गोपालगंज, थावे होते हुए छपरा तक विस्तारित किया जाए। अथवा अरुणाचल प्रदेश एक्सप्रेस, गरीब रथ ए.सी. एक्सप्रेस में से कुछ ट्रेन्स को थावे-गोपालगंज होते हुए दिल्ली के लिए डायवर्ट किया जाए। इससे रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ेगा एवं मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज दिल्ली एवं अन्य महानगरों से भी जुड़ेगा।

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Hon. Chairman, Sir, I come from the most backward District of Karnataka, that is, Gulbarga. The health indices are very alarming there.

Hence, I would request the hon. Health Minister and the hon. Prime Minister-ji, to sanction an All India Institute of Medical Sciences in Gulbarga.

माननीय सभापति: वहाँ ईएसआई मेडिकल कॉलेज, सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स आदि सभी हैं।

DR. UMESH G. JADAV: The reason being, we have got all the challenging infrastructure methods as required by the Ministry of Health and Family Welfare. So, we have got all the criteria fulfilled. Our hon. Chief Minister, Yeddiurappa-ji has also agreed to give the additional land, which was required by the All India Institute of Medical Sciences. So, there would be no cost burden on the Central Government. We are ready to give all the facilities for setting up of an All India Institute of Medical Sciences at Gulbarga.

I would once again request the Government to start an All India Institute of Medical Science at Gulbarga. Thank you.

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, परन्तु आज भी मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत मुंगेली और कवर्धा की जनता आज भी रेल की सुविधा के लिए तरस रही है। मुंगेली में तो अंग्रेजों के शासनकाल में ही रेलवे लाइन बनाने का काम प्रारम्भ हो गया था। लेकिन अंग्रेजी शासन के अंत के साथ ही वह योजना बंद हो गई। वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, तब मेरे क्षेत्र की जनता में एक आशा जगी और जनता की उम्मीदों को पूरा करते हुए, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2018 में उस रेल लाइन की मंजूरी दी। लेकिन इतने समय के बाद भी काम में कोई प्रगति नहीं दिख रही है।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में रेलवे का चहुँमुखी विकास हो रहा है। लेकिन मैं माननीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूँगा कि इस परियोजना में भी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए, मेरे मुंगेली और कवर्धा क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए, इस परियोजना के काम में गति लाएं।

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): माननीय सभापति महोदय**,** मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर के अंतर्गत झंझारपुर से लौकहा वाया वाचस्पति नगर होते हुए रेल परिचालन जनहित में अतिआवश्यक है**,** जिसका कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। इस रेल परियोजना के जल्दी पूरा होने से यहाँ के निवासियों को रेल यातायात का लाभ मिलेगा और इसके साथ**-**साथ आर्थिक व सामाजिक विकास में मदद मिलेगी।

लौकहा के नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण दोनों देशों के व्यवसाय में भी मदद मिलेगी तथा गरीबी रेखा में जीवनयापन कर रहे मजदूरों को भी इस परियोजना से रोजगार मिलेगा।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस परियोजना को जल्द-से-जल्द पूरा करें ताकि वहाँ के लोग सुविधापूर्वक यात्रा कर सकें।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय सभापति जी, 8 फरवरी को मेरा शून्यकाल में नाम आया था।

श्री नाना शंकर सेठ जी को जगन्नाथ शंकर सेठ भी कहा जाता था। इनका जन्म 10 फरवरी, 1803 में हुआ था। यदि हम एशिया की या पूरे भारत वर्ष की बात करें, तो सबसे पहले भारत में मुम्बई से ठाणे तक रेल परिचालन की शुरुआत हुई। उसकी नींव किसी ने डाली, तो वे श्री नाना शंकर सेठ ही थे। उस वक्त उसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कहते थे और रेलवे हेडक्वार्टर का ऑफिस उनके ही बंगले में था। उन्होंने उसके लिए ब्रिटिश सरकार को पैसे भी दिए, तब पहली रेल शुरू हुई। इसलिए वह रेल लाने वाले श्री नाना शंकर सेठ थे।

चाहे मुम्बई का ग्रैंड मेडिकल कॉलेज हो, जीजामाता उद्यान हो, जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट हो, एस.एस.सी. बोर्ड हो, ये सब विकास की नींव रखने वाले श्री नाना शंकर सेठ ही थे। उनकी 218वीं जयंती परसों हुई है।

चेयरमैन सर, मैं इस विषय में मांग करता हूं। उनका नाम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को देने के काम को हमारी महाराष्ट्र सरकार ने, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने मंजूरी दी है। इसके लिए सभी विपक्षियों ने साथ में सहायता की है। इसका प्रस्ताव सरकार के पास आया, हाल ही में सरकार ने इसमें थोड़ी सी अनुकूलता बताई, लेकिन मैं अपेक्षा कर रहा था कि परसों, 10 फरवरी को यदि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को उनका नामकरण दिया जाता, तो उनकी जयंती के लिए बहुत अच्छा होता।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सिर्फ उनकी जयंती मनाने की ही नहीं, उनका सम्मान करने की भी आवश्यकता है। बहुत देर हुई है, दुरुस्त हो जाओ। धन्यवाद।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि हाल ही में मोबाइल फोन्स पर ओटीटी और वेब-सीरीज के माध्यम से जबरदस्त गंदगी परोसी जा रही है। गालियां, हिंसा और धार्मिक भावनाओं के विपरीत हमारी संस्कृति को विकृत करने वाली चीज़ों को परोसा जा रहा है।

महोदय, अभी हाल ही में एक वेब-सीरीज में हिंदू भगवान का मजाक उड़ाया गया। यह पहली बार नहीं हुआ, यह पहले भी कई बार हो चुका है। यह अपमान अब हम सहन नहीं करेंगे, जिससे हमारी संस्कृति, परंपरा व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए कोई रेग्युलेटिंग एक्ट या सेंसर बोर्ड बनाया जाए, ताकि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, वे बंद हों। धन्यवाद।

श्री चन्द्र सेन जादौन (फिरोजाबाद): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका अति आभारी हूं कि आपने मुझे ज़ीरो-आवर में बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं फिरोजाबाद लोक सभा से आता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में कांच निर्मित वस्तुएं जैसे कांच की चूड़ी, कांच के ग्लास, खिलौने, झूमर, कांच की बोतल एवं अन्य कांच निर्यात वस्तुओं का उत्पादन केंद्र है। यहां छोटी-बड़ी लगभग 250 इकाईयां उत्पादन में कार्यरत हैं।

यह सभी इकाईयां सूक्ष्म एवं लद्यु उद्योग में रजिस्टर्ड हैं। महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना आत्म निर्भर भारत है। 'लोकल से वोकल' को साकार करना हम सभी का फर्ज़ है और लोकल से वोकल को बढ़ावा देकर जन-जागृति लानी है, क्योंकि इसकी खपत का लगभग 90 परसेंट आयात चीन से होता है।

महोदय, आपसे निवेदन है कि केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार मेरे लोक सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में ताज संरक्षित क्षेत्र (टीटीज़ेड) को छोड़कर इस सोलर प्लेट उत्पादन प्लांट को लगवाने हेतु संबंधित संस्था को जनहित में आदेश निर्गत करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मेरे बराबर में श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी बैठे हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में तीन जिले आते हैं – मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। मेरठ में हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती है, जो टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया में मशहूर है।

अयोध्या में बहुत बजट लगाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। हस्तिनापुर में भी भगवान कृष्ण जी रहे हैं, वहां भी जरूर ध्यान दिया जाए और उसका विकास किया जाए। दिल्ली से वहां तक के लिए सीधी रेल चलाई जाए, जिससे पूरे देश और दुनिया के लोग हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती को देख सकें।

मुजफ्फरनगर में उसी हस्तिनापुर का हिस्सा शुक्रताल है, जहां गंगा जी जाती हैं। इसका भी विकास किया जाए, जिससे लोगों के धार्मिक कार्य पूरे हों। इसी से मिलते हुए बिजनौर जिले में विदुर कुटी है, जो कि एक ऐतिहासिक धरती है। वहां प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी गए थे, वहां का भी विकास किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक गंभीर विषय की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अभी सदन के मेरे एक साथी ने भी इस विषय को उठाया था। आज वेब-सीरीज के माध्यम से समाज में बहुत ज्यादा अश्लीलता परोसी जा रही है।

<u>23.00hrs</u>

विभिन्न चैनल्स हैं, चाहे प्राइम मीडिया हो, नेटफ्लिक्स, अमेजन आदि हों, इनके माध्यम से लगातार समाज में अश्लीलता तो परोसी ही जा रही है, इसके साथ ही साथ हिन्दू देवी-देवताओं को भी अपमानित करने का काम किया जा रहा है। मैं तीन वेब सीरीज तांडव, आश्रम और मिर्जापुर का नाम लेना चाहूँगा। तांडव में जिस तरह से हिन्दू देवी-देवताओं को अपमानित करने का काम किया गया है, मैं

उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी को बधाई दूँगा कि उन्होंने उसके खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मिर्जापुर सीरीज की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा। मिर्जापुर बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर 51 सिद्धपीठों में से एक माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। मिर्जापुर लाखों मजदूरों को कालीन उद्योग के रूप में काम देता है। मिर्जापुर कालीन उद्योग के नाम से जाना जाता है। मिर्जापुर सीरीज में एक पात्र का नाम कालीन भईया रखा गया है, जिसके कारण पूरा कालीन उद्योग बदनाम हो रहा है और साथ ही साथ मिर्जापुर जैसी ऐतिहासिक नगरी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे इस पर कुछ बोल दें और ये जितनी भी सीरीज हैं, ये बिना सेंसर बोर्ड की परमीशन के चलाई जा रही हैं, इसलिए इनको रोका जाए। इनके माध्यम से निर्माताओं ने जो पैसा कमाया है, उस सारे पैसे को वसूलकर मिर्जापुर की जो छवि खराब हुई है, उसे ठीक किया जाए। मिर्जापुर की छवि को ठीक करने के लिए इनसे पैसा वसूला जाना चाहिए।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, बिहार के सासाराम, रोहतास को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी की जो प्रमुख समिति थी, उसने वहाँ हवाई अड्डा चालू कराने का निर्णय लिया था। केन्द्र से दो-दो बार सर्वे करने वहाँ टीम भी गई, लेकिन आज तक वह कार्य शुरू नहीं हो पाया और 10 साल से उसी तरह से पड़ा हुआ है। इसके चलते भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद के लोगों को हवाई सेवा का उपयोग करने के लिए 150-200 किलोमीटर तक जाना पड़ता है।

अत: हम सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से सासाराम को हवाई मार्ग से जोड़ने का जो कार्य अभी तक बंद पड़ा हुआ है, उसे अविलंब चालू कराया जाए, ताकि कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और बक्सर जिले के लोगों को हवाई सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं बुन्देलखंड क्षेत्र से आता हूँ। अभी कोरोना के समय बुन्देलखंड के श्रमिकों ने, जो देश के कोने-कोने में काम करने जाते हैं, बड़ी कठिनाई का सामना किया। क्षेत्र की जनता सभी सदस्यों को यहाँ चुनकर भेजती है। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जो बहुत ही विस्तृत है। हमारा क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। मेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत लंबा है, वहाँ गरीबी है और हर दो-तीन साल में सूखा पड़ता है। हमारा क्षेत्र कृषि पर आधारित है। हम लोग वहाँ की अनेकों माँगों को सदन में रखते रहते हैं कि हमारे यहाँ यह अभाव है, यह कमी है। मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हमारे बुन्देलखंड में बहुत अच्छा काम हुआ है। हम सदन में कुछ चीजों का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जब पूरे सदन का समय बर्बाद किया तो हम लोग अपनी कई माँगों को दबाकर रह गए, उन्हें सदन के सामने नहीं रख पाए। आज जब मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलेगा, मैं बुन्देलखंड को अलग प्रांत बनाने की माँग इसलिए रख रहा हूँ, क्योंकि आज तक हमारे बुन्देलखंड में एक भी एम्स नहीं है। हम कभी एम्स की माँग करते हैं, कभी आईआईटी की माँग करते हैं, कभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की माँग करते हैं, कभी पर्यटन विश्वविद्यालय की माँग करते हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर घर नल पहुँचाने के लिए योगी जी ने वर्ष 2022 के पहले काम करने का पूरा संकल्प ले रखा है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है।

महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि वहाँ के औद्योगीकरण के लिए, क्योंकि हमारा बुन्देलखंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों हिस्सों में बुन्देलखंड की संस्कृति

बंटी हुई है। इसको एक अलग से प्रांत बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे क्षेत्र का विकास परिपूर्ण रूप से हो पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे आदरणीय सांसद जी ने जो बात बोली, मैं उसका समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि बुंदेलखंड को पैकेज मिला था, लेकिन वह पैकेज अभी वित्त मंत्रालय से रिलीज नहीं हुआ है। हमारे बुंदेलखंड का पैकेज जल्द से जल्द रिलीज करवाया जाए।

दूसरा, आदरणीय योगी जी ने बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया था। अगर उस विकास बोर्ड के लिए केन्द्र सरकार से हमको कुछ पैसे मिल जाएं तो बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास में और सामाजिक विकास में हम लोग गति ला सकेंगे।

आपसे एक और अनुरोध है कि बुंदेलखंड के बारे में सब जानते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और दूर-दूर तक फैला हुआ है। मेरे यहां से दो-तीन जगहों से ट्रेनें चलती थीं। विशेष रूप से जाखलौन जैनियों के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है और रणछोड़दास मंदिर है, वहां पर सारी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। महोदय, चिरगांव से एक ट्रेन चलती थी। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चिरगांव में जो दो ट्रेनों का स्टोपेज था, उनको प्लीज फिर से शुरू करवा दिया जाए।

श्री संजय भाटिया (करनाल): सभापति महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। आपने मुझे उसे उठाने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि यहां इस समय सदन में माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर भी उपस्थित हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में पानीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है और हिस्टोरिकल सिटी है। इसके अंदर लगभग घरेलू और निर्यात का 50 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का टेक्सटाइल का व्यापार

होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल से बुनकर यहां आकर काम करते हैं। यहां के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा किया है। पिछले कुछ समय से जो ब्लैंकेट चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट होता था, यहां के एन्टरप्रेन्योर ने बहुत मेहनत से वह इम्पोर्ट बंद करके पानीपत में ही उसका उत्पादन किया। पिछले दिनों बजट के अंदर जो सात टेक्सटाइल पार्क्स यहां अनाउंस हुए, माननीय टेक्सटाइल मिनिस्टर यहां पर बैठी हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पानीपत को वह टैक्सटाइल पार्क दिया जाए।

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): *Namaskar* Sir.

Sir, India is going to hit a century very soon in terms of price hike on petrol and diesel. In Kerala, the price of petrol has crossed Rs.90. Coming to fuel price, there was a time when crude per barrel was around 150 dollars but even during those times also, I do not think the price of petrol, diesel and LPG was hiked so much. Sir, this is a very important issue because now the crude oil price globally for one barrel is almost 50 dollars and this is the time when heavy excise duty has been imposed both by the Central and State Governments. On one litre of diesel and petrol, more than Rs.50 has been imposed as excise duty.

My request to the Central Government is to reduce the price of petrol, diesel and LPG and also to reduce the tariff or reduce the excise duty on these items because the day-to-day life in this pandemic has been very critical.

I request the Central Government to withdraw as much as possible, the excise duty on these crude oil items so that the common man of this country would not suffer. The State Government is also equally responsible. Whenever the State Governments get additional benefit, they also try to charge more and thereby putting the burden on the common man's shoulder. So, this is a very important issue.

HON. CHAIRPERSON : The last submission today is of Shrimati Sunita Duggal.

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदय, मेरे छोटे-छोटे से तीन इश्यूज़ हैं।

HON. CHAIRPERSON: No, you raise one issue. 'Zero Hour' is related to only a particular issue.

श्रीमती सुनीता दुग्गल: महोदय, दो इश्यूज़ तो रेलवे से ही जुड़े हुए हैं। एक तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हम लोग गुरुतेग बहादुर जी का 400वां दिवस मना रहे हैं। अमृतसर से नांदेड़ साहिब एक ट्रेन जाती है, उसमें नरवाना मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक स्टेशन है। वहां सिर्फ दो मिनट का स्टोपेज मिल जाए, तो जो लोग अमृतसर से नांदेड़ साहिब जाना चाहते हैं, उनको भी उसका बहुत फायदा मिलेगा तथा जो लोग नांदेड़ साहिब से अमृतसर आना चाहते हैं और नरवाना में खास कर धमतान साहिब एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। मेरी रेल मंत्री जी से गुजारिश है कि वहां दो मिनट का स्टॉपेज कर दें तो वहां के तीर्थयात्रियों को लाभ मिलेगा। दूसरा, हमारी टैक्सटाईल मिनिस्टर यहां बैठी हुई हैं। हमारी स्टेट के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है। हमारे यहां की यह कॉटन बेल्ट है। हमारे किसान भाई को इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार प्रोक्योरमेंट 90 करोड़ रुपये से 25 हजार करोड़ तक पहुंच गयी है। वह एक कॉटन बेल्ट है। हमारी आदरणीय मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, मेरी उनसे विनती है कि अगर वहां एक टैक्सटाईल पार्क बना देंगे तो हमारे किसान भाईयों को बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, सिरसा में ढींग, फतेहाबाद, भूना, उकलाना, नरवाणा से लेकर चंडीगढ़ तक के लिए, जो कि हमारे हरियाणा की राजधानी है, वहां से मेरे लोक सभा क्षेत्र की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से गुजारिश करना चाहती हूं कि मेरे प्रदेश की राजधानी से अगर मेरी लोक सभा का कनेक्शन हो जाएगा तो लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Dr. Rajashree Mallick Shri Jagdambika Pal Shri Suresh Pujari Shri Y. Devendrappa Shri Rakesh Singh Shri P. P. Chaudhary Shrimati Rama Devi Dr. Bharati Pravin Pawar Dr. Sanghamitra Maurya Shrimati Anupriya Patel	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ramesh Bidhuri	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri Balak Nath	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri DNV. Senthilkumar S.	Shri S.R. Parthiban Shri Dhanush M. Kumar
Shri Kuldeep Rai Sharma	Shri Ritesh Pandey
Shri Girish Bhalchandra Bapat	Shri Omprakash Bhupalsinh Shrimati Bhavana Gawali (Patil) Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri Kodikunnil Suresh	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri N.K. Premachandran Shri Rajmohan Unnithan Shri DNV. Senthilkumar S.

	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri B. Manickam Tagore	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Bhavana Gawali (Patil)	Shri Om Prakash Rajenimbalkar Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	Dr. Sanjay Jaiswal Shri Devaji Patel
Shri Ritesh Pandey	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Rajendra Agrawal	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Sangeeta Azad	Shri Malook Nagar Shri Girish Chandra
Shri Hibi Eden	Shri DNV. Senthilkumar S.
Shri Arvind Sawant Shri Shankar Lalwani Dr. Chandra Sen Jadon Shri Vinod Kumar Sonkar Shri Anurag Sharma	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Vishnu Dayal Ram	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar
Shri Malook Nagar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Rajendra Agrawal
Dr. K. Jayakumar	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Sangam Lal Gupta	Shri Kuldeep Rai Sharma

	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Arvind Sawant	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramprit Mandal	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Arun Sao	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Umesh G Jadav	Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Alok Kumar Suman	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramulu Pothuganti	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Hanuman Beniwal	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri Santosh Pandey	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Krishnapalsingh Yadav	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Jugal Kishore Sharma	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Sanjay Jaiswal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Pakauri Lal Kol	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri S.R. Parthiban	Shri DNV. Senthilkumar S. Shri Dhanush M. Kumar
Kunwar Danish Ali	Shri DNV. Senthilkumar S.
Shri Rajmohan Unnithan	Shri DNV. Senthilkumar S.
Shri Dhanush M. Kumar	Shri DNV. Senthilkumar S.
Dr. Shafiqur Rahman Barq	Shri Malook Nagar

Shri B. B. Patil	Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Ranjeeta Koli	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Hasmukhbhai S. Patel	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ram Swaroop Sharma	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Durga Das Uikey	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Dinesh Chandra Yadav	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri N.K. Premachandran	Shri Kuldeep Rai Sharma

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही कल शनिवार, दिनाँक 13 फरवरी, 2021 को सुबह दस बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

23.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the Clock on Saturday, February 13, 2021/ Magha 24, 1942(Saka).